कक्षा 09

प्रतिदीप्त

सैंपल शिक्षण योजना संदर्शिका

सत्र 2024-25

माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों हेतु

कालेज ऑफ़ टीचर एजुकेशन(सी.टी.ई.), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

मुख्य संरक्षक

श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ

संरक्षक

श्रीमती कंचन वर्मा, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ

निर्देशन

डॉ0 सरिता तिवारी, निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ

डॉ महेंद्र देव, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ

मार्गदर्शन

डॉ0 पवन कुमार, संयुक्त निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ

श्रीमती दीपा तिवारी, उप शिक्षा निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ

परामर्श

श्री आनन्द कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं प्रभारी गुणवत्ता, समग्र शिक्षा, उ.प्र., लखनऊ

श्री अशोक कुमार सिंह, प्राचार्य, कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन, प्रयागराज, उ0प्र0

सह परामर्श

श्री पी.एम.अंसारी, राज्य सलाहकार, समग्र शिक्षा, उ.प्र. लखनऊ

श्रीमती वर्चस्विनी जौहरी, प्रवक्ता(समूह 'ख'), कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन, प्रयागराज

श्री संजय कुमार, प्रवक्ता, कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन, प्रयागराज

समीक्षा निर्देशन

श्री नवल किशोर, प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, प्रयागराज

डॉ० दीप्ति मिश्रा, सहायक उप शिक्षा निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, प्रयागराज

संपादन एवं विशेषज्ञ मण्डल

डॉ० अवनीश यादव, प्रधानाचार्य, रा०मा०इं०का०, नवाबगंज, बरेली

श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, रा०इं०का०, हमीरपुर

श्री मदन पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रवक्ता, एस0सी0ई०आर0टी0, उत्तराखंड, देहरादून

श्री जयप्रकाश ओझा, सहायक अध्यापक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर

समीक्षा मण्डल

श्री रीतेश अग्रवाल, प्रवक्ता, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, प्रयागराज

श्रीमती विभा मिश्रा, प्रवक्ता, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, प्रयागराज

श्रीमती रिचा शुक्ला, प्रवक्ता, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, प्रयागराज

श्रीमती स्मिता सिंह, प्रवक्ता, कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन, प्रयागराज, उ0प्र0

श्रीमती अलका, प्रवक्ता, कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन, प्रयागराज, उ0प्र0

श्रीमती प्रियंका पल्लवी, स0अ0, कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन, प्रयागराज, उ0प्र0

लेखन मण्डल

डॉ0 अर्चना सिंह, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सैदपुर, गाजीपुर
डॉ0 सतीश कुमार तिवारी, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़
सुश्री शबनम सिद्दकी, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कौशाम्बी
श्री अनुराग सिंह, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सारनाथ, वाराणसी
श्री रीतेश अग्रवाल, प्रवक्ता, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, प्रयागराज
श्री सुनील कुमार सिंह, प्रवक्ता, राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज, अनपरा, सोनभद्र
श्री दिनेश कुमार सिंह, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदपुर, बरेली
श्रीमती शिप्रा श्रीवास्तव, स0अ0, राजकीय इंटर कॉलेज, झांसी
श्री अजय कुमार अनुरागी, स0अ0, एस0पी0आई0 इंटर कालेज सिविल लाइन, झांसी
डॉ0 दीपा रानी, स0अ0, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बिसौली, बदायूं
श्रीमती कामिनी जायसवाल, स0अ0, राजकीय बालिका इंटर कालेज हुसैनगंज, फतेहपुर
श्री अखिलेश कुमार तिवारी, स0अ0, जवाहर ज्योति इंटर कालेज अमरगढ़, बुलंन्दशहर
श्रीमती प्रियंका सिंह, स0अ0, राजकीय हाईस्कूल एकारी, फतेहपुर
श्री सहादुर, स0अ0, पं0 दीनदयाल उपा0रा0 मॉडल इंटर कालेज इमलिया, हमीरपुर
श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, स0अ0, आदर्श इण्टर कॉलेज सराय अकिल, कौशाम्बी
श्री अरुण कुमार सिंह भदौरिया, स0अ0, उ0प्रा0वि0 टिकरौली(1–8), सुमेरपुर, हमीरपुर
श्री नीरज अग्निहोत्री, सहायक अध्यापक, प्रा0वि0 जौरास, त्रिवेदीगंज, बाराबंकी

तकनीकी सहयोग, कवर एवं बैक पेज डिजाइन

श्री अरुण कुमार सिंह भदौरिया, स0अ0, उ0प्रा0वि0 टिकरौली(1–8), सुमेरपुर, हमीरपुर
श्री नीरज अग्निहोत्री, सहायक अध्यापक, प्रा0वि0 जौरास, त्रिवेदीगंज, बाराबंकी

अशोक कुमार सिंह
प्राचार्य
कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

प्राक्कथन

मनुष्य को सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा गया है। इसके पीछे अन्य तमाम कारणों के साथ प्रमुख कारण यह भी है कि उसने अपने जीवन को सहज एवं सुगम बनाने के लिए तमाम साधन–सुविधाओं के साथ–साथ सामाजिक परिवेश और उसके अनुरूप आवश्यक परिस्थितियों का भी निर्माण किया है। मानव जीवन के हजारों वर्षों के इतिहास पर यदि हम दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने विषम परिस्थितियों तथा कड़ी चुनौतियों के बावजूद कठिन परिश्रम द्वारा गुफाओं–कन्दराओं से बाहर निकलकर ग्रामीण व नगरीय सभ्यता का विकास किया, जन–जीवन के अनुकूल संसाधनों का आविष्कार किया तथा सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन हेतु संस्कृति का निर्माण किया जो प्राणिमात्र एवं प्रकृति के पारस्परिक अंतरसंबंधों पर निर्भर है। अद्यतन यह क्रम जारी है।

सामाजिक विज्ञान इन्हीं पारस्परिक संबंधों की जानकारी और जरूरतों की पड़ताल करता है। जिसमें विषय के रूप में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र शामिल हैं। वस्तुतः सामाजिक विज्ञान एक विषय मात्र नहीं बल्कि मानव, प्रकृति और पर्यावरण के बीच सह–संबंधों तथा इनको सलीके से निर्वाह करने के तरीके सीखना और सिखाना ज्यादा है। हमारी कक्षा–कक्षीय परिस्थितियों में यह किस प्रकार संभव हो इस पर एक समझ विकसित करने तथा उदाहरण के रुप में कुछ शिक्षण योजनाएं दिए जाने के दृष्टिकोण से इस सैम्पल शिक्षण योजना संदर्शिका का विकास किया गया है।

वर्तमान समय तकनीकी उत्कृष्टता का है। कोरोना जैसे वैश्विक आपदाकाल में भी तकनीक ने ज्ञान–विज्ञान के नित नए द्वार खोले तथा सीखना सिखाना जारी रखा। विभिन्न शैक्षिक प्लेटफॉर्म, ई–सामग्री आदि उपलब्ध होने से ज्ञान के स्रोत कहीं ज्यादा सुगम व सुलभ हो गए हैं। ऐसे में शिक्षा से जुड़े हम सभी का यह दायित्व हो जाता है कि तकनीक समृद्ध हों तथा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की ओर बढ़ते हुए भी ज्ञान के परम्परागत एवं सर्वमान्य स्रोत, 'मानवीय संसाधन' को अद्यतन रखें। इसके लिए तकनीकी ज्ञान व कौशल के साथ–साथ विषय की प्रकृति के अनुरूप शिक्षण विधाओं, आकलन प्रविधियों, शैक्षिक नवाचारों तथा ज्ञान के स्थानीय स्रोतों व संसाधनों का भी व्यापक उपयोग किया जाए। विद्यार्थी अपने परिवेशीय अनुभवों को शामिल करते हुए नवीन ज्ञान की रचना करें तथा जीवन की विविध परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का तार्किक उपयोग कर पाएँ यह हमारे शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत समाहित विषयों का पारस्परिक जुड़ाव एवं अन्तर महसूस करते हुए संवैधानिक प्रतिबद्धताओं, मानकों और मान्यताओं के अनुरूप एक बेहतर समाज की रचना में संलग्न हो, यह हमारी शिक्षण प्रक्रियाओं का अभीष्ट होना चाहिए।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2023 सुखद भविष्य के लिए शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने पर जोर देती है। इसके लिए सीखने के वातावरण को अधिक गतिशील और लचीला बनाया जाना

आवश्यक है। ऐसा वातावरण जहाँ बच्चे ज्ञान के निर्माण में स्वयं शोध की ओर अग्रसर हों तथा वर्तमान एवं आगामी समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। विद्यार्थियों में यह सब संभव बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षको को स्वविकास हेतु जरुरी साधन, संसाधन और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराये जाएं। प्रस्तुत संदर्शिका इसी दिशा में एक प्रयास है।

संदर्शिका को अपने आशीर्वाद से गरिमा प्रदान करने हेतु मैं शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), उ0प्र0 डा महेंद्र देव एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 श्रीमती सरिता तिवारी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। संदर्शिका के विकास में विषय विशेषज्ञों, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के सहयोगी स्टॉफ ने जिस तत्परता, श्रम व समयबद्धता का परिचय दिया है उसके प्रति मै ह्रदय से साधुवाद देता हूँ। साथ ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में जिन भी स्रोत/माध्यमों से सामग्री अथवा सहयोग प्राप्त हुआ है उन सभी के प्रति मै ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

किसी भी शैक्षिक सामग्री, साहित्य अथवा मॉड्यूल की उपयोगिता तब साबित होती है जब वह विद्यार्थियों में उन विषयगत दक्षताओं का विकास कर पाए जो अपेक्षित हैं। निःसंदेह इस संदर्शिका की उपयोगिता विद्यालयों में इसके बेहतर उपयोग में ही निहित है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि संबंधित शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत संदर्शिका की सार्थकता सिद्ध की जाएगी। संदर्शिका के संबंध में सभी प्रबुद्धजनों के सुझावों का स्वागत रहेगा जिससे भविष्य में इसे और बेहतर स्वरूप प्रदान किया जा सके।

धन्यवाद।

अशोक कुमार सिंह
प्राचार्य
कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन
प्रयागराज

डॉ0 सरिता तिवारी
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

संदेश

शिक्षा किसी भी राष्ट्र और समाज का भविष्योन्मुखी निवेश होती है। शिक्षा द्वारा किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षित होता है कि वह एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित हो तथा देश और दुनिया की बेहतरी के लिए कार्य करे। इसी उद्देश्य और अपेक्षा से विद्यालयी शिक्षा में विभिन्न विषयों का समावेश किया गया है, जो अपनी प्रकृतिगत विविधता और विशिष्टता के साथ विद्यार्थी का व्यक्तित्व गढ़ते हैं।

सामाजिक विज्ञान अपनी सक्षम पाठ्यचर्या के साथ विद्यार्थियों को देश की समृद्ध और वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाता है। विषयगत विशिष्टता के चलते सामाजिक विज्ञान बच्चों में इतिहास के मूल्यांकन, साधनों–संसाधनों के महत्व और परिरक्षण, प्राकृतिक चुनौतियों को पहचानने और उनका सामना करने, संसाधनों के उपयोग और समान वितरण जैसे तमाम बिंदुओं पर जानकारी, समझ और अनुप्रयोग का कौशल विकसित करता है। स्थानीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक सिद्धान्तों, नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। साथ ही समाधान कौशल के विकास द्वारा जेंडर, हाशिए तथा विशेष आवश्यकता वाले वर्गों के प्रति संवेदनशीलता व समानुभूति के भाव को पुष्ट करता है।

अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, प्रयागराज द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय पर माध्यमिक स्तरीय सैम्पल शिक्षण योजना संदर्शिका का विकास कराया गया है। ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020'' के परिप्रेक्ष्य में विकसित यह सामग्री निश्चित ही शिक्षकों के क्षमता संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। कक्षाकक्षीय परिस्थितियों में उक्त सामग्री का प्रयोग विद्यार्थियों में वांछित विषयगत लर्निंग आउट्कम का विकास करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।

मैं उक्त सामग्री के विकास में योगदान देने वाले प्राचार्य, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन प्रयागराज व उनकी पूरी टीम, समस्त विषय विशेषज्ञों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा सहयोगी स्टाफ की हृदय से सराहना करती हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
उत्तर प्रदेश

डॉ0 महेन्द्र देव
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उ0प्र0, लखनऊ

संदेश

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020" शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाते हुए किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। साथ ही विद्यार्थियों में विषयगत ज्ञान कौशलों तथा मानसिक शक्तियों के विकास हेतु समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा को शैक्षिक प्रक्रियायों का अंग बनाने की आवश्यकता को प्रमुखता से इंगित करती है।

सामाजिक विज्ञान, विषय के रूप में विद्यार्थियों को देश के संवैधानिक ढाँचे के अनुरूप एक उत्तम एवं जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। इसके अन्तर्गत देश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ एवं उनके बीच अंतर्सम्बंधों की समझ को विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। जिसे विद्यार्थी अपने जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में लागू करते हैं।

सीखना एक सतत प्रक्रिया है, अतः नित–नूतन शोध, नवाचारों एवं आविष्कारों से स्वयं को जोड़े रहने के लिए आवश्यक है कि सीखना निरंतर जारी रखा जाए। समय–समय पर विभाग द्वारा विकसित पाठ्यसामग्रियाँ, प्रशिक्षण साहित्य, ई–सामग्री आदि इसी उद्देश्य के साथ विकसित किए जाते हैं कि वे सीखने में एक महत्वपूर्ण साधन का कार्य करें।

अत्यंत हर्ष का विषय है कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन (सी0टी0ई0) प्रयागराज द्वारा कक्षा–09 एवं 10 के सामाजिक विज्ञान विषय पर शिक्षकों के उपयोगार्थ 'सैम्पल शिक्षण योजना संदर्शिका' का विकास किया गया है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त संदर्शिका का विकास 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020' एवं 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2023' में प्रदत्त संस्तुतियों, सहमतियों और मार्गदर्शक बिन्दुओं के आलोक में किया गया है।

मैं संदर्शिका के विकास से जुड़े समस्त अधिकारियों, विषय–विशेषज्ञों के प्रयास की सराहना करता हूँ। मेरी शुभकामना है कि प्रस्तुत संदर्शिका अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

डॉ(महेंद्र देव)
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उ०प्र० लखनऊ

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संदर्शिका के उपयोग से जुड़ी कुछ बातें	09
2.	सामान्य समझ पत्र	11
3.	भूगोल	
	▪ केन्द्रिक लर्निंग आउटकम	20
	▪ अवधारणा पत्र	22
	▪ दिवसवार अध्याय की विषयवस्तु का विभाजन	29
	▪ शिक्षण योजनाएं	35
3.	इतिहास	
	▪ केन्द्रिक लर्निंग आउटकम	48
	▪ अवधारणा पत्र	51
	▪ दिवसवार अध्याय की विषयवस्तु का विभाजन	56
	▪ शिक्षण योजनाएं	63
4.	नागरिक शास्त्र	
	▪ केन्द्रिक लर्निंग आउटकम	77
	▪ अवधारणा पत्र	80
	▪ दिवसवार अध्याय की विषयवस्तु का विभाजन	91
	▪ शिक्षण योजनाएं	98
5.	अर्थशास्त्र	
	▪ केन्द्रिक लर्निंग आउटकम	110
	▪ अवधारणा पत्र	113
	▪ दिवसवार अध्याय की विषयवस्तु का विभाजन	123
	▪ शिक्षण योजनाएं	128
6.	परिशिष्ट	137

संदर्शिका के उपयोग से जुड़ी कुछ बातें

प्रस्तुत संदर्शिका एक मार्गदर्शिका है जो विद्यालयीय परिस्थितियों में अनुकूल शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत करती है। इन सुझावों के परिप्रेक्ष्य में हमें अपने कार्य को निरंतर बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होगा कि–

- सामान्य समझ तथा अवधारणा पत्र को भली भाँति पढ़कर समझना तथा उसमें उल्लिखित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में अपनी शिक्षण योजनाएं निर्धारित करना।
- शिक्षण अधिगम व विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता के दृष्टिकोण से कठिन समझे जाने वाले स्थलों का चिह्नांकन तथा उनके सरलीकरण व सामान्यीकरण हेतु कार्य योजना तैयार करना।
- जटिल, पारिभाषिक व तकनीकी शब्दावली को सरलीकृत करना।
- प्रत्येक प्रकरण में लर्निंग आउटकम/पाठ्य बिन्दु से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व/परिवेशीय अनुभवों को जानना तथा उन्हें शिक्षण योजना का हिस्सा बनाना।
- विषय से संबंधित स्थानीय सामग्री, स्रोतों व संसाधनों की पहचान करना तथा योजनाबद्ध तरीके से उनका उपयोग करना।
- विद्यार्थियों को परिवेशीय(स्थानीय) इतिहास, भौगोलिक परिदृश्य, स्थानीय प्रशासन व लोक संदर्भों से जोड़ना तथा इनसे संबंधित शोध, साक्षात्कार, सर्वे, संकलन आदि कार्य कराना।
- साहित्य, लोकसाहित्य, जनश्रुतियों व किंवदन्तियों में वर्णित भूगोल, इतिहास, नागरिक जीवन व अर्थशास्त्र से संबंधित विवरणों/वृत्तान्तों को जानना तथा उनकी प्रामाणिकता ज्ञात करना।

साहित्य में वर्णित विवरणों/प्रसंगों में रचनात्मक छूट की गुंजाइश होती है। साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त जानकारियों का प्रामाणिक स्रोतों से मिलान आवश्यक है। इसी प्रकार राजनैतिक विचारधाराओं, तत्कालीन परिस्थितिगत निर्णयों, निर्धारित की गई व्यवस्थाओं, लागू किए गए नियमों आदि पर पर्याप्त तार्किक चर्चाएं आवश्यक होंगी। विद्यार्थी तत्कालीन परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों का तार्किक विश्लेषण करें तथा किसी थोपी गई राय के बजाय बड़े समूह में चर्चा द्वारा परस्पर सामूहिक निष्कर्ष की ओर जाएं।

हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हर विषय की अपनी प्रकृति होती है, जो उसे अन्य विषयों से अलग करती है। यह प्रकृतिगत भिन्नता या विविधता प्रत्येक विषय की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं पर भी लागू होती है। पर, कदाचित यह देखने में आता है कि हम सभी विषयों का शिक्षण लगभग समान तरीकों से ही करते हैं। इससे न केवल विषयगत विशिष्टता प्रभावित होती है बल्कि विद्यार्थियों के कहीं ज्यादा बेहतर रूप में सीख पाने की संभावनाओं पर भी असर पड़ता है। अतः यह जानना आवश्यक होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तथा विषयगत

भिन्नता के आधार पर शिक्षण विधियों एवं तरीकों में किस किस प्रकार के बदलाव किए जा सकते हैं।

किसी भी अन्य विषय की तरह सामाजिक विज्ञान का अध्ययन केवल सूचनाओं/विवरणों को एकत्र करना, रटना या प्रश्नोत्तर देना भर नहीं है बल्कि इसके जरिए अर्जित ज्ञान और समझ को जीवन की विविध परिस्थितियों में तार्किक रूप से उपयोग कर पाने की दक्षता अर्जित करना है। अतः सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत विषयगत धारणाओं, मान्यताओं, तथ्यों आदि को पुष्ट करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि सुनी–सुनाई बातें, साक्ष्यहीन संदर्भ, पूर्वाग्रह, किंवदन्तियों, जनश्रुतियों के बजाए प्रामाणिक तथा वैज्ञानिक निष्कर्षों और शोध साक्ष्यों के आधार पर मान्य जानकारियां ही विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत की जाएं। जिन्हें वे अपने अध्ययन, अनुभवों, अनुप्रयोगों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षो से मिलान कर ग्रहण करना सीखें।

शैक्षिक नवाचारः कक्षा कक्षीय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ–साथ शैक्षिक नवाचार कराया जाना विद्यार्थियों में विषयगत रुचि–रुझान के अतिरिक्त विविधता पूर्ण वातावरण भी उपलब्ध कराता है। अतः समय–समय पर इस प्रकार के नवाचार कराया जाना आवश्यक होगा। ऐसे कुछ नवाचार इस प्रकार के हो सकते हैं–

पत्रिका का प्रकाशन, अवेयरनेस कैम्पेन, पोस्टर निर्माण, वाद–विवाद, संभाषण, क्विज, पुस्तकालय समय, साक्षात्कार, शैक्षिक भ्रमण, सर्वे, शार्ट वीडियोज/रील्स व एनीमेशन बनाना, रोल प्ले, स्थानीय पाठ्यक्रम का विकास, शोध आधारित प्रोजेक्ट कार्य, सामाजिक विज्ञान क्लबों का संचालन।

सामान्य समझ पत्र

अध्ययन के एक विषय के रूप में समाज विज्ञान ने पिछली दो सदियों में आकार ग्रहण किया है। इससे पहले यह अपने घटक विषयों– इतिहास, भूगोल, राजनीति/नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के रूप में पठन–पाठन का विषय रहा हैं। इन विषयों पर साहित्य लिखने का क्रम तो करीब ढाई हजार वर्ष पूर्व से जारी है। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र ईसापूर्व चौथी सदी का ग्रंथ है। प्लेटो की रचना ''रिपब्लिक'' का रचनाकाल ईसापूर्व 380 वर्ष है। 'अर्थशास्त्र' समकालीन राज्य प्रबन्धन(शासन, कला, राज्य व्यवस्था) की एक उत्कृष्ट रचना है तो 'रिपब्लिक' न्याय और राजनीति शास्त्र का आदर्शवादी ग्रंथ। इस तरह की अनेकानेक पुस्तकें, नीति, धर्माचार तथा राज्य संचालन व समाज के नियमन के लिए बनाए गए अब तक के विधान समाज विज्ञान की धरोहर हैं।

हजारों–लाखों वर्ष की विकासयात्रा में मानव समाज अपने परिवेश, पर्यावरण और प्रकृति से सहकार और संघर्ष के रिश्ते बनाता रहा है। एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य ने बाकी समाज से और एक समाज ने दूसरे समाजों के साथ भी तरह–तरह के संबंध बनाए हैं।

इन अनुभवों का विश्लेषण करके मानव जाति ने विभिन्न विज्ञानों और कलाओं का स्वरूप निर्धारित किया है। भौतिकी, रसायन, जीव व वनस्पति विज्ञान आदि विषय इसी क्रम में विकसित हुए हैं। मनोविज्ञान मनुष्य और समाज दोनों के व्यवहारों की व्याख्या करता है। विभिन्न समाजों ने अपने अनुभवों, कहावतों, मुहावरों, चुटकुलों, धारणाओं, भावनाओं और कल्पनाओं को कहानी, कविताओं जैसे साहित्यिक रूपों में प्रकट करना सीखा है। चित्रकारी और शिल्पों का इतिहास तो भाषा से भी ज्यादा पुराना है। लाखों वर्ष पहले हमारे पुरखों द्वारा पत्थर की दीवारों पर अमिट रंगों से बने चित्र आज तक हमें जहाँ–तहाँ मिल जाते हैं। ये सब समकालीन सामाजिक परिस्थितियों के साक्ष्य हैं। यह सभी मानविकी और एक तरह से समाजशास्त्र की भी अध्ययन संपदा हैं।

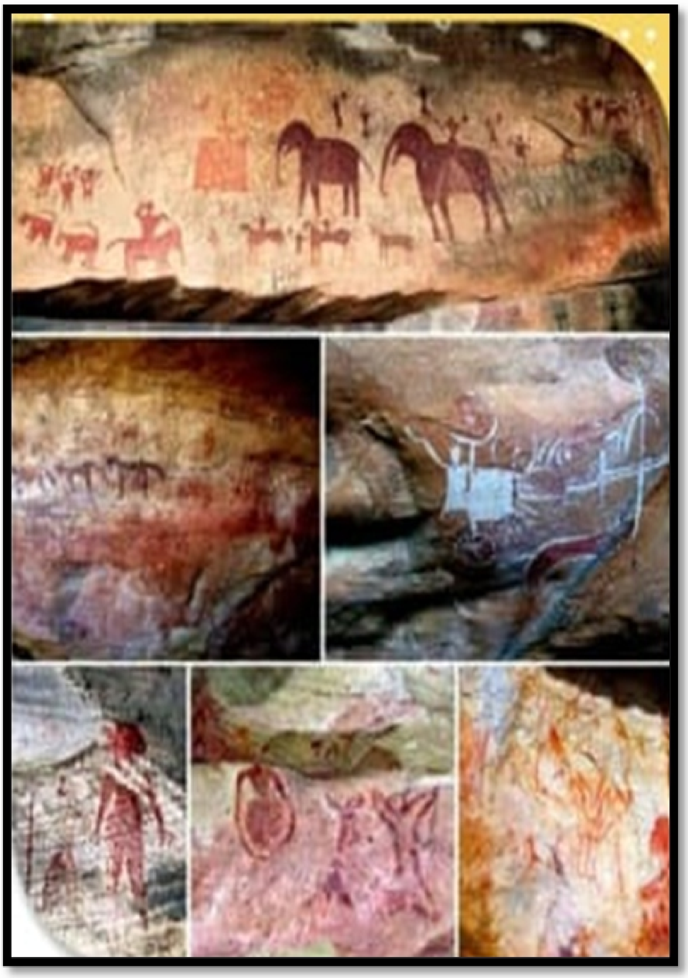

समाजशास्त्र और समाजविज्ञान –

सामाजिक विषय पढ़ते–पढ़ाते हुए दो शब्द अक्सर हमारी नजर में आते है– समाजशास्त्र और समाज विज्ञान। दोनों में कोई स्पष्ट विभाजन कर पाना कठिन काम है। क्योंकि ऐसा कोई

विभाजन है ही नहीं। ये अलग अलग समय पर किए गए इस विषय के नामकरण हैं। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि विषयवस्तु के रूप में समाज के विकास, संचालन, शिक्षा–दीक्षा, भरण–पोषण, और मानसिक उन्नति के लिए रचा गया समस्त साहित्य समाजशास्त्र के अन्तर्गत आ जाता है। जब हम इनका तथ्यों, घटनाओं के रूप में विश्लेषण करते हैं और इनमें समाज विकास के नियमों–सिद्धांतों की खोज करते हैं तो यह विज्ञान का रूप ले लेता है। विज्ञान के नियम, निष्कर्ष या सिद्धांत सार्वजनीन होते हैं। उदाहरण के लिए जब हम विभिन्न महाद्वीपों में देशों के निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं तो उसके तीन मुख्य कारण दिखाई पड़ते हैं–

1. राजतंत्रों (सामंतवादी व्यवस्था) के प्रति जनता का असंतोष और विद्रोह
2. ज्ञान–विज्ञान, व्यापार और उद्योगों के साथ समाज की चेतना (समझ) का विकास तथा राजतंत्र का औद्योगिक सभ्यता के लिए अनुपयोगी हो जाना
3. साम्राज्यवादी/उपनिवेशी गुलामी के विरुद्ध– गुलाम देशों की जनता की आजादी और स्वशासन की इच्छा।

इनसे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि विज्ञान और टैक्नोलोजी पर आधारित औद्योगिक सभ्यता के लिए, राजतंत्र या बादशाहतें उपयोगी नहीं हैं, बल्कि संसदीय लोकतंत्र उपयुक्त हैं। संसदीय लोकतंत्र की तुलना में राजतंत्र पिछड़ी हुई (Outdated) व्यवस्था है।

समाज विज्ञानः सांसारिक वस्तुओं और घटनाओं के कारणों की समझ

प्राकृतिक विज्ञानों का कार्य–कारण नियम और सिद्धान्त थोड़ा फेरबदल के साथ समाज विज्ञान पर भी लागू होता है। हमारे चारों ओर एक विराट दुनिया है, हमारी पृथ्वी, सौरमंडल और ब्रहमाण्ड हैं। इन्हें देखकर हमारे मन में उत्पत्ति और विकास संबंधी अनेक सवाल पैदा होते हैं। हमारे पुरखों में भी ऐसी जिज्ञासा थी। उन्होंने उसका समाधान खोजने की कोशिश की। एक प्राचीन यूनानी विचारक फालिस कहते थे– यह दुनिया पानी से पैदा हुई है। यहीं का एक और विचारक डैमोक्रिट्स कहता था, संसार की सभी चीजें बारीक कणों से बनी हैं। एक प्राचीन भारतीय ऋषि कणाद ने अनुसार– यह सारा ब्रह्मांड पदार्थ से बना है। हर पदार्थ– यानि मानव शरीर भी बहुत सूक्ष्म कणों से बना है। आधुनिक विज्ञान ने परमाणु के भी छोटे अवयवों– इलेक्ट्रॉन, प्रोटान और न्यूट्रान की खोज करके इस धारणा को प्रमाणित कर दिया है। आधुनिक समाज विज्ञान भी संसार की सभी जैविक और अजैविक वस्तुओं को एक ही श्रेणी में रखता है।

मनुष्य और उनका समाज स्वयं विभिन्न रासायनिक– जैविक तत्वों का संगठन है। हमारी समझ/चेतना जिस मस्तिष्क में मौजूद रहती है वह एक खास पदार्थ का बना है। हमसे बाहरी दुनिया के पदार्थ हमारी ज्ञानेन्द्रियों (आँख, कान, मुँह, नाक, त्वचा) पर असर डालते हैं और अनुभूतियाँ (फीलिंग्स) पैदा करते हैं।

आधुनिक समाज विज्ञान बताता है कि हमसे बाहर की वस्तुगत, प्राकृतिक दुनिया हमारी समझ/चेतना से स्वतंत्र है। इस अर्थ में कि यह हमारी मनमानी से नहीं चला करती। यदि हम चाहें कि पत्थर पानी में तैरना शुरू कर दे तो यह असंभव होगा। यहाँ आर्किमिडीज का तैरने का सिद्धांत काम करेगा। यानि ठोस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार, वस्तु के कुल भार से ज्यादा हो तभी कोई वस्तु तैरेगी। पानी में डाला गया पत्थर हमारी इच्छा के विपरीत पानी में

डूब जाएगा। व्यक्ति के रूप सें एक सीमा तक मानव संगठनों पर हमारा नियंत्रण चल सकता है परन्तु व्यक्तियों की स्वतंत्रता और असहमतियों को स्थान देते ही समाज की अधिकतर घटनाओं पर सिर्फ एक व्यक्ति का यांत्रिक नियंत्रण असंभव हो जाता है। यहां संख्याओं की जरुरत होती है।

समाज विज्ञान में गति –

गति का अध्ययन भौतिकी के साथ समाज विज्ञान का भी विषय है। भौतिकी और समाज विज्ञान दोनों के अनुसार पदार्थ और गति परस्पर संबंधित हैं। न पदार्थ/वस्तु के बिना गति संभव है, न गति के बिना पदार्थ। एक जगह पर स्थिर दिख रही वस्तुओं में परमाणु सतत गतिशील रहते हैं। समाज विज्ञान की सभी घटनाएँ मानव समूहों/समुदायों के लगातार गतिशील रहने का परिणाम हैं। समाज विज्ञान सभी प्रकार के वस्तु जगत और मानव जगत की गतियों को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत करता है–

1. **यांत्रिक गति–** भौतिक पदार्थों में कणों का एक से दूसरी जगह अंतरण।
2. **भौतिकीय गति–** यह ताप और विद्युत से संबंधित है और परमाणुओं के भीतर होती है।
3. **रासायनिक गति–** अणुओं का संयोजन–वियोजन
4. **जैविक गति–** जीव–जंतुओं का विकास (नृवांशिक)
5. **सामाजिक गति–** मानव समाज का विकास (समूहों, संगठनों, संस्थाओं के रूप में)

समाज विज्ञान गतियों की नाप–जोख नहीं करता बल्कि गति के कारणों की दार्शनिक व्याख्या करता है। समाज विज्ञान के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं में गति का कारण है। दो विरोधी शक्तियों की एकता और टकराहट– यानि द्वंद्व। एक ही पदार्थ/वस्तु में भी परस्पर विपरीत शक्तियाँ मौजूद रहती हैं। किसी भी ग्रह का पदार्थ/चट्टानें यद्यपि स्वतंत्र होकर बिखर जाने की प्रवृत्ति रखती हैं, लेकिन ग्रह का गुरुत्व बल उसकी चट्टानों और मृदा राशि को बांधे रखता है। सूर्य के आकर्षण से ही पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। स्वयं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे अपने परिक्रमा पथ से विचलित नहीं होने देता। वह सूर्य से नहीं जा मिलती। दोनों के गुरुत्व का सामूहिक नतीजा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना।

सामाजिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना

चेतना और समझ लगभग पर्यायवाची हैं। समाज विज्ञान और मनोविज्ञान के अब तक के अनुभव सिद्ध करते हैं कि मानव के मन/मतिष्क में कोई अनुभूति अपने आप नहीं उपजती। उसके पीछे कोई तात्कालिक या दीर्घकालिक कारण जरूर होता है। हमारे विचार बाहरी जगत के आत्मपरक बिंब है। इन्हें हम बाहर से लेते और अपने पूर्वज्ञान से मिलाकर दिमाग में धारण कर लेते हैं। मस्तिष्क की खरबों कोशिकाएं सैकड़ों हजारों विचारों को स्मृति के रूप में धारण करने में सक्षम हैं। बाहरी संसार और समाज से प्राप्त अनुभव, अर्थकोड के रूप में मनुष्य के दिमाग में अंकित होते रहते हैं। इन्हीं के साथ हमारे अनुभव और विचार लगातार विकास करते रहते हैं।

बाहरी संसार और समाज से मिले अनुभव मस्तिष्क पर विकास के लिए दबाव बनाते हैं। एक खास तरह का तनाव पैदा होता है और दिमाग में नई समझ के लिए जगह तय होती है। नई समझ बनाने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। वनमानुषों के दिमाग का औसत आयतन 400 घन से.मी. होता है और आज के विकसित मनुष्य के दिमाग का औसत आयतन 1400 घन से.मी. है। यह मनुष्य के विचारशील होते जाने और निरंतर भाषा का उपयोग करने से संभव हुआ है।

एक मनुष्य की चेतना व्यक्ति के रूप में सोच विचार के लिए स्वतंत्र होती है लेकिन बहुधा वह सामाजिक चेतना का अंश होती है। किसी भी सामाजिक चेतना के खिलाफ असहमति या विरोध भी एक चेतना ही है। विरोध या असहमति हमेशा नकारात्मक नहीं होते। झूठ के खिलाफ सच बोलने का आग्रह सकारात्मक चेतना है। अन्याय, उत्पीड़न का विरोध सकारात्मक चेतना है, अंग्रेजी साम्राज्य के शोषण के खिलाफ भारतीय जनता का प्रतिरोध लोगों की विद्रोही परन्तु एक सकारात्मक चेतना थी। यह पहले कुछ लोगों के मन में थी, फिर सामूहिक, सामाजिक बनी और अंत मे राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बन गई।

एक ही विचार को मानने वाले कुछ या अधिक लोग हो जाते हैं तो एक खास तरह का मतवाद– पंथ, समुदाय या संप्रदाय बन जाता है। यह सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक हो सकता है। समाज–विकास की प्रक्रिया में नई घटनाओं के साथ नए विचार भी पैदा होते हैं। उनकी कसौटी पर पुराने विचारों को कसा जाता है। उन्हें सुधारा या बदला जाता है। तर्क, आलोचना तथा व्याख्या, तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण करने के साधन हैं। वास्तव में आलोचना निंदा नहीं है। एक ही समाज में विरोधी विचारों के लोगों का साथ रहना सहिष्णुता का परिचायक है।

समाज का विकास : टेढ़ा रास्ता

किसी भी समाज का विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं होता। विभिन्न घटनाओं का प्रभाव एक दूसरे और समाज पर पड़ता है। एक ही समाज, राज्य में रह रहे विभिन्न समुदायों, वर्गों के हित एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये समय–समय पर टकराते भी रहते हैं। इन सब के सम्मिलित प्रभाव में समाज विकास करता है। द्वंद्व और सहयोग/सहकार के नियम पदार्थों की तरह समाज विकास पर भी लागू होते हैं। अनेक बार सत्ता में बैठे वर्ग जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते। स्वार्थ का शिकार हो जाते हैं, तब जनता के आंदोलन फूट पड़ते हैं। ऐसे में विभिन्न सामाजिक या राजनीतिक संगठन समझौतों द्वारा समस्या का हल निकालते हैं या राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन होता है।

यथास्थिति और प्रगति

राज्य और समाज में विकास चाहने वाली और उसे रोकने वाली शक्तियाँ मौजूद रहती हैं। 1789 के आस–पास फ्रांस में ऐसी दो शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। राजा (लुई सोलहवां) उसके दरबारी, सामंत जागीरदार आदि फ्रांस में औद्योगिक सभ्यता के विकास में रुकावट बन गए। वे उद्योगों तथा व्यापार के विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा लेखकों, कलाकारों,

बुद्धिजीवियों की अभिव्यक्ति की आजादी के विरोधी थे। ऐसा वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जनता से कर और बेगार लेकर अपने खजाने भरने के लिए कर रहे थे। साधारण लोग बेकारी और गरीबी के शिकार थे। किसान राजा और चर्च द्वारा लगातार वसूले जा रहे करों के कारण परेशान थे। मजदूरों को रोजगार की आजादी नहीं थी। राजाओं/बादशाहों और सामंतों का जरा भी विरोध करने पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता, यंत्रणाएँ दी जातीं। इस स्थिति में फ्रांस की साधारण जनता, बुद्धिजीवियों, कलाकारों और उद्योगपतियों ने मिलकर विद्रोह कर राजा का तख्ता पलट दिया। जनता ने फ्रांसीसी संसद की स्थापना की। फ्रांस एक लोकतांत्रिक राज्य बना। कुछ बाधाओं के बावजूद धीरे–धीरे फ्रांस संसार का एक विकसित देश बन गया।

मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि तथा विकास

मात्रात्मक और गुणात्मक विकास का सिद्धांत, जीव विज्ञान व रसायन विज्ञान के साथ समाज विज्ञान में भी अपनी तरह से लागू होता है। यह व्यक्ति और समाज दोनों स्तरों पर संभव है। पृथ्वी पर एक कोशिकीय अमीबा की उत्पत्ति के बाद यदि वे संख्यात्मक रूप से ही बढ़ते रहते तो हमारी पृथ्वी पर आज उनकी एक मोटी परत जमी हुई होती, पर ऐसा नहीं हुआ।

एक कोशीय अमीबा द्विकोशीय और फिर बहुकोशीय जीव बना। आज मनुष्य और अन्य हजारों जीवधारियों के शरीर अरबों–खरबों कोशिकाओं से बने हैं। सभी शरीर विभिन्न आकार की कोशिकाओं के संगठन हैं। ये एककोशीय अमीबा से मात्रात्मक रूप से ही नहीं बल्कि गुण और कौशलों तथा क्षमताओं के रूप में भी बहुत भिन्न है। एक पच्चीस वर्ष का स्वस्थ युवक एक बच्चे की तुलना में मात्रा ही नहीं गुणात्मक रूप से भी बहुत भिन्न होता है। शारीरिक क्षमता, व्यवसाय संबंधी कौशल, अधिक भाषा क्षमता, अधिक ज्ञान, अधिक भार, आकार से वह तमाम ऐसे काम कर पाता है जो एक वर्ष का शिशु कभी नहीं कर सकता। यह बच्चे के शरीर में लगातार होती वृद्धि एवं विकास का परिणाम है, जो अपने परिवेश और बाहरी दुनिया से निरंतर संपर्क और अंतःक्रिया के फलस्वरूप होते हैं।

राजनीति/नागरिकशास्त्र में इसका एक उदाहरण, गाँवों की आबादी, बसावट, सुविधाएँ, संसाधन और बाजार, व्यापार के धीरे धीरे बढ़ते जाने से उनका नगरों में बदल जाना है। ऐसे ही कारणों से जब किसी कमिश्नरी (अंचल) को राज्य (प्राविंस) में बदल दिया जाता है या राज्यों को देश में बदला जाता है तो उनके क्रियाकलापों में गुणात्मक बदलाव आ जाते हैं। यद्यपि उनमें पहले की कुछ विशेषताएँ भी बनी रहती हैं।

समाज का बुनियादी ढांचा और छतरी (अवरचना और अधिरचना)

किसी भी समाज की मुख्य संचालक शक्ति उसकी आर्थिक व्यवस्था होती है। आधुनिक विश्व में आर्थिक व्यवस्था के दो प्रमुख क्षेत्र हैं– कृषि और उद्योग। ये समाज के समस्त लोगों के लिए आहार और जीवनोपयोगी सामग्री का उत्पादन करते हैं। ये अर्थशास्त्र की भाषा में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। इन दोनों की सहायता के लिए और अर्थ व्यवस्था तथा समाज–व्यवस्था के विकास हेतु कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं। ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं।

मूलतः किसी समाज या राज्य के उत्पादक आर्थिक काम ही उसकी अवरचना (बुनियादी ढाँचे) बनाते हैं, इस ढाँचे की सुरक्षा के लिए खास तरह का राज्य और समाज एक छतरी (अधिरचना/ऊपरी ढांचा) बनाते हैं जो शिक्षा, कला, संस्कृति, सांस्कृतिक गतिविधियों, दार्शनिक, राजनीतिक विचारों आदि के रूप में होता है।

राज्य एवं समाज का बुनियादी ढांचा और ऊपरी ढांचा एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। कभी–कभी ये एक दूसरे को बदलते हैं और कभी–कभी खुद भी बदल जाते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस का बुनियादी और आर्थिक ढाँचा बदल गया था। समाज में उद्योगपति, व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, व्यापार, कला और शिल्प का विकास हो चुका था। अखबार निकलने लगे थे। लेकिन शासन–सत्ता राजा और उसके कारिंदों के हाथ में थी। ये स्वयं कोई उत्पादक काम नहीं करते थे, लेकिन व्यापार, बाजार, नई खोजों और तकनीक के विकास पर रोक लगाते थे, मजदूरों को रोजगार की आजादी न थी, किसानों पर तरह–तरह के कर लगाते थे। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। राज्य और धर्म (चर्च) जनता से बड़ी मात्रा में राज्यकर व धर्मकर (दशमांश) वसूलते थे। कृषि के तरीके बहुत पुराने थे। ऐसे में जनता और समाज के जागरूक वर्गों ने विद्रोह किया। श्रमिकों, उद्योगपतियों, बुद्धिजीवियों ने राजतंत्र की इस छतरी को उखाड़ फेंका और ज्ञान, विज्ञान, कृषि व उद्योग के विकास के लिए फ्रांस में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की।

समाज विकास और मानव श्रम

मनुष्य और समाज के विकास का सबसे बड़ा कारक मनुष्य का उत्पादक श्रम है। नृवंश विज्ञानियों का मत है कि मनुष्य के वन्य अवस्था से मनुष्य के रूप में आ जाने में सबसे बड़ी भूमिका श्रम की ही है। नृवंश विज्ञानियों के अनुसार वानरों की जिस प्रजाति ने सबसे अधिक प्रकार के श्रम किए वहीं शनैः शनैः मानव जाति में बदली और विकसित हुई। करीब 3 करोड़ 70 लाख वर्ष पहले की प्रोंकोसुल अवस्था से आज के विकसित मानव का रूप लेने में मानव श्रम, सामूहिकता और सामाजिकता की प्रमुख भूमिका रही है। सभी प्रकार का ज्ञान और कौशल मानव श्रम की उपज है। समाज विज्ञानियों–अर्थशास्त्रियों ने आधुनिक विश्व में करीब 48000 प्रकार के श्रमों की पहचान की है। श्रम ही वस्तुओं में मूल्य पैदा करता है और उन्हें माल (कमोडिटी) में बदलता है।

कुछ सामाजिक मान्यताएँ और वास्तविकता–

समाज और उसकी स्थिति को लेकर हमारे समाज में कुछ ऐसी मान्यताएं मौजूद हैं जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक और तार्किक कारण नहीं है। जैसे कि हमारा अतीत बहुत अच्छा था, स्वर्णिम था, वर्तमान बिगड़ चुका है और भविष्य बिलकुल अंधकारमय है। यह मान्यता हमें निराशा और अकर्मण्यता का शिकार बना सकती है। विश्वभर में मानव समाज थोड़ा आगे या पीछे क्रमशः वन्य, बर्बर युग से होता हुआ कृषि युग और आज के लोकतांत्रिक समाज की स्थिति तक पहुंचा है। संसार ने पूँजीवादी और समाजवादी दोनों ही प्रकार के लोकतंत्र देखे हैं, और दोनों आधुनिक व्यवस्थाएं हैं। समाज विकास की वन्य और बर्बर अवस्थाओं में भोजन और बीमारियों का उपचार आसानी से सुलभ नहीं था। भोजन के लिए झगड़े और हिंसक युद्ध होते

थे। प्राकृतिक आपदाओं से बचने और बीमारियों से इलाज के साधन नहीं थे। कृषि अवस्था ने भोजन की समस्या को बड़ी सीमा तक हल किया। पहले घरों के निर्माण से संबंधित मनुष्य का ज्ञान बहुत सीमित था। गुफाओं और झोपड़ियों से होते हुए लकड़ियों और मिट्टी, पत्थर के घरों से होता हुआ अब भवन निर्माण का हमारा कौशल महलों, धार्मिक इमारतों, विशाल किलों और आज की बहुमंजिला भूकंपरोधी इमारतों के निर्माण कौशल तक पहुँचा है। कोई चार, पांच सौ साल पहले तक भी लोग एक से दूसरे स्थान की दूरियाँ पैदल, घोड़ों, रथों, बैलगाड़ियों, बग्घियों से तय करते थे। इसमें हफ्तों–महीनों लग जाते थे। आज बसों, रेलों और हवाई जहाजों से कुछ ही घंटों में हमे एक से दूसरे देश और एक से दूसरे महाद्वीप में पहुंच सकते हैं।

मानव स्वास्थ्य भी औसत से बेहतर हुआ है और मनुष्य की औसत आय बढ़ी है। करीब डेढ़ सौ साल पहले हैजा और चेचक जैसी बीमारियों से कुछ ही दिनों में लाखों लोग बेइलाज मर जाते थे। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक की खोज ने दर्जनों बीमारियों का त्वरित इलाज संभव बना दिया है। भुखमरी और अकाल अब कम हैं। भूकंप, सुनामी और तूफानों की भविष्यवाणी काफी हद तक सटीक संभव हैं ताकि बचाव के उपाय किए जा सकें। राजाओं और बादशाहतों के जमाने में साधारण जनता की आवाज बहुत कम सुनी जाती थी। न्याय, कानून और जनकल्याण एक व्यक्ति की इच्छा और समझ पर निर्भर था। आज राज्य के संचालन के लिए हमारे पास संविधान है, सरकारें चुनी जाती हैं। नागरिक वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। मनुष्यता आज संस्थाबद्ध हो चुकी है। देश या राज्य अपने नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति की सुरक्षा और रोजगार की जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। विकास की पंचवर्षीय योजनाएँ बनती हैं। विभिन्न विषयों के ज्ञान की करोड़ों पुस्तकें सुलभ हैं। किसी भी महामारी की दशा में सारा संसार उसका सामना करने को एक हो जाता है। इसलिए यह कहना कि अतीत में सबकुछ था, सही नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि पिछले हजारों वर्षों में समाज ने कोई भी काम या प्रगति नहीं की, यह धारणा ठीक नहीं होगी।

एक विषय के रूप में समाज विज्ञान के सामने फिर भी कुछ चुनौतियाँ हैं। उत्पादन के संसाधनों और राज्य की आय का न्यायसंगत वितरण, शोषण और अति मुनाफे की प्रवृत्ति जातीय नस्लीय या धार्मिक संकीर्णताएं, जेंडर संबंधी भेदभाव तथा पर्यावरण की सुरक्षा ऐसे कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित (Address) करने की जिम्मेदारी समाज विज्ञान के हिस्से में आती है। इन्हें कुशलतापूर्वक शिक्षण का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

सामाजिक विज्ञान के शिक्षक साथियों के समक्ष यह भी चुनौती है कि वे प्राकृतिक विज्ञानों की भांति इस विषय को भी वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाएं, जिससे बच्चों में इस विषय के प्रति सकारात्मक रुझान उत्पन्न हो सके। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के विभिन्न प्रकरणों को पढ़ाते समय उन्हें समाज के विकास क्रम को बारीकी से समझाना होगा। इस समझ को बच्चों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि ऐसा दस्तावेज हो जो सामाजिक विज्ञान को रोचक ढंग से पढ़ाने में सहायता प्रदान कर सके। यह संदर्शिका इसी भूमिका में है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत चारों विषयों की पाठ्यवस्तु पर आधारित अध्यायों का वर्गीकरण निम्नलिखित है –

क्रम संख्या	कक्षा	सामाजिक विज्ञान				कुल अध्याय
		इतिहास	भूगोल	नागरिक शास्त्र	अर्थशास्त्र	
1.	9	05	06	05	04	20
2.	10	05	07	05	05	22

कक्षा 9 एवं कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को रुचिकर एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इस दस्तावेज में सामाजिक विज्ञान विषयक समझ पत्र के साथ इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के अवधारणा पत्र रखे गए हैं। समझ पत्र और अवधारणा पत्र इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं कि कदाचित विषय शिक्षकों की अनुपस्थिति में अन्य शिक्षक भी इस विषय की आधारिक समझ के साथ बच्चों से संवाद स्थापित कर सकें। साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित लर्निंग आउटकम के आधार पर पहली बार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा तथा एससीईआरटी के मार्गदर्शन में सामाजिक विज्ञान के लिए लर्निंग आउटकम का विकास किया गया है। इनसे सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों की अधिकतम अधिगम संप्राप्ति का मैपिंग किया जा सकेगा। समस्त पाठ्यक्रम को विषयवार एवं दिवसवार विभाजित किया गया है।

कक्षा 9 में 205 से 210 शिक्षण दिवसों में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है वहीं कक्षा 10 में पाठ्यक्रम को मानचित्र अभ्यास कार्य सहित 215 से 220 दिनों में विभाजित किया गया है। शैक्षिक पंचाग के अनुसार निर्धारित अवशेष कार्य दिवसों में अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाएं, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन एवं अन्य परीक्षा संबन्धी कार्य तथा बच्चों को अतिरिक्त सहयोग प्रदान किए जाने वाले कार्य किए जा सकेंगे।

भूगोल

केन्द्रिक लर्निंग आउटकम

1- तथ्यों, आँकड़ों को पहचानता और पुनः प्राप्त करता है और प्रक्रियाओं को अभिव्यक्ति दे पाता है, जैसे–

- भारत के मानचित्र पर स्थान, राज्य, संघराज्य क्षेत्र और अन्य भौतिक विशेषताएं बता सकता है।
- विभिन्न भौतिक विशेषताओं, वनों के प्रकार, मौसम आदि को पहचानता है और उनका वर्णन करता है।
- भूगोल में महत्वपूर्ण शब्दों, जैसे– मानक मध्याहन, जल निकासी, बेसिन, जल विभाजन, मानसून, मौसम, जलवायु, वनस्पति, जीव, जनसंख्या घनत्व आदि का वर्णन करता है।
- गरीबी, साक्षरता, बेरोजगारी, लोगों की गिनती, अनुपात, खाद्य सुरक्षा, निर्यात और आयात जैसे सरल, आर्थिक शब्दों को परिभाषित करता हैं।
- उत्पादन के विभिन्न कारकों को सूचीबद्ध करता है।
- मानचित्र पर ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का पता लगाता है।
- कुछ एक सामाजिक समूहों की अर्थव्यवस्थाओं और आजीविकाओं का वर्णन करता है।
- परिवेश में भौतिक सुविधाओं को वर्गीकृत करता है और उसकी तुलना अन्य स्थानों की भौतिक विशेषताओं से करता है। जनसंख्या, वर्षा जैसे विभिन्न आँकड़ों की तुलना करता है।

2- घटना, कार्यक्रमों और उनकी घटना के बीच कारण और प्रभाव संबंध बताता है, जैसे–

- प्रदूषण और लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव डालने वाले कारकों की जाँच करता है।
- एक क्षेत्र की नदी, जलवायु, जनसंख्या वितरण, वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करता है।
- यह बताता है कि समकालीन दुनिया में विभिन्न सामाजिक समूहों ने कैसे बदलावों का सामना किया और इन परिवर्तनों का वर्णन करता है।

3- विश्लेषण और जानकारी का मूल्यांकन करता है, जैसे–

- भारत/विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायु का विश्लेषण करता है।
- वनों की कटाई के लिए अग्रणी कारकों की जाँच करता है।

4- व्याख्या करता है, जैसे –

- भारत में नदी प्रणालियों के मानचित्र, प्राकृतिक भूगोल संबंधी, जनसंख्या वितरण की।
- दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए माल और लोगों के आवागमन के मानचित्र की।
- कार्टून की
- तस्वीरों की
- पोस्टरों की

5- सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर्संबंध जोड़ता है, जैसे–

- ऐतिहासिक काल में व्यापार और संचार के लिए भारत में विभिन्न रास्तों और समुद्री बंदरगाहों के बीच अंतर्संबंध बताता है।
- चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के भौगोलिक महत्व की जाँच करता है। कृषि के एक घटक के रूप में खाद्य सुरक्षा का विश्लेषण करता है।
- जनसंख्या वितरण और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है।
- वनवासियों, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के आजीविका पैटर्न की व्याख्या करता है।

6- **मान्यताओं/पूर्वाग्रहों/रूढ़ियों की पहचान करता है, जैसे–**

- ग्रंथ
- दृश्य
- भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लोग
- समाचार

7- **जिज्ञासा/पूछताछ के कौशल को प्रदर्शित करता है, अर्थात इससे संबंधित प्रश्नों को प्रस्तुत करता है, जैसे –**

- भौगोलिक घटनाएँ, जैसे–मानसून का तंत्र और प्राकृतिक आपदाओं का कारण।

8- **एकत्रित/दी गई जानकारी के आधार पर तर्कों/विचारों का निर्माण करता है, जैसे –**

- विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के साथ लोगों का अनुकूलन

9- **कार्यक्रमों और घटनाओं का पहले से अनुमान लगाता है, जैसे–**

- मौसम
- प्रदूषण और बीमारियाँ
- अकाल और गरीबी

10- **निर्णय लेने/समस्या सुलझाने के कौशल दर्शाता है, जैसे –**

- जल प्रदूषण के प्रभाव को कम करना
- संसाधनों का संरक्षण
- ऐतिहासिक घटनाओं और विकास में संसाधनों की उपयुक्तता पर निर्णय लेना

11- **संवेदनशीलता और प्रशंसा–कौशल दर्शाता है, जैसे –**

- प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं, युद्ध, राजनीतिक संघर्ष व अन्य कारणों से प्रभावित लोगों के साथ सहानुभूति रखता है।

अवधारणा पत्र

खुले मैदान में कभी–कभी धूप में खड़े होकर अपने चारों ओर देखेंगे तो हमें अपने चारों ओर ऊपर–नीचे अनेक चीजें दिखेंगी। दूर तक फैला मैदान, पृथ्वी–आकाश के बीच क्षितिज रेखा, नीला आकाश, बादल, चमकता सूर्य, गहरे हरे पत्तों वाले पेड़, मिट्टी के रंग और प्रकृति की अन्य अनेक चीजें। रात को यह दृश्य बदलेगा, प्रकृति की इन चीजों में से ज्यादातर को अंधेरे की काली चादर ढक लेगी। तब आकाश में तारे चमकते होंगे या चांद। प्रकृति की ये सारी चीजें भूगोल का हिस्सा है।

इन्हें जानने समझने की कोशिश में हम पहले इन चीजों का रूप/सौंदर्य देखते हैं। उनका आकार–प्रकार जाँचते परखते हैं, उनसे संबंधित विविध कल्पनाएं करते हैं। जिज्ञासा बढ़ी तो इन वस्तुओं के बनने की प्रक्रिया को जानते समझते हैं और एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यह निष्कर्ष किसी खास ज्ञान या विज्ञान से संबंधित हो सकता है। भूगोल इनमें से एक है। भूगोल हमारी पृथ्वी के सभी प्राकृतिक पिंडों, पदार्थों के आकार–प्रकार, उनके निर्माण की प्रक्रिया व उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। यह बहुधा स्वयं को उनके बाहरी भौतिक स्वरूप और उसके निर्माण के कारणों तक सीमित रखता है। यह रसायन विज्ञान और कण भौतिकी (क्वांटम फिजिक्स) की बारीकियों में नहीं जाता।

उदाहरण के लिए किसी बड़े मैदान के बीच हम कुछ पहाड़ियां देखते हैं तो उनकी उपस्थिति हमें सोचने को प्रेरित करती है कि यह यहां कैसे बनी, जबकि उनके चारों ओर, तीन ओर या दो ओर मैदान है। जरूर जमीन के भीतर किसी हलचल के कारण ऐसा हुआ होगा। जमीन के भीतर तीन ओर या चारों ओर से बीच के भाग पर दबाव पड़ रहा है। इस कारण बीच की भूमि वलित पहाड़ी के रूप में ऊपर उठ गई है। यह भूगर्भ की प्लेटों या चट्टानों के मध्य भाग की ओर दबाव के कारण हुई वलन की प्रक्रिया है और भूगोल का विषय है।

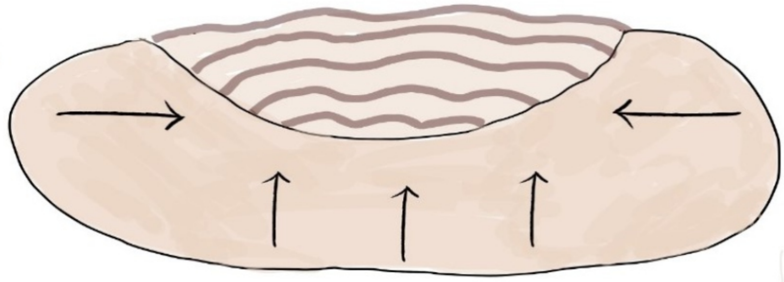

वलन

एक दृश्य चित्र के रूप में भूगोल कला है और प्राकृतिक क्रिया में विज्ञान। अन्य प्राकृतिक विज्ञान तो जैसे इसके बिल्कुल पड़ोसी हैं। ऊपर के चित्र में मैदान के चारों ओर से बीच पर पड़ता दबाव भौतिकी और भूगर्भ विज्ञान का भी विषय है। चित्र में दर्शित पहाड़ी पर यदि कोई व्यक्ति बागवानी करना चाहे तो उसे मिट्टी की जांच और पेड़–पौधों का चुनाव करना होगा। यह दोनों विषय रसायन विज्ञान और कृषि–बागवानी तथा वनस्पति विज्ञान के हैं। पृथ्वी के निर्माण का एक इतिहास है, इसे हम भूगोल और खगोल दोनों में पढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि भूगोल ने मानव सभ्यता के इतिहास को जन्म दिया है। पृथ्वी गोल है यह समझने में

मानव जाति को सदियां लग गईं। आधुनिक ज्ञान–विज्ञान, संचार और तकनीक के विकास ने पृथ्वी के आकार–प्रकार और अवयवों को समझने में बहुत मदद की है। अंग्रेजी का ज्योग्राफी शब्द जिओ(पृथ्वी) और ग्राफी (वर्णन करना) से मिलकर बना है।

आधुनिक सदियों में इसके विषयक्षेत्र का विस्तार हुआ है। अब मानव जाति के नृवांशिक (एंथ्रोपोलोजिकल) और सांस्कृतिक विकास को भी भूगोल के अध्ययन में शामिल माना जाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश के मूल निवासी ठीक वैसे ही नहीं है जैसे बर्फीले टुण्ड्रा प्रदेश के निवासी। यह अंतर उनके खास भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से रहने के कारण आया है। भारत में केरल और नेपाल तथा लद्दाख वासियों के रहन–सहन और रीति रिवाज में अंतर है। इसका कारण भारत के उत्तर–दक्षिण की भिन्न भौगोलिक स्थितियां हैं। खान–पान, भाषा–साहित्य व संगीत पर भूगोल का गहरा असर पड़ता है। किसी बर्फीले क्षेत्र की भाषा में बर्फ के लिए, रेगिस्तानी इलाके में रेत के लिए और समुद्री क्षेत्र में समुद्र के लिए अधिक शब्द मिलेंगे।

ज्ञान के एक अनुशासन के रूप में भूगोल की विषयवस्तु का विवरण कुछ इस प्रकार हैः– स्थल– भू आकृतियां– पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, मरुस्थल, महाद्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप उच्चावच या धरातल, मिट्टी की किस्में, शैल, स्थलीय जीव व वनस्पतियां, मौसम, जलवायु, भौगोलिक अवस्थितियां– अक्षांश, देशांतर रेखाओं सहित।

जल – सागर, समुद्री धाराएं, झीलें, नदियां, बादल, वर्षा, बर्फ, प्रभंजन, समुद्री तूफान, ज्वार भाटा, जलीय जीव जंतु व वनस्पतियां

वायु – पवन, पवनदाब, मानसून, वायु और ताप के विक्षोभ, आंधियां आदि

अंतरिक्ष – सौरमंडल, पृथ्वी की गतियां, समय, ब्रह्मांड से पृथ्वी के संबंध

आर्थिकी – कृषि, खनिज, ऊर्जा, व्यापार

समाज – जनसंख्या वितरण, सांस्कृतिक विशेषताएं, भाषाएं

भूगोल में और भी बहुत कुछ शामिल है। यह जिज्ञासा, उत्सुकता, सौंदर्य, स्पर्श, स्वाद, खुशी, रहस्य–रोमांच, जोखिम–तकलीफ उठाने के साहस, साझेदारी और आनंद का विषय है। भूगोल हमें गांव, शहरों ,स्टेशनों, बंदरगाहों और झुग्गी झोपड़ियों की बसावट की कहानी सुनाता है। भूगोल में नई–नई जगह को खोजने का उत्साह है। इसमें पर्वतारोहण का रोमांच और जोखिम है। इसमें नदी और सागर की लहरों पर संतरण की इच्छा है। भूगोल में बाढ़, सुनामी और भूकंप जैसी विभीषिकाएं हैं ,उनसे बचाव के उपाय हैं। इसमें तन सहलाती बसंत की हवा है तो लू और सर्द बर्फीली हवा के थपेड़े भी। भूगोल हमें आकाश की ऊंचाई की टोह लेने की इच्छा जगा सकता है। यह समुद्र की गहराइयों में जाकर अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों और वनस्पतियों के फोटो लेने की प्रेरणा प्रदान कर सकता है। भूगोल बताता है कि दिन और रात ही हमारे पास नहीं आते, हम भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए दिन से रात में और रात से दिन में प्रवेश कर सकते हैं। भूगोल बताता है कि प्रकृति और पर्यावरण के बीच रहते

हुए मनुष्य ने गीत–संगीत का निर्माण कैसे किया। भूगोल लंबे इतिहास में पृथ्वी के मानव बच्चों के बाकी जीवों की तुलना में महाबली बन जाने की कहानी है। बच्चे यह कहानी जरूर सुनना पढ़ना चाहेंगे। जरूरी यह है कि इसे सिर्फ किताब तक सीमित न रखा जाए।

यहां भूगोल से संबंधित कुछ गतिविधियां दी गई हैं जो नौवीं और दसवीं कक्षा के उन बच्चों के लिए खासकर उपयोगी हैं जिनकी विषय में रुचि नहीं बन पा रही है।

भूगोल में शुरूआती रूचि पैदा करने के लिए कुछ गतिविधियां

यह गतिविधियां सीधे पाठ्य पुस्तक की विषयवस्तु से संबंधित नहीं है पर विषय में रुचि पैदा करने में मददगार हैः –

बच्चों के साथ किसी पेड़ के पास जाएं। उसे जड़ों से लेकर ऊपर तक अच्छी तरह देखें। देखें कि उसकी जड़ों वाले हिस्से, बीच के हिस्से और ऊपर की शाखाओं में क्या फर्क है? इससे खुद पेड़ को क्या फायदे हैं? पेड़ की जड़ के पास क्या कुछ जीवों का निवास है? क्या उसके तने में कोटर है? तो उनमें कौन रहता है? पेड़ की शाखों पर किन जीवों ने घर बनाए हैं? चूहे जमीन में ही अपना बिल बनाना क्यों पसंद करते हैं और कठफोड़वा तने के भीतर क्यों ठिकाना बनाता है? पक्षी पेड़ की शाखों पर घोंसला बनाते हैं, ऐसा क्यों? यह तीनों पड़ोसी एक ही मकान की अलग–अलग मंजिलों पर क्यों रहते हैं? अगर चूहे को पेड़ के शाखों पर, चिड़ियों को जमीन पर बिल में रहने को कहा जाए तो क्या होगा? इस बातचीत को मनुष्य कैसी जगह आवास बनाना पसंद करते हैं– इससे जोड़ा जाए। बच्चे इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखें।

- **मस्तिष्क मंथन (ब्रेनस्टॉर्मिंग) के कुछ सवालों पर चर्चा–**

○ पृथ्वी गोल क्यों है चपटी क्यों नहीं है?

○ जब यह सूर्य से अलग हुई होगी तब इसका आकार कैसा रहा होगा?

○ पृथ्वी अपनी धुरी पर क्यों घूमती है? क्या यह संभव है कि किसी रोज घूमना बंद कर दे तो क्या होगा?

- **ग्लोब देखिए और बताइए** – आप भारत में हैं। यहां दिन का 9:00 बजा हैं। जापान में लोग रात का भोजन कर रहे हैं। आपके यहां शाम 7:00 बजे के बाद रात होगी। कोई उपाय है कि आप पता कर बतायें कि कितने घंटे बाद रात के पास पहुंच जाएँगे?

- **क्षितिज के ऊपर नीचे**

पृथ्वी और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के लिए बच्चे किसी साफ दिन में दूर खड़ी क्षितिज रेखा को देखें। रफ कापी पर यह क्षितिज रेखा बनाएं– ये कुछ निम्नलिखित प्रकार की या अलग तरह की हो सकती है

बच्चों से कहें कि देखें क्षितिज रेखा के ऊपर और नीचे कौन–कौन सी चीज हैं? इनका रफ चित्र बनाएं। पूछें कि क्षितिज के नीचे पृथ्वी किस रंग में दिख रही हैं? फिर इन सब में हल्के या गहरे रंग भरें। परिस्थितियां देखकर इसे बादलों भरे आकाश (वर्षाहीन) के दिन भी कराया जा सकता है।

यदि स्कूल के सामने पर्वतमालाएं दिखती हैं तो एक रफ रेखाचित्र इस तरह बनाया जा सकता है–

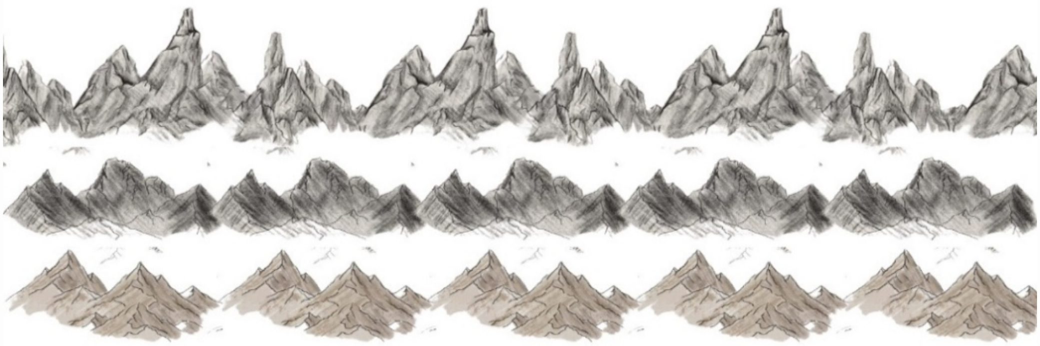

बच्चे अलग–अलग ऊंचाई के शिखरों को अलग–अलग रंगों से रंगे। हर एक पर उसकी अनुमानित ऊंचाई दर्ज करें चाहे तो इन्हें कुछ नाम भी दे सकते हैं।

- **ग्लोब, टॉर्च और दिन–रात**

अंधेरे कमरे में एक बड़े ग्लोब पर टॉर्च की रोशनी डालें। ग्लोब घुमाएं। इस पर चर्चा करें कि –जब देश या महाद्वीप में दिन था तो कौन से भाग में रात थी। ऐसा क्यों हो रहा था? ग्लोब के किन भागों पर प्रकाश ज्यादा पड़ रहा था और किन पर कम? विद्यार्थी बाद में इस पूरे अनुभव को अपने शब्दों में कॉपी में नोट करें।

- टीन के छोटे डिब्बों में विद्यार्थी कई जगह से मिट्टी एकत्र करें। उनके कणों व रंगों की तुलना करें, उन पर पानी डालकर देखें कि कौन सी मिट्टी पानी जल्दी सोखती है। पुनः बच्चे जिन क्षेत्रों/जगहों से मिट्टी लाए हैं वहां की वनस्पतियों का सर्वेक्षण करें। वहां की वनस्पतियों का नाम लिख लाएं, कक्षा में अपने अनुभव प्रस्तुत करें।

- **घास, पौधे और पेड़**

टोलियों में भूक्षेत्र का सर्वेक्षण करें। वहां कौन–कौन सी घासें ,पौधे और पेड़ मौजूद हैं उन्हें तालिका में लिखें। उनके एक या दो पत्ते लाएं। उन्हें किताब या कॉपी के बीच दबा दें। ऐसी बीस पत्तियां जमा हो जाने पर उनका हरबेरियम बनाया जा सकता है। मोटे कागज की एक कॉपी में दबा दें तथा सूख जाने पर चिपका दें। उनका नाम लिखें। पत्तियों के विन्यास(डिजाइन) को गौर से देखें और उस पर अपनी टिप्पणी लिखें।

नजरी–नक्शे बनाना

– विद्यार्थी अपनी कक्षा का एक नजरी नक्शा बनाएं। इसमें दरवाजा, बोर्ड, खिड़की, शिक्षक की जगह, बच्चों की कतारें और उनमें नक्शा बनाने वाला बच्चा अपनी जगह चिन्हित करे। यह नक्शा एक दूसरे को दिखाएं।

– वे अपने विद्यालय का नगरी नक्शा बना सकते हैं जो कुछ इस तरह का हो सकता है –

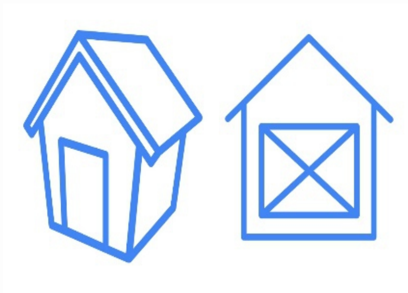

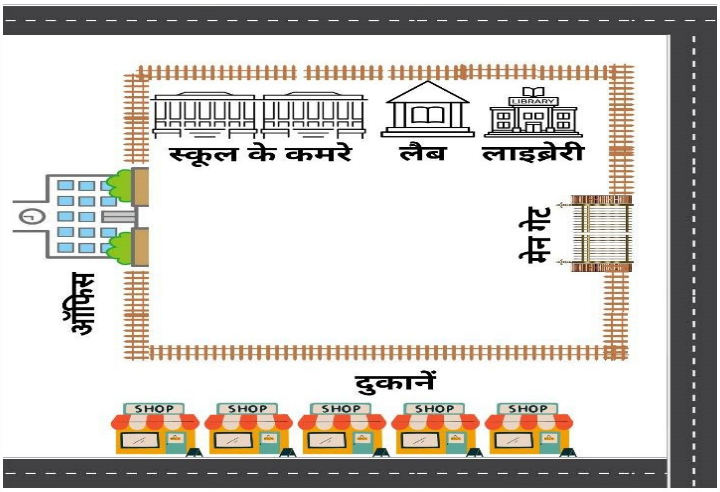

● स्कूल से बाहर किसी असमतल और बड़ी जगह पर थोड़ी देर भ्रमण करें। इसमें कोई टेकरी, कहीं ऊंची और कहीं नीची सतह हो तो अच्छा है। बच्चे कक्षा में लौटकर जगह का एक अनुमानित नक्शा/रेखाचित्र बनाएं इसमें अलग–अलग तलों के आधार पर कुछ घेरे बना सकते हैं। घेरों पर अनुमानित ऊंचाई लिख लें। हर ऊंचाई को अलग रंग से रंगें।

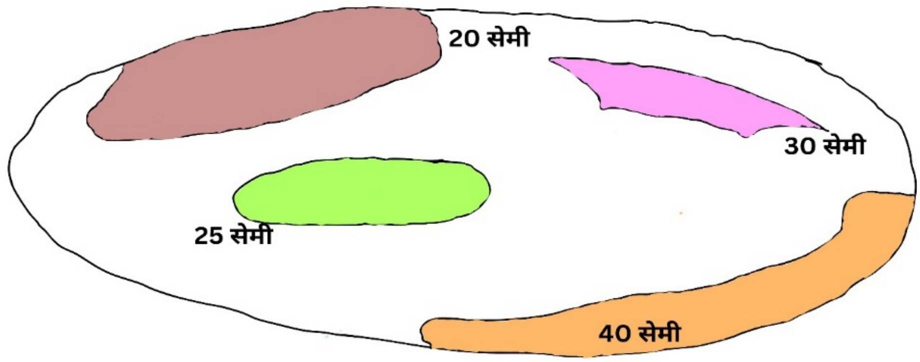

- अपने माता–पिता या पड़ोसियों से पूछ कर गांव के खेतों का एक रफ नजरी नक्शा बनाएं। खेतों में जो फसलें उगी हैं या बोई जाती हैं उनका नाम लिखे खेत पर खेत मालिक का नाम भी लिख दें।
- विद्यार्थियों के गांव को पानी जिन स्रोतों से प्राप्त होता है उनका सर्वेक्षण करें। यह सरकारी नल, हैंड पंप, कुआं, नहर, तालाब, नदी हो सकते हैं। इनमें से हर एक किस दशा में है उसका विवरण लिखें। दसवीं कक्षा के विद्यार्थी यदि शहर के स्कूल में है तो जल वितरण प्रणाली का सर्वेक्षण कर सकते हैं। जल संस्थान में जाकर संबंधित कर्मचारियों से बात कर बोर की गहराई, टैंक की क्षमता, पानी की आपूर्ति का इलाका, पानी पर बिल की दर, उपभोक्ताओं की संख्या आदि जानकारी एकत्र कर उसे कक्षा में साझा कर सकते हैं।
- बड़े–बूढ़ों से पूछ कर गांव पड़ोस की कहावतों का संकलन करें। इनका अर्थ और संदर्भ पूछें। इनमें खेती–बारी, जंगल, फसल, पशुपालन आदि से संबंधित शब्द खोजें और उसके संदर्भ के साथ कॉपी में लिखें!
- पर्वतों, नदियों, झरनों, सागर की लहरों, सूर्योदय, सूर्यास्त के दृश्य, विविध व विचित्र पशु–पक्षिओं, वनस्पतियों, भू भागों से संबंधित फोटोग्राफ कक्षा में दिखाकर उन पर रोचक बातचीत की जा सकती है।

कक्षा 9ः पाठ्यपुस्तक की विषय सामग्री

इस पुस्तक में छः अध्याय हैं–

पहला अध्याय विश्व में भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन करता है। इसमें देश की अक्षांश–देशांतरीय स्थिति और अन्य देशों के बीच स्थिति बताई गई है। शिक्षण को सरल बनाने के लिए एशिया के मानचित्र में उसके वायु और समुद्री मार्ग भी दर्शाए गए हैं। विभिन्न देशों के साथ भारत का तुलनात्मक क्षेत्रफल दिया गया है। साथ में भारत के राजनीतिक मानचित्र हैं। इन भौगोलिक तथ्यों को जान लेना उपयोगी है, क्योंकि आगे भारत के भूगोल को समझने के लिए देश के भूभाग का एक स्पष्ट खाका विद्यार्थियों के दिमाग में होना चाहिए। इस अध्याय में वायु और समुद्री मार्ग तथा विभिन्न राज्यों की विशेषताओं पर रोचक चर्चा आयोजित की जा सकती है।

दूसरा अध्याय भारत की धरातलीय/भौतिक बनावट पर है। इसमें देश के पहाड़, मैदान, पठार, समुद्रतटीय मैदानों, मरुस्थल आदि का सचित्र वर्णन है। इन धरातलीय/भौतिक विशेषताओं को विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन से जोड़ते हुए चर्चा, अवलोकन, चित्रण व मानचित्र की मदद से शिक्षण को आनंददायी बनाया जा सकता है।

तीसरा अध्याय अपवाह–नदियों की प्राकृतिक बहाव प्रणाली पर केंद्रित है। इसके साथ भारत की नौ बड़ी नदियों के अपवाह तंत्र, उनसे बनी नदी घाटियों, मैदान और उनके किनारे बसे ऐतिहासिक स्थानों पर चर्चा और मानचित्रण किया जा सकता है। मानव सभ्यताओं के फलने–फूलने और विकास में नदियों का विशेष योगदान है। इस तथ्य को उभारा जाना चाहिए। नदियों से संबंधित गीतों, कविताओं–कहानियों को शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

चौथा अध्याय भारत की जलवायु पर है। इसमें भारत के जलवायु क्षेत्रों में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों, भारतीय ऋतुओं और देश के अलग–अलग भागों में उनसे प्रभावित जनजीवन पर रोचक चर्चा हो सकती है। मानसून भारत के लिए वरदान है– यह स्पष्ट किया जाना चाहिए।

पांचवा अध्याय भारतीय वनों और वनस्पतियों पर हैं। भारतीय वनों, वनस्पतियों को भारतीय मानसून काफी हद तक प्रभावित करता है। वनों का पर्यावरणीय महत्व जग जाहिर है। देश की वनस्पतियों की विविधता स्थानीय समाज के स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण की सुंदरता के लिए निहायत जरूरी है। विद्यार्थियों को यह संदेश सीखने–सिखाने के जरिए ही बेहतरीन तरीके से दिया जा सकता है।

छठा अध्याय जनसंख्या है। जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में न देखकर समस्या के रुप में देखने के परिणाम आज यूरोप में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण और वृद्धि एक संवेदनशील मुद्दा है। इस पर सावधानी से बात होनी चाहिए। सुखी और स्वस्थ जनसंख्या किसी देश की सबसे बड़ी पूंजी है तथा देश के विकास का लक्ष्य भी हैं। इस पर बातचीत होनी चाहिए।

पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों का सार

बौवा में नई जानकारियाँ – क्या आप जानते हैं?	22	तालिका पठन	02
तालिका पढ़कर या स्वतंत्र रूप से सवाल का जवान खोजना ज्ञात कीजिए!	09	विशिष्ट तथ्य और उनके लिए लिंक	07
मानचित्र अभ्यास	13	बॉक्स में क्रियाकलाप	05
आरेख (यंब–२, पाइ–3, ग्राफ –1)	06	आओ विचार करें – बॉक्स अध्याय के बाद अभ्यास प्रश्न	23
चित्र और फोटोग्राफ्स	16	मानचित्र कौशल अभ्यास	04
क्रियाकलाप	02	परियोजना कार्य	02
स्वयं करने के लिए अभ्यास प्रश्न	05		

दिवसवार अध्याय की विषयवस्तु का विभाजन

अध्याय, नाम, निर्धारित दिवस,	दिवस	पाठ्यवस्तु/पाठ्यबिन्दु
अध्याय – 1 अध्याय का नाम– भारत– आकार और स्थिति दिवस 11	1	• विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति
	2	• भारत का क्षेत्रफल एवं विस्तार (विश्व में भारत का स्थान)
	3	• कर्क रेखा एवं भारत की मानक याम्योत्तर रेखा का महत्व
	4	• पुनरावृत्ति
	5	• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग तथा विश्व को भारत की देन
	6	• भारत के राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश
	7	• भारत के पड़ोसी देश और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश
	8	• क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण
	9	• प्रांत और रियासत में अंतर
	10	• मानचित्र कार्य
	11	पुनरावृत्ति/अभ्यास कार्य/प्रोजेक्ट कार्य
अध्याय –2 अध्याय का नाम– भारत का भौतिक स्वरुप दिवस 12	1	• भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का विभाजन • विभिन्न प्रकार की भू–आकृतियों के निर्माण का सिद्धांत (प्लेट विवर्तन)
	2	• भारत की भौगोलिक आकृतियों का विभाजन
	3	• हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र • हिमालय का विभाजन
	4	• हिमालय में पाए जाने वाले दर्रे
	5	• उत्तर का विशाल मैदान
	6	• उत्तरी मैदान का विभाजन (अ) भाबर (ब) तराई (स) बांगर/भांगर (द) खादर

		• दोआब
	7	पुनरावृत्ति
	8	• प्रायद्वीपीय पठार – मध्य उच्चभूमि – दक्षिण का पठार – दक्कन ट्रैप
	9	• भारतीय मरुस्थल / थार मरुस्थल • तटीय मैदान • तटीय मैदान का विभाजन • डेल्टा
	10	• द्वीप समूह • अरब सागर के द्वीप • बंगाल की खाड़ी के द्वीप
	11	• प्रवाल • मानचित्रण कार्य
	12	• प्रोजेक्ट कार्य / पुनरावृत्ति
अध्याय –3 अध्याय का नाम– अपवाह दिवस 11	1	• जल के बिना जीवन की कल्पना एवं नदियों का जीवन में महत्व
	2	• अपवाह – अपवाह प्रतिरूप (जालीनुमा, वृक्षाकार, आयताकार, अरीय) – अपवाह द्रोणी
	3	• भारत में अपवाह तंत्र (भारत में चार प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है चारों पर चर्चा की जाये) – हिमालयी, – प्रायद्वीपीय, – तटीय – अंतस्थ
	4	• हिमालयी नदियाँ – सिंधु नदी तंत्र

	5	– गंगा नदी तंत्र
	6	– ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र – सुंदरवन डेल्टा
	7	पुनरावृत्ति
	8	● प्रायद्वीपीय नदियाँ एवं जलप्रपात – नर्मदा द्रोणी, – तापी द्रोणी, – गोदावरी द्रोणी, – महानदी द्रोणी, – कृष्णा द्रोणी – कावेरी द्रोणी
	9	● भारत में झीलें एवं उनका महत्व ● झीलों के प्रकार – मीठे पानी की झील, – खारे पानी की झील, – गोखुर झील, – लैगून झील, – प्लाया झील (सूखी झील) – हिमानी झील – मानव निर्मित झील
	10	● नदियों का महत्त्व ● नदियों में प्रदूषण और उसका प्रभाव ● नदियों का संरक्षण
	11	पुनरावृत्ति
अध्याय–4 अध्याय का नाम– जलवायु दिवस 9	1	● जलवायु का सामान्य परिचय ● मौसम और जलवायु में अंतर ● मानसून
	2	● भारत की जलवायु ● भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक – अक्षांश, – ऊँचाई,

		– समुद्र से दूरी, – महासागरीय धारायें, – वायुदाब और पवनें – तापमान – आर्द्रता
	3	● वायुदाब एवं पवनें – जेट धारा – अन्तः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र – एल नीनो – पश्चिमी विक्षोभ – उष्ण कटिबंधीय चक्रवात – कोरियालिस बल
	4	● पुनरावृत्ति
	5	● मानसूनी हवाओं का विभाजन – दक्षिण–पश्चिम मानसून – उत्तर–पूर्वी मानसून
	6	● ऋतुएँ – शीत ऋतु– मध्य दिसंबर से मध्य मार्च – ग्रीष्म ऋतु– मध्य मार्च से मध्य जून – वर्षा ऋतु– मध्य जून से मध्य सितंबर – बादल का फटना – मानसून ब्रेक – लौटते हुए मानसून की ऋतु (मानसून की वापसी)– मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर
	7	● वर्षा का वितरण – स्थलाकृतिक प्रभाव – वृष्टि छाया क्षेत्र – पवनाविमुख ढाल
	8	● मानसून – एकता का परिचायक ● मानचित्र कार्य
	9	पुनरावृत्ति

अध्याय– 5 अध्याय का नाम– प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी दिवस 9	1	• प्राकृतिक वनस्पति की अवधारणा – अक्षत वनस्पति, – देशज वनस्पति एवं – विदेशज पौधे
	2	• भारतीय वनस्पतियों का वर्गीकरण – उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन (सदाबहार वन) – उष्ण कटिबन्धीय पर्णपाती वन – कंटीले वन तथा झाड़ियाँ – पर्वतीय वन – मेंग्रोव वन
	3	• वन्य प्राणी • भारत में वन्य जीवों का वितरण – उभयचरी, – सरीसृप एवं – स्तनधारी
	4	• पारिस्थितिक तंत्र • पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक
	5	– औद्योगिक अवशिष्ट, – प्रदूषण, – विदेशी प्रजातियाँ, – वनों की कटाई – आवास की कमी
	6	• जैव विविधता एवं उसका संरक्षण – स्वस्थानिक संरक्षण – अवस्थानिक संरक्षण • वन्यजीव अभयारण्य • राष्ट्रीय पार्क
	7	• जीव मंडल निचय • प्राणी और पादप की संकटग्रस्त प्रजातियाँ
	8	• जीव सुरक्षा अधिनियम एवं सरकार द्वारा उठाये

		गए अन्य कदम • प्रवासी पक्षी • मानचित्र कार्य
	9	पुनरावृत्ति
अध्याय– 6 अध्याय का नाम– जनसंख्या दिवस 7	1	• संसाधन के रूप में मानव • भारत की जनसंख्या का आकार व संख्या आधारित वितरण • जनगणना शब्द की परिभाषा
	2	• जनसंख्या घनत्व का अर्थ एवं घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण
	3	• जनसंख्या के असमान वितरण के कारण
	4	• जनसंख्या वृद्धि का अर्थ एवं कारण, जनसंख्या वृद्धि दर • जनसंख्या वृद्धि/परिवर्तन की प्रक्रिया – जन्म दर – मृत्यु दर – प्रवास
	5	• किशोर जनसंख्या
	6	• राष्ट्रीय जनसंख्या नीति • मानचित्र कार्य
	7	• पुनरावृत्ति

कुल दिवस 59

शिक्षण योजना 01

अध्याय 1	प्रकरण	दिवस	समय
भारत आकार एवं स्थिति	अभ्यास प्रश्न	11	40 मिनट

लर्निंग आउटकम – विभिन्न प्रकार के प्रश्न के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं और उत्तर दे पाते हैं।

शिक्षण उद्देश्य–

1. छात्रों में विभिन्न पैटर्न पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने की दक्षता का विकास करना।

2. विभिन्न पैटर्न पर आधारित प्रश्न निर्माण/आकलन/मूल्यांकन के तरीके निर्धारित करने की दक्षता का विकास करना।

सीखने–सिखाने की सामग्री– चॉक, भारत के मानचित्र का रेखाचित्र

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया (गतिविधियाँ)–

शिक्षण के प्रारम्भ में – (अनुमानित समय 5 से 7 मिनट)

कक्षा में 'भारत–अवस्थिति एवं विस्तार' की संक्षेप में पुनरावृत्ति करते हुए उसकी विषयवस्तु को पुनः स्पष्ट करेंगे। इसमें भारत की गोलार्ध में स्थिति, अक्षांश–देशांतर के साथ कर्क रेखा के गुजरने के प्रदेशों का उल्लेख करेंगे। इस दौरान मानक याम्योत्तर रेखा के साथ भारत के पड़ोसी देशों और जलीय सीमा से लगे देशों की बाबत बताएंगे।

शिक्षण के दौरान (अनुमानित समय 20 से 25 मिनट)
छात्रों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के प्रतिरूप से परिचित करवाते हुए पहले से तैयार कार्यपत्रक देंगे, जिन्हें छात्र व्यक्तिगत रूप से हल करेंगे।

(क) **अति लघुउत्तरीय प्रश्न**

1. बहुविकल्पीय प्रश्न (सही उत्तर से संबंधित विकल्प चुनिये)

➢ भारत की सबसे पश्चिमी देशान्तर रेखा कौन सी है?

क : 75°7′ पू.   ख : 68°7′ पू.   ग : 97°25′ पू.   घ : 82°32′ पू.

➢ कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है?

क : प. बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, बिहार   ख : उड़ीसा, म.प्र., गुजरात
ग : नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर   घ : इनमें से कोई नहीं

2. रिक्त स्थान पूर्ति(रिक्त स्थानों सही विकल्प चुनकर भरें)

➢ कर्क रेखा________राज्य से होकर गुजरती है।

क : उड़ीसा खः बिहार ग : उत्तर– प्रदेश घ : राजस्थान

3. **मिलान प्रश्न –**

➢ सही विकल्पों का मिलान करें।

अ	ब
क – देश को दो बराबर भागों में बांटती है।	क – आर्यावर्त
ख – भारत का एक अन्य नाम	ख – 37° 6′ उ•
ग – भारत का मानक समय	ग – कर्क रेखा
घ – भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश	घ – 82°30′ पूर्व

4. **एक शब्द में उत्तर दें –**

➢ भारत और पकिस्तान के बीच कृत्रिम सीमा कहलाती है....................

(ख) लघुउत्तरीय प्रश्न हेतु अभ्यास पत्रक

5. कर्क रेखा के गुजरने वाले राज्यों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लिखिये–

राजस्थान, प. बंगाल, मिजोरम, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य–प्रदेश, झारखण्ड, त्रिपुरा ।

6. भारत के मानचित्र में अंकित रेखा का नाम बताइये।

7. निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिये–

क : स्थानीय समय ख : द्वीप ग : प्रायद्वीप

घ : गोलार्द्ध ड. : उपमहाद्वीप

8. **मानचित्र कौशल**

निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर दर्शाइये –

क : अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह

ख : सबसे लम्बी तट रेखा वाला राज्य

ग : भारत का दक्षिणतम बिन्दु

यहाँ भारत के मानचित्र का रेखाचित्र बनाना है।

घ : कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है?

ड़ : भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिन्दु

9. वर्ग में छिपे हुए भारत के पड़ोसी देशों को खेजकर लिखिए–

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	H	H	P	O	T	I	A	A
J	N	E	P	A	L	U	R	S	U	X	A	F	P	U	Z	B	B
O	P	Q	R	R	S	T	R	T	A	Y	C	M	Q	V	Q	B	C
W	P	J	K	L	M	N	O	P	C	H	N	A	P	X	R	A	D
X	A	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	S	N	E
Y	K	A	A	B	C	D	E	F	G	H	P	U	V	K	T	G	F
Z	I	B		B	H	U	T	A	N	I	Q	V	W	L	U	L	G
A	S	C	D	E	F	G	H	I	K	J	R	W	X	M	V	A	H
B	T	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N	W	D	I
C	A	D	X	W	V	A	F	G	A	N	I	S	T	A	N	E	J
D	N	E	O	N	M	L	K	J	L	N	S	X	Y	Z	C	S	K
E	H	F	P	Q	R	S	T	U	M	O	T	Y	Z	A	B	H	L
F	I	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	M
G	M	Y	A	N	M	A	R	O	P	P	Q	R	S	T	U	V	N

10. अंतर स्पष्ट कीजिये–

क : कर्क रेखा एवं मकर रेखा

ख : उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध

ग : अक्षांश रेखाऐं व देशान्तर रेखाऐं

11. निम्नलिखित देशों के नामों को भारत के पड़ोसी देश व गैर पड़ोसी देश में बांटिये –

थाईलैंड, जापान, चीन, कनाडा, श्रीलंका, नेपाल, भूटान इंडोनेशिया, मालदीव, रूस, लाओस बांग्लादेश, कजाकिस्तान, भूटान म्यांमार, मंगोलिया, पाकिस्तान, हांगकांग, जकार्ता, अफगानिस्तान।

12. निम्नलिखित में से उन राज्यों के नाम पर गोला लगाइये, जिन राज्यों से भारतीय मानक देशांतर रेखा ($82^\circ 5'$ पूर्व) गुजरती है।

म. प्र., उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, आंध्रप्रदेश।

शिक्षण के अंत में (अनुमानित समय 05 से 10 मिनट)

विद्यार्थियों को अलग–अलग प्रकार के कार्यपत्रक के माध्यम से अभ्यास प्रश्नों को हल करने का अवसर देकर आकलन करेंगे।	कार्य पत्रकों को जांचकर

गृहकार्य/परियोजना कार्य

बच्चों के अलग–अलग समूह बनाकर प्रत्येक समूह को अलग–अलग स्वरुप के प्रश्नों को बनाकर लाने को कहेंगे।

शिक्षण की आगामी कार्ययोजना– शिक्षक भारत के आकार एवं स्थिति पर शिक्षण योजना बनायेंगे।

शिक्षण योजना 02

अध्याय 2	प्रकरण	दिवस	समय
भारत का भौतिक स्वरूप	हिमालय का विभाजन	03	40 मिनट

लर्निंग आउटकम:–

- बच्चे हिमालय तथा उसकी पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में स्पष्ट रूप से बता पाते हैं।
- बच्चे हिमालय का पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण वर्गीकरण कर लेते हैं।

शिक्षण उद्देश्य:– हिमालय तथा उसके विभाजन के विषय में जानकारी उपलब्ध करते हुए समझ विकसित करना।

सीखने–सिखाने की सामग्री :– डिजिटल बोर्ड, भारत का त्रिविमीय मानचित्र, पीपीटी, वीडियो।

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियां

शिक्षण के शुरुआत में (अनुमानित समय – 10 मिनट) :–

- कक्षा की शुरुआत बछेंद्री पाल या अरुणिमा सिन्हा के एवरेस्ट फतह के वृत्तान्त को सुनाकर करेंगे तत्पश्चात् विषय से जोड़ते हुए हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे।
- डिजिटल बोर्ड पर भारत का त्रिविमीय मानचित्र दिखाकर हिमालय की स्थिति बताना।

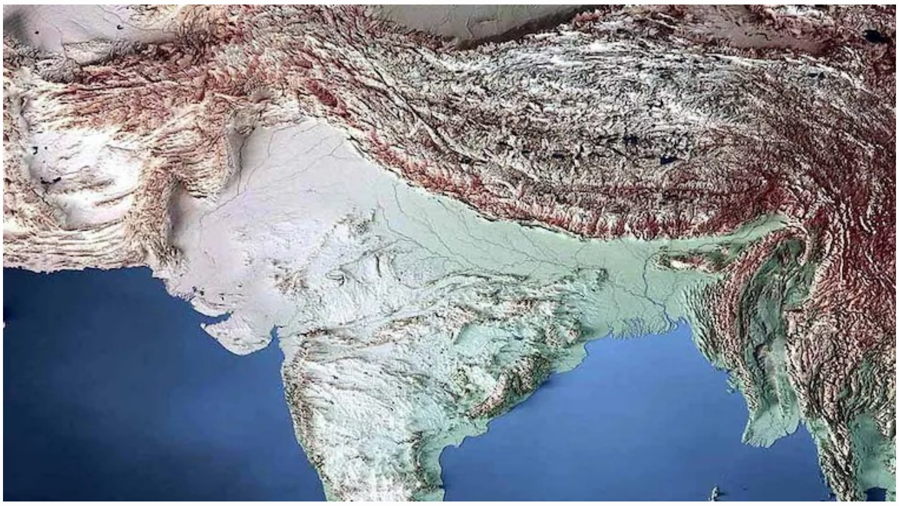

शिक्षण के दौरान :– (अनुमानित समय 20–25 मिनट)

- शिक्षक एक पेपर के माध्यम से हिमालय की उत्पत्ति समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे–एक पेपर लेकर उसके दोनों किनारों पर दवाब डालकर अन्दर की ओर खिसकायेंगे। फलस्वरूप बीच का हिस्सा ऊपर उठ जायेगा। इस प्रकार बता सकते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति दो प्लेटों के एक–दूसरे की तरफ आने से बीच का भाग ऊपर उठ जाने के कारण हुई। निम्नांकित वीडियो के माध्यम से इसे और स्पष्ट करेंगे। वीडियो का लिंक निम्नवत है–

https://youtube.com/shorts/8enMk23DN2M?si=fOKDUN-FIneESA_CM

- हिमालय के उत्तर से दक्षिण विभाजन को अर्थात तीनों श्रृंखलाओं के विषय में पीपीटी या चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करना। निम्नांकित चित्र का सहारा लिया जा सकता है।

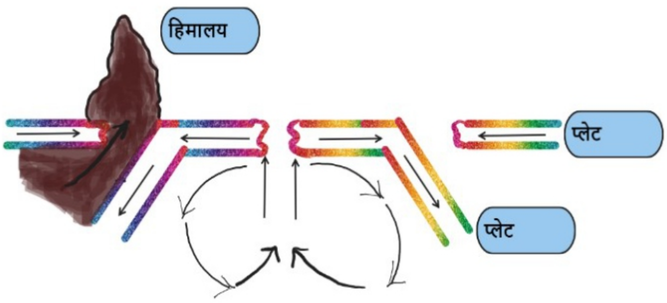

- निम्नांकित चित्र के माध्यम से हिमालय का पश्चिम से पूर्व नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर विभाजन स्पष्ट करना।

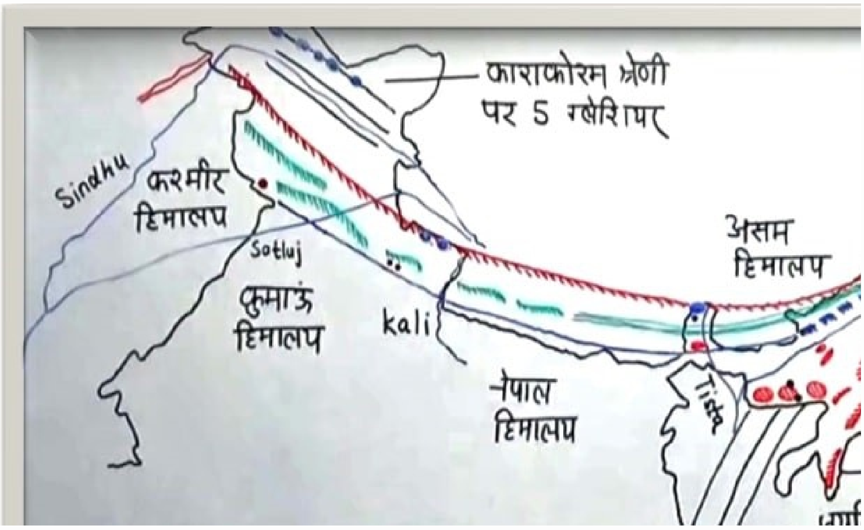

शिक्षण के अन्त में :– (अनुमानित समय– 05 से 10 मिनट)

कक्षा के बच्चों को 2 समूहों में बांटकर एक प्रतियोगिता करायें। एक समूह दूसरे समूह को एक पर्वत शिखर का नाम देगा। तत्पश्चात दूसरा समूह वह पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में है यह बतायेगा। इसी प्रकार दूसरा समूह एक पर्वत शिखर का नाम बतायेगा तथा पहला समूह यह बतायेगा कि वह किस पर्वत श्रेणी में है।

गृह कार्य/प्रदत्त कार्य/परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट) :–

बच्चों को कुछ पर्वत शिखरों के नाम लिखवायेंगे तथा उन पर्वत शिखरों को मानचित्र पर दर्शा कर लाने के लिए कहेंगे।

शिक्षण की आगामी कार्ययोजना :–

शिक्षक हिमालय की विभिन्न पर्वतश्रेणियों पर शिक्षण योजना बनायेंगे।

शिक्षण योजना 03

अध्याय 3	प्रकरण	दिवस	समय
टपवाह	अपवाह प्रतिरूप	02	40 मिनट

लर्निंग आउटकम :– विद्यार्थी नदियों के विभिन्न अपवाह प्रतिरूपों के बारे में बता पा रहे हैं।
शिक्षण उद्‌देश्य – नदियों के अपवाह प्रतिरूप की जानकारी कराना
सीखने–सिखाने की सामग्री – चार्ट, पीपीटी, डिजिटल बोर्ड, वीडियो।
सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियां
शिक्षण के शुरुआत में – (समय 5 से 10 मिनट)

- विद्यार्थियों से उनके घर से विद्यालय तक आने वाले विभिन्न रास्तों पर बातचीत करते हुए सूक्ष्म मानचित्रण कराना (रेखाचित्र बनवाना)।
- बोर्ड पर चित्र के माध्यम से इसे प्रतिरूप के रूप में स्पष्ट कराना।
- उनके गांव या शहर के पास बहने वाली नदी के विषय में चर्चा करते हुए नदियों का भी एक प्रतिरूप होता है इसको स्पष्ट करना।

शिक्षण के दौरान – (अनुमानित समय– 20–25 मिनट)
1. चार्ट पर बने चित्र के माध्यम से नदियों के प्रतिरूप को चर्चा द्वारा स्पष्ट करना।
2. चित्र द्वारा वृक्षाकार प्रतिरूप को स्पष्ट करना।
3. जालीनुमा प्रतिरूप को खिड़कियों के पैटर्न का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना।
4. डिजिटल बोर्ड पर नदियों के अपवाह प्रतिरूप का वीडियो दिखाकर प्रतिरूप बनने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना और चर्चा परिचर्चा के माध्यम से समझ विकसित करना।

शिक्षण के अन्त में – (अनुमानित समय – 05 से 10 मिनट)

पीपीटी, चित्र/वीडियो के माध्यम से विश्व की विभिन्न नदियों का प्रतिरूप दिखाकर आकलन करना कि कौन सी नदी कौन–सा अपवाह प्रतिरूप बना रही है। आवश्यकतानुसार स्वयं स्पष्ट करेंगे। बच्चों की प्रतिक्रिया एवं सहभागिता के आधार पर आकलन करेंगे।

गृह कार्य /परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट)
विद्यार्थियों से पुस्तकालय/इंटरनेट अथवा स्थानीय स्रोत की मदद लेते हुए नदियों के विभिन्न प्रारूप बनवाकर कक्षा में प्रस्तुत करायें।
शिक्षण की आगामी योजना – भारत की नदियों के अपवाह प्रतिरूप पर शिक्षण योजना बनायेंगे।

शिक्षण योजना - 04

अध्याय 4	प्रकरण	दिवस	समय
जलवायु	भारत की जलवायु तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक	02	40 मिनट

लर्निंग आउटकम :– विद्यार्थी भारत की जलवायु तथा उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में बता रहे हैं।

शिक्षण उद्देश्य:– भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी कराना।

सीखने–सिखाने की सामग्री:– भारत का जलवायु मानचित्र, डिजिटल बोर्ड/ब्लैक बोर्ड, पीपीटी।

सीखने –सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ

शिक्षण के शुरुआत में– (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

बच्चों को डिजिटल बोर्ड पर या लाये हुए चित्रों को दिखाते हुए बच्चों से चर्चा करें कि–

हम सभी मार्च–अप्रैल में हल्के कपड़े, जुलाई–अगस्त में रेनकोट और दिसम्बर–जनवरी में गरम कपड़े क्यों पहनते है ?

- गर्मियों के मौसम में आप कहाँ घूमने जाना पसंद करोगे?

(बच्चों के उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे)

चर्चा करेंगे– बच्चों, आपने देखा कि हमारे ही देश में स्थान तथा समय में परिवर्तन होने पर जलवायु भी परिवर्तित हो जाती है। आइये जानने का प्रयास करते हैं कि वह कौन–कौन से कारक हैं? जिससे भारत की जलवायु प्रभावित होती है।

गर्मियों के मौसम में

घूमने वाले स्थान-

1.

2.

3.

.

शिक्षण के दौरान :– (अनुमानित समय 24 मिनट)

- पीपीटी के माध्यम से या ब्लैक बोर्ड पर लिखकर जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की चित्रात्मक विधि से व्याख्या करेंगे।

क) अक्षांश

ख) ऊँचाई

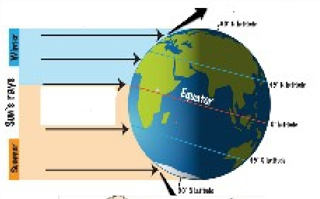

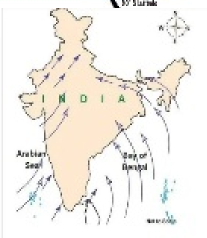

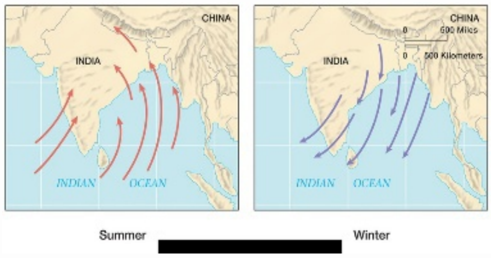

ग) समुद्र से दूरी

घ) महासागरीय धारायें

ड़) वायुदाब और पवन

च) तापमान

छ) आर्द्रता

ज) कोरिआलिस बल

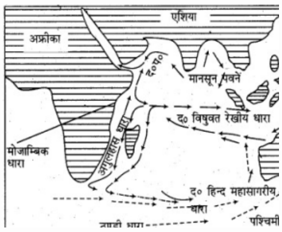

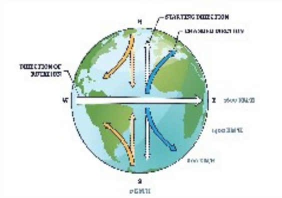

शिक्षण के अन्त में : (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

बच्चों से जलवायु को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों में से वह कौन सा प्रमुख कारक है जो हमारे यहाँ की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करता है, इस बिंदु पर बातचीत करेंगे। सभी बच्चे अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते हुए उत्तर देंगे। शिक्षक द्वारा उन्हें उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

गृहकार्य– छात्र भारत के मानचित्र में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रदर्शित करेंगे।

शिक्षण की आगामी योजना– ''महासागरीय धारायें'' तथा ''वायुदाब एवं पवन'' पर आधारित शिक्षण योजना बनायेंगे।

शिक्षण योजना 05

अध्याय 5	प्रकरण	दिवस	समय
प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी	प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार तथा वन्य जीव	02	40 मिनट

लर्निंग आउटकम :– वनस्पति/वन के प्रकार तथा उनमें निवास करने वाले प्रमुख वन्य जीव के विषय में बता पा रहे हैं। भारत में वन संसाधन की विविधिता से संबंधित जानकारी दे पा रहे हैं।

शिक्षण उद्देश्य :– भारतीय वनस्पतियों का वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार के वनों के बारे में जानकारी देना।

सीखने–सिखाने की सामग्री :– पाठ्य पुस्तक, भारत के मानचित्र, ग्लोब, डाटा चार्ट।

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ

शिक्षण की शुरुआत में :– (अनुमानित समय 5–7 मिनट)

- छात्रों को गोलाकार में 'वनस्पति, पशु, पक्षी' गतिविधि कराना। गतिविधि के उपरान्त बच्चों से उनके आसपास पायी जाने वाली वनस्पतियों तथा जंतुओं पर चर्चा करना, तथा उन्हें भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन्य जीवों से जोड़ते हुए उनके प्रकारों को स्पष्ट करना।
- डिजिटल बोर्ड/प्रोजेक्टर से विभिन्न प्रकार के वन एवं वन्यजीव दिखाकर छात्रो को उनकी पहचान कराना।
- बच्चों से भारत में सघन एवं विरल वनों की स्थिति पर चर्चा करना।

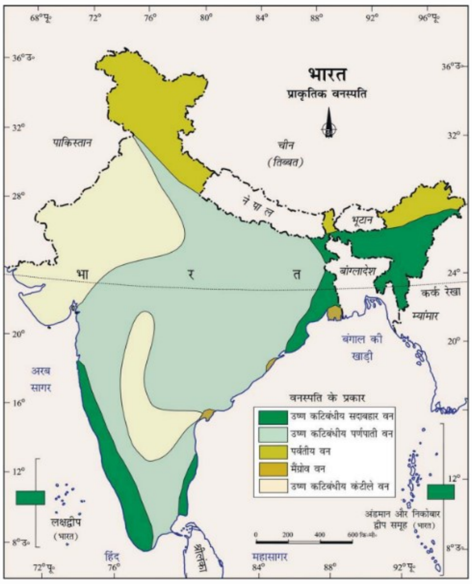

शिक्षण के दौरान :– (अनुमानित समय 20–25 मिनट)

- भारत के मानचित्र पर विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्रों को दिखाकर, उनके प्रकार को डिजिटल बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिखना तथा उनके आशय स्पष्ट करना।
  1. उष्ण कटिबन्धीय सदाबहार वन/वर्षा वन
  2. उष्ण कटिबन्धीय पर्णपाती वन
  3. उष्ण कटिबन्धीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ

4. पर्वतीय वन
5. मेंग्रोव वन

- पीपीटी या वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वनों की सामान्य विशेषताओं उनका भौगोलिक विस्तार, उनमें पायी जाने वाली वनस्पतियों की प्रजातियों तथा उनमें निवास करने वाले वन्य जीवों के बारे में जानकारी देना।
- विद्यार्थियों को उनकी परिवेशीय वनस्पतियों से जोड़ते हुए उनकी उपयोगिता पर चर्चा द्वारा समझ बनाना।

शिक्षण के अंत में :– (अनुमानित समय – 5–10 मिनट)

कक्षा के समस्त बच्चों को वनस्पति के प्रकारों के आधार पर शिक्षण के दौरान चर्चा किए गए पाँच भागों में बाँटें। सभी समूह अपना प्रस्तुतीकरण करेंगे। प्रस्तुतीकरण के उपरान्त आवाश्यक बिन्दु जोड़ें।

गृह कार्य :– छात्र के परिवेशीय भ्रमण के आधार पर विभिन्न प्रकार के वनों में पायी जाने वाली वनस्पतियों के प्रकारों की सूची तैयार करवाकर कक्षा में प्रस्तुत कराना।

- bhuvan पोर्टल पर, मोबाइल फोन के माध्यम से, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का अवलोकन कर प्रस्तुतिकरण तैयार करना जिसका लिंक अधोलिखित है–

  https:// bhuvan–app.l.nrsc-gov.in/mhrdncert/

- छात्रों से दीक्षा पोर्टल पर भी सम्बन्धित प्रकरण का अवलोकन कर प्रस्तुतीकरण तैयार कराना।

शिक्षक की आगामी योजना :– भारत के विभिन्न वन प्रकारों की अलग–अलग शिक्षण योजना तैयार करना।

शिक्षण योजना 06

अध्याय 6	प्रकरण	दिवस	समय
जनसंख्या	पुनरावृत्ति	07	40 मिनट

लर्निंग आउटकमः– विद्यार्थी सम्पूर्ण पाठ में आये तथ्यों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भली–भाँति दे पा रहे हैं।

शिक्षण उद्देश्यः– जनसँख्या पर आधारित पाठ्यवस्तु की पुनरावृत्ति कराकर उपर्युक्त समझ विकसित करना।

सीखने–सिखाने की सामग्रीः– भारत का मानचित्र, सुडोकु, कार्ड, डिजिटल बोर्ड/श्यामपट्ट, प्रश्नोत्तर विधि

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधि

शिक्षण के शुरूआत में:– (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

कक्षा में छात्रों के समक्ष जनसंख्या से संबंधित पाठ्यवस्तु को संक्षिप्त रूप में स्पष्ट करें।

शिक्षण के दौरान – (अनुमानित समय – 20–25 मिनट)

- संपूर्ण कक्षा को पाठ्यबिन्दु के अनुसार बराबर समूहों में बांट देंगे।
- तत्पश्चात् प्रत्येक समूह अपने–अपने पाठ्यबिन्दु पर अपने ज्ञान के अनुसार एवं सीखने के प्रतिफल के अनुसार चर्चा करेंगे।
- एक समूह मानचित्र पर कार्य करने के लिये अलग से बनाया जायेगा, जो समस्त मानचित्र कार्य को स्पष्ट करेगा।
- सभी समूह के छात्र समस्त पुनरावृत्तिक परिचर्चा को अपनी अभ्यास–पुस्तिका में लिखते जायेंगे।

  [अंत में सम्पूर्ण पाठ की विषयवस्तु को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जायेगा।]

शिक्षण के अन्त में (अनुमानित समय – 5 से 10 मिनट)

एक या दो समूहों की परिचर्चा रिपोर्ट को कक्षा में प्रस्तुत करायेंगे।

गृहकार्य/परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट)

समस्त छात्र जनसंख्या पर एक संक्षिप्त नोट अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर लायेंगे।

इतिहास

केन्द्रिक लर्निंग आउटकम

1– तथ्यों, आँकड़ों को पहचानता है, और पुनः प्राप्त करता है और प्रक्रियाओं को अभिव्यक्ति दे पाता है, जैसे–

- भारत के मानचित्र पर स्थान, राज्य, संघराज्य क्षेत्र और अन्य भौतिक विशेषताएँ बता सकता है।
- नाम, स्थान, वर्ष, कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं को याद करता है, जिन्होंने भारत और दुनिया को बदल दिया, जैसे कि अमेरिकी क्रांति, फ्राँसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और भारत में स्वतंत्रता संग्राम।
- मानचित्र पर ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का पता लगाता है।
- कुछ एक सामाजिक समूहों की अर्थव्यवस्थाओं और आजीविकाओं का वर्णन करता है।
- लोकतंत्र और तानाशाही से जुड़े राजनीतिक शब्दों और संकल्पनाओं का वर्णन करता है, जैसे कि स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता, जवाबदेही, विधि का शासन इत्यादि।
- दुनिया में महत्वपूर्ण क्रांतियो, जैसे– फ्रेंच और रूसी क्रांतियो के लिए अग्रणी घटनाओं के दौर की तुलना करता है।
- दुनिया भर में संचालित विभिन्न प्रकार की सरकारों के बीच में अंतर जानता है।
- समकालीन समय, जैसे– ब्रिटेन, सऊदी अरब और भूटान के विभिन्न राजतंत्रों की तुलना करता है।

2– घटना, कार्यक्रमों और उनकी घटना के बीच कारण और प्रभाव संबंध बताता है, जैसे–

- विभिन्न क्रांतियो के कारणों और प्रभावों की व्याख्या करता है।
- यह बताता है कि समकालीन दुनिया में विभिन्न सामाजिक समूहों ने कैसे बदलावों का सामना किया और इन परिवर्तनों का वर्णन करता है?
- क्रांति और सामाजिक परिवर्तन के बीच अंतर को समझता है।
- दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन के गठन की रूपरेखा बनाता है।
- लोकतँात्रिक देशों में परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, जैसे– लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता इत्यादि।
- भारतीय नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की पहचान करता है।
- गरीबी, भूमिहीनता, खाद्य सुरक्षा जैसे आर्थिक मुद्दों के कारणों और प्रभावों की व्याख्या करता है।
- सामाजिक भेद्यता और बहिष्कार के प्रभाव का विश्लेषण करता है।

3– विश्लेषण और जानकारी का मूल्याँकन करता है, जैसे–

- साक्षरता और गरीबी जैसे महत्वपूर्ण विकास संकेतकों में ऐतिहासिक रुझानों का विश्लेषण करता है।

- महत्वपूर्ण सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करता है, जिसका उद्देश्य (क) गरीबी उन्मूलन (ख) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना (ग) स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना (घ) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ प्रदान करना है।

4– व्याख्या करता है, जैसे–

- ग्रंथ
- प्रतीक जो स्वतंत्रता, समानता, बराबरी के लिए बने हैं।
- कार्टून
- तस्वीरें
- पोस्टर
- सामाजिक–राजनीतिक मुद्दों से संबंधित अखबार की कतरनें।

5– सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर–संबंध जोड़ता है, जैसे–

- ऐतिहासिक काल से व्यापार और संचार के लिए भारत में विभिन्न रास्तों और समुद्री बंदरगाहों के बीच में अंतर्संबंध बताता है।
- वनवासियों, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के आर्थिक आजीविका पैटर्न के अंतर्संबंधों की व्याख्या करता है।

6– मान्यताओं/पूर्वाग्रहों/रूढ़ियों की पहचान करता है, जैसे –

- ग्रंथ
- दृश्य
- राजनीतिक विश्लेषण
- समाचार
- भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लोग
- महत्वपूर्ण सरकारी जन कल्याण कार्यक्रम/योजनाएं

7– जिज्ञासा/पूछताछ के कौशल को प्रदर्शित करता है, अर्थात इनसे संबंधित प्रश्नों को प्रस्तुत करता है, जैसे –

- भारत/उनके अपने क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रभाव।
- भारत और दुनिया में फ्राँसीसी क्रांति की विरासत

8– एकत्रित/दी गई जानकारी के आधार पर तर्कों/विचारों का निर्माण करता है, जैसे–

- विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के साथ लोगों का अनुकूलन
- जीवित/ऐतिहासिक किंवदंती निर्माताओं के मौखिक और लिखित ब्यौरे।

9– कार्यक्रमों और घटनाओं का पहले से अनुमान लगाता है, जैसे–

- प्रदूषण और बीमारियाँ
- अकाल और गरीबी

10– निर्णय लेने/समस्या सुलझाने के कौशल को दर्शाता है, जैसे –

- भोजन की कमी की समस्या
- भारत में भूख और अकाल से बचाव
- ऐतिहासिक घटनाओं और विकास में संसाधनों की उपयुक्तता पर निर्णय लेना।

11– संवेदनशीलता और प्रशंसा–कौशल दर्शाता है, जैसे–

- समाज के विभिन्न दिव्यांग और अन्य सीमांत वर्गों जैसे अनुसूचित जनजाति के साथ सहानुभूति रखता है।
- राजनीतिक विविधता की सराहना करता है।
- सांस्कृतिक विविधता की सराहना करता है।
- धार्मिक विविधता की सराहना करता है।
- भाषा–विविधता को पहचानता है।
- सामाजिक विविधता को पहचानता है।
- प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं, युद्ध व राजनीतिक संघर्ष तथा अन्य कारणों से प्रभावित लोगों के साथ सहानुभूति रखता है।
- शारीरिक और मानसिक हिंसा एवं अन्य यातनाओं की मार्मिकता से मानव को कैसे अत्यधिक पीड़ा होती है इसके प्रति संवेदनशील रहता है।

अवधारणा पत्र

इतिहास हमारे बीते समय का लेखा–जोखा है। इसमें एक के पीछे एक घटनाएं मौजूद रहती हैं। हर एक घटना के आसपास सैकड़ों घटनाओं का जमावड़ा होता है। अगर विज्ञान में कोई टाइम मशीन बनाई होती तो हम उस पर बैठकर बीते समय की यात्रा पर जा सकते थे। समय के इस यान पर बैठकर स्वाभाविक रूप से हमारी यह इच्छा होती कि हम धरती पर समय के पहले छोर तक जाएं और अपनी प्यारी पृथ्वी की शुरुआत को देखें। तब हम पाते कि यह सूर्य से अभी–अभी ही अलग हुई है और ज्वालामुखी तथा विस्फोटों से धधक रही है। हम वापस लौटते फिर वर्षों तक इसपर होती रही धारदार वर्षा के साक्षी होते। फिर वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति को देख पाते। जंगलों से ढकी पृथ्वी और बर्फ से लदे पहाड़ों के ऊपर से गुजरते। डायनासोर हमारे आस पास उड़ते। सहसा अगले दृश्य में वे गायब हो जाते। किसी मैदान में हमें अपने परिवार संग पत्थर के भालों से एक में मेंमथ (महागज) का मुकाबला करता अपना पुरखा मानव मिल सकता था या फिर किसी गुफा के द्वार पर थका मांदा सोया अकेला मनुष्य जो चौंक कर बार–बार नींद से उठ जाता, इसलिए कि सोए में कहीं कोई उस पर हमला न कर दे। हम उससे बातें करते तो वह हमारी भाषा ही नहीं समझ पाता। हम किन्ही विरल (कम घने) जंगलों के पास होते तो हमें पेड़ों पर हथेलियों से ताल देकर संगीत बजाते मानव समूह मिल जाते। वापसी के इस सफर में हमें जमीन और राज्य के लिए लड़ती राजाओं की सेनाएं दिखतीं। वे ओझल होतीं तो धूल में टूटे पड़े राजसिंहासन और मुकुट चमकते नजर आते। हम 15वीं 16वीं सदी के यूरोप के आकाश में होते तो वहां भाप से मशीनें चलाते कामगार और समुद्री बेड़े तैयार करते नाविक जरूर हमारा ध्यान खींचते। युगों पीछे की इन यात्राओं से जब हम थक जाते तो वर्तमान की जमीन पर उतर पड़ते। लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि ऐसी कोई मशीन अभी बनी नहीं और हमें इस काल्पनिक यात्रा से ही संतोष करना पड़ता है।

यही कारण है कि इतिहासकारों को हमें इतिहास तक पहुंचाने या इतिहास को हमारे लिए लिखने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें काफी गहराई तक जमीनें खोदनी होती हैं। सावधानी के साथ उसमें दबी इमारतें, बर्तन, सिक्के, खेती–बाड़ी के औजार सजावट के आभूषण और हड्डियां तक बाहर निकालनी होती हैं। महीनों–वर्षों तक यह काम चलता है। इतना ही नहीं वह अभिलेखागारों/अजायबघरों की अलमारियां खंगालते हैं। महीनों पुस्तकालयों में किताबें टटोलते–पढ़ते हैं, फिर इन चीजों और इनसे मिली जानकारी को अपने सामने व्यवस्थित करते हैं। वे इन वस्तुओं का समय और संबंध ढूंढते हैं। तब जाकर इतिहास की कोई सच्ची घटना लिखी जा सकती है। इतिहासकारों की कोशिश होती है घटना पूरी सच न हो तो भी सच के बहुत करीब हो।

जब इतिहास लिखना और जानना इतना कठिन है तो इतिहास को पढ़ना–समझना भी थोड़ा चुनौती भरा होगा ही। हमारे स्कूलों में बहुत पहले से इतिहास सीखने का एक खास तरीका चलन में रहा है। बच्चों के सामने इतिहास के ढेर सारे तथ्य रख दिए जाते हैं, तारीखों–वर्षों के साथ उन्हें जस का तस याद रखने को कहा जाता है। बहुत से बच्चे ऐसा कर भी लेते हैं, बहुत से नहीं कर पाते। पर इस तरीके में एक दिक्कत तो है ही। तथ्यों या घटनाओं को हू–ब–हू याद रखने को कोशिश में इतिहास को समझना कहीं पीछे छूट जाता है।

यह संभावना भी रहती है कि बच्चों की इतिहास पढ़ने में ,उसे जानने–समझने में रुचि ही न बन पाए। इस तरीके में इतिहास की समझ बनाने, उसका 'बोध' करने यानि उसमें घटी घटनाओं में अच्छे–बुरे, सही–गलत का फर्क करने और न्याय–अन्याय समझने की सलाहियत नहीं बन पाती। जबकि इतिहास पढ़ने का असली फायदा ही तब है जब हम उससे अपनी और अपने समाज की जिंदगी सुधारने के लिए कोई सबक निकालें। हमारे मन में स्वयं और समाज को सुंदर बनाने की इच्छा जाग पड़े।

खोजबीन और छानबीन जैसे शब्द इतिहास सीखने–सिखाने के काम में खास तौर पर उपयोगी हैं। खोजबीन का मतलब है ऐसी किसी वस्तु, तथ्य, सवाल, संदर्भ, किताब या स्रोत की खोज करना जिसके द्वारा हम इतिहास की समझ बनाना चाहते हैं। खोजबीन के बाद छानबीन की बारी आती है। छानबीन अंग्रेजी के शब्द 'फिल्टर' से मिलता जुलता है, वैसे दोनों शब्द 'विश्लेषण' से संबंधित है, और दोनों में एक दूसरे का अंश मौजूद है।

जब इतिहास का कोई तथ्य विचार या वस्तु खोज या चुन ली जाती है तो जरूरी है कि कक्षा के सभी विद्यार्थी उसे अपनी नजर से देखें, परखें। सभी बच्चे न सही अधिकांश उस पर अपनी राय कक्षा में साझा करें। उस पर तर्क–वितर्क करें, आखिर इतिहास के एक खास दौर में वह चीज आई कहां से या कैसे पैदा हो गई? अपने समय में समाज के लिए उसका क्या उपयोग था? क्या वह आज भी उपयोगी है या बेकार समझी जाने लगी है? उसके पुराना पड़ जाने के क्या कारण है? क्या उसे सुधारा या बदला जा सकता है? उसने समाज में किन लोगों को फायदा पहुंचाया और किन का नुकसान किया? वह समाज के कितने बड़े भाग के लिए उपयोगी है?

क्रांतिकारी महिला ओलम्प दे गूज़ (1748-1793) का जीवन

ओलम्प दे गूज़ क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्त्वपूर्ण थीं। उन्होंने संविधान तथा 'पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र' का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन् 1791 में 'महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र' तैयार किया जिसे महारानी और नैशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह माँग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन् 1793 में ओलम्प दे गूज़ ने महिला क्लबों को ज़बर्दस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नैशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फाँसी पर लटका दिया गया।

इतिहास के किसी भी तथ्य को कक्षा में उपरोक्त इन्हीं सवालों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। इस तरह की चर्चा में शिक्षक बच्चों के साथ शामिल रहें। चर्चा के बाद सभी विद्यार्थी इस चर्चा का सार कम या अधिक अपने शब्दों में लिखें। वे उससे संबंधित कोई सरल और कच्चा रेखाचित्र (स्केच) भी बना सकते हैं। बच्चों के इन नोट्स में से कुछ को शिक्षक कक्षा में प्रस्तुत कराएं। उन पर बाकी कक्षा अपनी राय दे। इस तरीके में केवल मौखिक भाषा में दक्ष बच्चे भी इतिहास की समझ बना सकते हैं, चाहे वह लिख न पाते हों।

हाई स्कूल स्तर पर इतिहास शिक्षण की कुछ गतिविधियां

हाई स्कूल स्तर पर पढ़ रहे बच्चों की आयु 15 या 16 वर्ष की होती है। उनके जीवन अनुभव पर्याप्त होते हैं। उनसे अच्छे विचारोत्तेजक संवाद द्वारा भी इतिहास का शिक्षण किया जा सकता है। इसमें जरूरी होगा कि जितना शिक्षक बोलें कम से कम उतना या उससे ज्यादा बच्चों को सुना जाए। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त प्रश्न कौशल होना चाहिए। यहां कुछ गतिविधियां सुझाई गई है। इन्हें स्कूल की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए कक्षाओं में कराया जा सकता है।

- **कल्पनाशील प्रश्नों के द्वारा संवाद**

हम मुख्यतः तीन तरह के सवालों से कक्षा में संवाद का माहौल बना सकते हैं।

1. **सुई सवाल –** ऐसे सवाल जिनका जवाब निश्चित (कंक्रीट) है।
2. **धोती सवाल –** जिनका जवाब बच्चे स्वतंत्र रूप से सोचते हुए अपनी कल्पना और पूर्वज्ञान के आधार पर दें।
3. **फिटकरी सवाल –** इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए बच्चों को अच्छी तरह सोचना और आपस में विचार–विमर्श भी करना पड़ सकता है। ये विश्लेषण कराने वाले प्रश्न हैं। यह एक प्रकार का मस्तिष्क मंथन (ब्रेनस्टॉर्मिंग) है।

- **प्रोजेक्ट कार्य**

इतिहास शिक्षण में 'प्रोजेक्ट कार्य' का विशेष महत्व है। यह घर और स्कूल दोनों जगहों पर किया जा सकता है। इन्हें छोटे और बड़े समूहों में बच्चों की संख्या का ध्यान रखते हुए इस प्रकार किया जा सकता है–

समूह एक– अपने परिवेश की किसी पुरानी इमारत (मकान, किले, बड़ी बिल्डिंग, झोपड़ी, स्कूल आदि) का अवलोकन करें। उसके इतिहास, पुरानेपन, बनाने वालों, उसमें रहने वालों, काम करने वालों, उसके निर्माण में लगी सामग्री आदि के बारे में तथ्य जमा करें और उनकी रिपोर्ट बनाएं।

समूह दो– गांव–मोहल्ले की किसी वृद्धा से साक्षात्कार करें। उनसे उनके समय में महिलाओं की समाज में स्थिति, आज के समय में महिलाओं की स्थिति पर बातचीत करें, उनके अनुभव और निष्कर्ष पूछें, इस कार्य की रिपोर्ट बनाएं।

समूह तीन– यह समूह पास के किसी म्यूजियम/अजायबघर की यात्रा करे। उसके क्यूरेटर से साक्षात्कार करे और म्यूजियम में रखी चीजों का विवरण और उनके समय और महत्व पर लेख लिखे।

समूह चार– यह अपने आस–पास के किसी भी घुमंतू समूह (चरवाहा, बंजारे, स्लम आबादी) के पास जाकर उनके अतीत और वर्तमान की दशाओं का अध्ययन कर सकता है।

- सभी समूह अपने कामों पर लेख और रिपोर्ट तो बनाएं ही, उनसे संबंधित नजरी नक्शा और सरल, रफ रेखाचित्र (स्केच) भी बनाएं। 'इन्हें' कक्षा में प्रस्तुत करें। बच्चों के काम की सराहना हो।

वस्तुओं का इतिहास– मेंज पर रखी एक मोमबत्ती, पेन, गिलास, स्वेटर, आदि के इतिहास पर चर्चा की जा सकती है। यह किन चीजों से बनी, कहां –कहां से आई होगी और किस–किस ने बनाई होगी, किन हालात में बनाई होगी आदि सवालों के साथ।

पुराने व्यवसायों की खोज खबर – किसी शिल्पकार के काम की प्रक्रिया और उसकी चुनौतियों पर एक साक्षात्कार लिया जा सकता है।

रोल प्ले– इतिहास की खास घटनाओं पर छोटे–छोटे नाटक रचे/खेले जा सकते हैं। घटना से अच्छी तरह परिचित हो जाने के बाद इनकी स्क्रिप्ट/पटकथा बनाने में बच्चों की मदद ली जा सकती है। इसकी एक थीम हो सकती है– फ्रांसीसी क्रांति में बास्तीय के किले पर हमला करने से पहले पेरिस के चौराहे पर, एक सिपाही, एक मजदूर, एक कलाकार, एक शिक्षक, एक स्त्री, एक बुद्धिजीवी की बातचीत।

भाषाई सर्वेक्षण– एक छोटे से आबादी क्षेत्र में कितनी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, वे कहां–कहां से आए हैं, इसका सर्वेक्षण किया जा सकता है। इस भाषा के वाक्यों–शब्दों का संकलन किया जा सकता है।

लोकसाहित्य का संकलन– स्थानीय लोककथाओं, लोकगीतों, कहावतों, पहेलियों का संकलन– बुजुर्गों/युवाओं आदि से मिलकर किया जा सकता है। इनमें से कुछ पर क्रमशः कक्षा में चर्चा करें। इन सब की योजनाएं बनाने में शिक्षक बच्चों का मार्गदर्शन और उनकी सहायता करें।

कक्षा 9 की इतिहास पुस्तक

नौवीं कक्षा के इतिहास की पुस्तक में विश्व की तीन बड़ी घटनाओं पर तीन अध्याय हैं। पहली घटना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति है। दूसरी 1917 में संपन्न रूस की समाजवादी क्रांति है। तीसरी है 1920 के बाद यूरोप में नाजीवादी शासन का सत्ता में आना। फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह किया। संसार की राजनीति में पहली बार 'न्याय', 'बराबरी' और 'भाईचारे' के नारे सुनाई पड़े। इसके बाद दुनिया भर में लोकतांत्रिक राज्यों के बनने का सिलसिला ही चल पड़ा। राजाओं–बादशाहों के तख्तोताज की शान जाती रही। रूस की समाजवादी क्रांति ने गरीब–गुरबा और मजदूर–किसानों की ओर दुनिया का ध्यान खींचा। सिद्ध किया कि साधारण लोग भी कुशल और अच्छी सरकार चला सकते हैं। तीसरा अध्याय 'नाजीवाद' पर है। हिटलर के नाजीवाद ने 1933 से 1945 तक सारी दुनिया को आतंकित किए रखा। उसने और बाकी नाजियों ने लाखों यहूदियों, समाजवादियों, लोकतंत्र के समर्थकों और अपने विरोधियों का नरसंहार किया। आखिर समाजवादी रूस के हाथों उसे शिकस्त मिली। इस पुस्तक के चौथे अध्याय में विकसित देशों ने कैसे संसारभर में अपने गुलाम देशों के वनों और वनवासियों को लूटकर, विश्वभर के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया –इसका विवरण है। किताब का पांचवा अध्याय संसार भर में उपेक्षा का शिकार रहे 'चरवाहा समुदायों' को समर्पित है। इस प्रकार यह पुस्तक संसार के विविधता भरे समाजों और विचारों को विद्यार्थियों के सामने रखती है। अध्यायों/पाठों के बीच में और उनके बाद दिए गए अभ्यासों में विभिन्न गतिविधियां है। इन पर काम करते हुए शिक्षक अपनी कल्पनाशीलता से शिक्षण को आनन्ददायी बना सकते हैं। सार रूप में पुस्तक के अभ्यासों/गतिविधियों का एक संक्षिप्त चार्ट इस प्रकार है।

चित्र और फोटोग्राफ्स	119	जानकारी बॉक्स	07
नक्शे	08	महत्वपूर्ण वर्ष और तारीखें	23
फ्लो चार्ट	03	चर्चा प्रश्न	26
इतिहास की जानकारी के साक्ष्य स्रोत (बॉक्स में)	34	चर्चा हेतु नए शब्द	40

किसी भी प्रकरण को सीखने–सिखाने के दौरान नक्शों, चार्टों, रोचक प्रसंगों और चित्रों का भरपूर उपयोग इतिहास के शिक्षण को असरदार बनाएगा। इस काम में शिक्षक का बोलना जितना जरूरी है उतना ही बच्चों को सुना जाना भी। वैश्विक अवधारणाओं पर बात करते हुए बच्चे यदि उसे स्थानीय संदर्भ से जोड़ पाएं तो यह हमारे शिक्षण की सफलता होगी।

दिवसवार अध्याय की विषयवस्तु का विभाजन

अध्याय संख्या, नाम, निर्धारित दिवस	दिवस	पाठ्यवस्तु/पाठ्यबिन्दु
अध्याय–1, फ्रांसीसी क्रांति, 15 दिवस	1	• 14 जुलाई 1789 की घटना का वर्णन, • 14 जुलाई 1789 के पूर्व फ्रांस की परिस्थितियाँ/राजनीतिक परिस्थितियाँ(राज्यारोहण, विवाह, राजकोष की स्थिति)
	2	• पुरानी राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ (वर्ग–विभाजन), कर संरचना (टाइद व टाइल)
	3	• नए सामाजिक वर्ग का उदय • लेखकों एवं चिंतकों का वैचारिक प्रभाव
	4	• राजा द्वारा एस्टेट्स जनरल की बैठक आहूत करना और जनता की शिकायतों पर चर्चा • इन्डोर टेनिस कोर्ट की घटना
	5	• मिराब्यों एवं आबे सिए का नेतृत्व • क्रांति, अफवाह एवं विद्रोह का प्रसार • राजा द्वारा नेशनल असेम्बली की मान्यता एवं नेशनल असेम्बली की घोषणा
	6	• नेशनल असेम्बली द्वारा संविधान का निर्माण एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना • नेशनल असेम्बली का चुनाव
	7	• संविधान में पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र • क्रांतिकारी पत्रकार ज्यौँ पॉल मरा का संविधान पर विचार • राजनीतिक प्रतीकों की पहचान व महत्व
	8	• फ्रांसीसी राजा की प्रशा व ऑस्ट्रिया के शासकों से गुप्त वार्ता • नेशनल असेम्बली द्वारा ऑस्ट्रिया व प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा • 1791 के संविधान का जनता द्वारा विरोध
	9	• जैकोबिन क्लबों का गठन और उसकी भूमिका • जैकोबिन द्वारा हिंसक विद्रोह, • राजतंत्र का पतन और गणतंत्र की घोषणा

	10	• रोबेस्प्येर की नियंत्रण व दंड की नीति • डेस्मॉलिन्स व रोबेस्प्येर के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन
	11	• डिरेक्ट्री का शासन, नेपोलियन के उदय का कारण
	12	• फ्रॉंसीसी क्रांति और समाज में महिलाओं की स्थिति एवं महिला अधिकारों हेतु प्रयास • ओलम्प दे गूज का महिला अधिकार पर विचार
	13	• फ्रॉंसीसी उपनिवेशों में दास व्यापारः उनकी दयनीय स्थिति एवं दास प्रथा का उन्मुलन • 1789 के बाद फ्रॉंसीसी लोगों के जीवन में परिवर्तन
	14	• नेपोलियन का उदय • फ्रॉंसीसी क्रान्ति की विरासत
	15	• आकलन व पुनरावृत्ति
अध्याय–2, यूरोप में समाजवाद एवं रुसी क्रांति, 14 दिवस	1	• यूरोप के सामाजिक परिवर्तन में फ्रांसीसी क्रांति का योगदान, उदारवादी, रैडिकल व रुढ़िवादी विचारों का सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन
	2	• औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन (औद्योगिकीकरण से उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक समस्या, उदारवादी एवं रैडिकल द्वारा इन समस्याओं का समाधान ढूढ़ने की कोशिश, 1815 में रूढ़िवादी सरकारों के विरुद्ध राष्ट्रवादी–उदारवादी क्रान्ति)
	3	• यूरोप में समाजवाद का अभ्युदय • समाजवादी समाज व सम्पत्ति के सम्बन्ध में राबर्ट ओवन, लुई ब्लॉक और कार्लमार्क्स का तुलनात्मक अध्ययन • यूरोप में समाजवादी विचारों का फैलाव
	4	• क्रान्तिपूर्व रुसी साम्राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज • यूरोपीय और रुसी किसान में तुलनात्मक अंतर
	5	• रुस के समाजवादी दल और उनके वैचारिक मतभेद
	6	• 1905 की क्रांति के कारण और क्रांति के परिणाम
	7	• प्रथम विश्वयुद्ध और रूसी साम्राज्य की परिस्थितियाँ(फरवरी क्रान्ति)
	8	• पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति (मजदूरों द्वारा तालाबंदी और हड़ताल में सैनिकों की बगावत) • सोवियत का गठन, राजशाही का अंत और अंतरिम सरकार का

		गठन
	9	• फरवरी क्रांति के बाद की परिस्थितियां, लेनिन का आगमन एवं उनकी माँग • अक्टूबर 1917 की समाजवादी क्रांति
	10	• अक्टूबर क्रांति के बाद परिवर्तन
	11	• गृह युद्व, बोल्शेविकों द्वारा सेंसरशिप, बोल्शेविकों द्वारा रुस में समाजवादी समाज का निर्माण
	12	• स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण (अनाज का संकट, सामूहिकीकरण के पक्ष में तर्क, सामूहिकीकरण का प्रारम्भ, विरोध और दमन
	13	• रुसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव (विशेष रूप से भारत पर प्रभाव)
	14	• आकलन व पुनरावृत्ति
अध्याय–3, नात्सीवाद और हिटलर का उदय, 15 दिवस	1	• हेलमुट की कहानी के माध्यम से पाठ का प्रारम्भ
	2	• वाइमर गणराज्य का उदय, प्रथम विश्वयुद्ध एवं वर्साय की संधि
	3	• प्रथम विश्वयुद्ध का प्रभाव • परिभाषिक शब्द हर्जाना, कैथलिक, डेमोक्रैट, रुढ़िवादी एवं खंदकों पर चर्चा
	4	• रेडिकलवाद (परिवर्तनवाद), समाजवाद एवं साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन
	5	• जर्मनी का आर्थिक परिदृश्य • परिभाषिक शब्द जर्मन मुद्रा मार्क की स्थिति, मुद्रास्फीति, डॉव्स योजना (अमेरिका)
	6	• मंदी के पूर्व एवं बाद की आर्थिक स्थिति एवं प्रभाव पारिभाषिक शब्द :– वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, सर्वहाराकरण, वाइमर गणराज्य के संविधान में दोषपूर्ण नीति
	7	• हिटलर का प्रारम्भिक जीवन, नात्सी पार्टी का गठन परिभाषिक शब्द :– प्रोपेगैंडा
	8	• लोकतंत्र का अंत एवं विशेषाधिकार अधिनियम (इनेबलिंग एक्ट) का प्रादुर्भाव • परिभाषिक शब्द :– चांसलर, फायर डिक्री (अग्नि अध्यादेश) कंसन्ट्रेशन कैंप
	9	• हिटलर की फासीवादी नीति एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, पड़ोसी

		राज्यों पर विजय ● हिटलर की त्रिपक्षीय संधि, द्वितीय विश्वयुद्ध, मित्रराष्ट्र एवं ध्रुवीय राष्ट्र का तुलनात्मक अध्ययन ● द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर की पराजय एवं अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी में परमाणु बम का प्रयोग
	10	● चार्ल्स डार्विन एवं हर्बर्ट स्पेन्सर के सिद्धांत और नात्सियों की नस्लीय सोच, ● पारिभाषिक शब्द :– ब्लॉन्ड, नॉर्डिक जर्मन आर्य लेबेन्स्राउम
	11	● नस्ली समुदाय का उदय ● पारिभाषिक शब्द :– जिप्सी, यहूदी, सूदखोर, घेटो, यूथानेजिया गैस चैम्बर
	12	● नस्ली कल्पनालोक (यूटोपिया) का परिचय, नात्सियों के द्वारा पोलैण्डवासियों पर अत्याचार ● नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति एवं युवा संगठन ● परिभाषिक शब्द :– युंगफ्रोक, हिटलर यूथ, लेबर सर्विस, नात्सी यूथ लीग का गठन
	13	● नात्सीयों (हिटलर) की महिलाओं के प्रति सोच एवं महिलाओं के लिए कानून, नात्सी शासन (हिटलर) के प्रचार प्रसार में भाषा और मीडिया का चालाकी से प्रयोग ● पारिभाषिक शब्द :– अंतिम समाधान, यूथनेजिया, इवैक्यूएशन, संक्रमण मुक्ति क्षेत्र, काफ्तान (चोगा), द एटर्नल ज्यू
	14	● नात्सीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया एवं शार्लट वेराट के विचार, नात्सियों द्वारा यहूदियों एवं अन्य का बड़े पैमाने पर नरसंहार (होलोकास्ट)
	15	● पुनरावृत्ति एवं आकलन
अध्याय–4, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, 11 दिवस	1	● वनों का महत्व एवं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग ● औद्योगिकीकरण के कारण वनों का विनाश ● बढ़ती आबादी के लिए खेती का तेजी से विस्तार
	2	● औपनिवेशिक व्यापार के लिए, नौसेना के जलयान व रेल की पटरियों के स्लीपर के लिए लकड़ियों की अंधाधुध कटाई ● व्यापारिक हित के लिए, बागान खेती को बढ़ावा
	3	● व्यवसायिक वानिकी की शुरूआत ● वैड्रिस जर्मन विशेषज्ञ की भूमिका

		• भारतीय वन अधिनियम • वनों से प्राप्त विभिन्न उत्पाद
	4	• वनों से प्राप्त प्रमुख उत्पाद तथा उनका उपयोग • वन अधिनियम से होने वाली कठिनाइयां
	5	• वनों के नियमन से खेती पर प्रभाव– • घुमंतू खेती। झूम खेती का अभिप्राय • विभिन्न देशों में घुमंतू खेती के स्थानीय नाम और इनके द्वारा उगाई गई विभिन्न फसलें • सरकार द्वारा घुमंतू खेती पर रोक
	6	• पुनरावृत्ति
	7	• शिकार की स्वतंत्रता एवं कानूनों में भेदभाव • शहजादों व सम्राटों तथा अंग्रेज अफसरों के लिए मनोरंजन का साधन • वन उत्पाद से नए व्यापार व रोजगार का सृजन • व्यापार पर सरकारी नियंत्रण
	8	• वन विद्रोह एवं स्वयं सेवकों का योगदान
	9	• बस्तर के आदिवासी समुदाय • देवसारी(दांड का मान) • घूमंतू खेती, शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर रोक • वन ग्राम • धुरवा समुदाय व गुंडा धूर समुदाय का आंदोलन
	10	• जावा के जंगलों में बदलाव • प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण • वन–विनाश, वनों के संरक्षण सम्बन्धी नीतियाँ एवं प्रबन्धन
	11	• आकलन और पुनरावृत्ति
अध्याय–5, आधुनिक विश्व में चरवाहे 10 दिवस	1	• चरवाहों का परिचय– भारत और अफ्रीका के संदर्भ में • पहाड़ो पर घुमंतू चरवाहे • जम्मू व कश्मीर के गुर्जर बकरवाल, जीविका, पशुपालन, व्यवसाय, भ्रमण के कारण
	2	• हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति – जीविका, पशुपालन, व्यवसाय एवं भ्रमण के कारण

<table>
<tr><td></td><td></td><td>हिमालय के पर्वतों पर रहने वाले अन्य चरवाहे– 'भोटिया, शेरपा और किन्नारी</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>पठारों के चरवाहे महाराष्ट्र के धंगर समुदाय, जीविका/व्यवसाय, पशुपालन/कृषि, भ्रमण व भ्रमण के कारण
कर्नाटक व आंध्रप्रदेश के गोल्ला व कुरुबा/कुरुमा समुदाय– जीविका, भ्रमण</td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>मैदानी क्षेत्रों के घुमन्तू– बंजारे, आवास क्षेत्र, जीविका व व्यवसाय पशुपालन/कृषि
आवाजाही व आवाजाही के कारण
रेगिस्तान के घुमन्तू समुदाय
राइका समुदाय– आवास क्षेत्र, कृषि/पशुपालन
आवाजाही व आवाजाही के कारण</td></tr>
<tr><td></td><td>5</td><td>औपनिवेशिक शासन
औपनिवेशिक शासन के कारण चरवाहों के दैनिक जीवन में बदलाव
गैर खेतिहर भूमि के कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन, परती भूमि विकास के लिए बनाये गए नियम
देश के विभिन्न प्रान्तों में लागू वन अधिनियम, वनों को आरक्षित घोषित करना/संरक्षित वन क्षेत्र में चरवाहों की आवाजाही पर प्रतिबंध
वन अधिनियम से चरवाहों के जीवन पर प्रभाव</td></tr>
<tr><td></td><td>6</td><td>1871 में औपनिवेशिक सरकार के द्वारा 'अपराधी जनजाति अधिनियम'
आय बढ़ाने हेतु सरकार के द्वारा लगाए गए नवीन कर, मवेशियों पर टैक्स</td></tr>
<tr><td></td><td>7</td><td>औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर प्रभाव–
चारागाहों का क्षेत्रफल कम होना,
पशुओं की संख्या के अनुरूप चारों में कमी
अकाल पड़ने और चारा कम मिलने से पशुओं की सेहत में कमी और मृत्यु</td></tr>
<tr><td></td><td>8</td><td>अफ्रीका में चरवाहा जीवन–
दक्षिणी कीनिया और तंजानिया के मसाई लोगों की जीविका, पशुपालन/कृषि व आवाजाही के कारण, सेरेन्गेटी नेशनल पार्क</td></tr>
</table>

		• परिभाषिक शब्द – मासाई
	9	• औपनिवेशिक सरकार द्वारा आरक्षित इलाकों में चरवाहों का प्रवेश निषेध और उसके प्रभाव • सूखे का चरवाहों के जीवन पर प्रभाव • उपनिवेशवाद का मसाई समाज पर प्रभाव
	10	• आकलन व पुनरावृत्ति

कुल दिवस 65

शिक्षण योजना 01

अध्याय 1	प्रकरण	दिवस	समय
फ्रांसीसी क्रांति	फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियों की संरचना	01	40 मिनट

लर्निंग आउटकम– छात्र फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियों पर स्थानीय सन्दर्भ में चर्चा–परिचर्चा करते हैं और उसे बता पाते हैं।

शिक्षण उद्देश्य – फ्रांसीसी क्रान्ति के पूर्व फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियों (वर्ग विभाजन) की समझ विकसित करना।

सीखने–सिखाने की सामग्री– पाठ्य पुस्तक, ब्लैकबोर्ड, चित्र, चार्ट, दीक्षा एप का वीडियो।

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ–

शिक्षण के शुरुआत में – (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

• छात्रों से उनके पारिवारिक कार्य विभाजन पर एक चार्ट प्रस्तुत कर चर्चा करेंगे, जैसे,

पारिवारिक कार्य विभाजन चार्ट

कार्य	कार्य करने वाला	क्यों ?

- खाना बनाना
- सिलाई करना
- साफ–सफाई करना

• छात्र से सामाजिक विभाजन व भेदभाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर उनके अनुभव जानेंगे।

• शिक्षक राजतन्त्र और लोकतन्त्र में सामाजिक विभाजन के तुलनात्मक लाभ हानि बतांएगे, जैसे– राजतन्त्र में सामाजिक विभाजन तथा भेदभाव को संरक्षण एवं बढ़ावा मिलता है जबकि लोकतन्त्र में सामाजिक समानता पर बल दिया जाता है। भेदभाव को कानूनन अपराध माना जाता है।

शिक्षण के दौरान– (अनुमानित समय 20 से 25 मिनट)

● फ्रांसीसी समाज का वर्ग विभाजन चार्ट द्वारा प्रस्तुतीकरण करेंगे (शिक्षक)

वर्ग विभाजन

- प्रथम एस्टेट
  - पादरी वर्ग
    - राजा के कृपापात्र
    - विशेषाधिकार सम्पन्न
    - आय अधिक व्यय कुछ नहीं
    - कर से छूट और कर लेने का भी अधिकार
- द्वितीय एस्टेट
  - कुलीन वर्ग
    - 10% संख्या
    - 60% जमीन
- तृतीय एस्टेट
  - किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, डाक्टर आदि
    - कोई अधिकार नहीं
    - 90% संख्या
    - 40% जमीन
    - सभी प्रकार के कर की अदायगी
    - प्रथम दो वर्गो के लिए बेगार भी करना
    - आय कम व्यय अधिक

कर संरचना

- धार्मिक कर
  - टॉइद
    - चर्च (ग्रहणकर्ता)
- प्रत्यक्ष कर
  - टॉइल
    - राज्य (ग्रहणकर्ता)
- अप्रत्यक्ष कर
  - नमक, तम्बाकू
    - राज्य (ग्रहणकर्ता)

दाता तृतीय एस्टेट (किसान, मजदूर, व्यापारी आदि)

प्रस्तुत चार्ट से सम्बन्धित कुछ प्रश्न पूछकर छात्रों के अधिगम का आकलन करेंगे, जैसे

प्र. 1– विशेषाधिकार सम्पन्न वर्ग कौन था?

प्र. 2– सभी प्रकार के कर कौन देता था?

प्र. 3– टाइद कर कौन देता था?

शिक्षण के अन्त में– (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

मकड़ा (जमीदार या कुलीन वर्ग) और मक्खी (किसान) के चित्र को प्रस्तुत कर उसमें निहित भावों को बच्चों के समूह (दो या तीन) में विभाजित कर स्थानीय सन्दर्भ में लिखने व प्रस्तुत करने को कहेंगे।

- शिक्षक छात्रो के कार्यों का अवलोकन करेंगें।

प्रदत्त कार्य/गृहकार्य/प्रोजेक्ट– छात्रों को फ्रांसीसी वर्ग–विभाजन से संबन्धित चार्ट पेपर पर बनाकर लाना है।

शिक्षण की आगामी योजना– शिक्षक द्वारा आगामी पाठ्य बिन्दु पर शिक्षण योजना बनाना तथा योजना का क्रियान्वयन करना।

शिक्षण योजना 02

अध्याय 2	प्रकरण	दिवस	समय
यूरोप में समाजवाद एवं रुसी क्रान्ति	यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के मूल में फ्रांसीसी क्रांति	01	40 मिनट

लर्निंग आउटकम– छात्र सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में फ्रांसीसी क्रान्ति के योगदान एवं विभिन्न मतों के तुलनात्मक अन्तर को ज्ञात कर लेते हैं।

शिक्षण उद्‌देश्य – यूरोप के सामाजिक परिवर्तन के मूल में फ्रांसीसी क्रान्ति का योगदान तथा उदारवादी, रैडिकल एवं रूढ़िवादी विचारों के सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में तुलनात्मक अंतर की समझ विकसित करना।

सीखने–सिखाने की सामग्री– पाठ्य पुस्तक, ब्लैकबोर्ड, मानचित्र, चार्ट, दीक्षा एप का वीडियो।

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ–

शिक्षण के शुरुआत में – (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

- छात्रों से पूर्वज्ञान के आधार पर क्रान्ति पूर्व समाज के वर्ग विभाजन पर चार्ट बनवाकर उस पर चर्चा करना और क्रान्ति के पश्चात होने वाले सामाजिक परिवर्तन एवं यूरोप पर पड़ने वाले प्रभाव पर बात करना।
- फ्रांसीसी क्रान्ति के पश्चात होने वाले परिवर्तन के सम्बन्ध में छात्रों से कुछ प्रश्न पूछकर उनके विचार जानेंगे, जैसे,–

प्र० 1– क्रान्ति के पश्चात फ्रांस में जो परिवर्तन हुआ, क्या वह पर्याप्त था? यदि हाँ तो कैसे? या नही तो क्यों?

प्र० 2– क्या यह सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए था? यदि हाँ तो कैसे? या नही तो क्यों?

शिक्षण के दौरान– (अनुमानित समय 20 से 25 मिनट)

फ्रांसीसी क्रान्ति के पश्चात् यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में उदारवादी, रैडिकल एवं रूढ़िवादी विचारों का एक चार्ट के माध्यम से तुलनात्मक चित्र छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जैसे,–

उदारवादी, रैडिकल एवं रुढ़िवाद के तुलनात्मक अध्ययन पर चार्ट

उदारवादी	रैडिकल	रुढ़िवाद
–धीरे परिवर्तन –धार्मिक समानता पर बल अनियन्त्रित सत्ता के विरोधी प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार का समर्थन	कुछ महिला अधिकार के समर्थक किसी तरह के विशेषाधिकार के विरोधी	– पुरातनवादी अतीत के सम्मान पर बल उदारवादी व रैडिकल के विरोधी
व्यक्ति के समान अधिकारों का समर्थन – स्वतन्त्र न्यायपालिका कानून के अनुसार शासन लोकतंत्र के समर्थक नहीं वोट का सीमित अधिकार (महिला एवं सम्पत्तिहीन को नहीं) निजी सम्पत्ति के समर्थक	निजी सम्पत्ति के समर्थक किन्तु कुछ लोगों तक उसके संकेन्द्रण के विरोधी लोकतंत्र के समर्थक पूर्ण परिवर्तन आबादी के बहुमत पर आधारित सरकार का समर्थन	निजी सम्पत्ति के समर्थक राजतंत्र के समर्थक अपरिवर्तनवादी किन्तु फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद धीरे–धीरे परिवर्तन का समर्थन

• परिवर्तन के इन विचारों के सम्बन्ध में छात्रों से उनके विचार जानेंगे कि वे किस विचार से अधिक सहमत हैं और क्यों ?

• छात्रों के अधिगम के आकलन हेतु चार्ट पेपर पर लिखकर अथवा मौखिक रूप से कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे,

प्र० 1– पूर्ण परिवर्तनवादी विचारधारा कौन सी है?
प्र० 2– पुरातनवादी विचारधारा का क्या नाम हैं?
प्र० 3– किसी भी तरह के विशेषाधिकार के विरोधी कौन हैं?

शिक्षण के अन्त में– (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)
तीन समूहों में छात्रों को बाँट कर भेदभाव युक्त समाज के सम्बन्ध में अपने–अपने समूह के विचार तथा उसके अनुसार समाज कैसा होना चाहिए– इस पर समूह कार्य कराकर प्रस्तुतीकरण कराएंगे।

लिखने और प्रस्तुतीकरण करने में कठिनाई महसूस करने वाले छात्रों को शिक्षक विशेष रूप से सहयोग प्रदान करेंगे ।

प्रदत्त कार्य/गृहकार्य/प्रोजेक्ट– उक्त पाठ्य बिन्दु पर बनने वाले प्रश्न का उत्तर घर से लिखकर लाने संबंधी निर्देश देंगे।
प्र०– यूरोप में सामाजिक, परिवर्तन के सम्बन्ध में तीनों विचारों का तुलनात्मक अन्तर स्पष्ट करें?

शिक्षण की आगामी योजना– कक्षा शिक्षण के आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना का निर्माण करना।

शिक्षण योजना 03

अध्याय 3	प्रकरण	दिवस	समय
नात्सीवाद और हिटलर का उदय	वाइमर गणराज्य का उदय	02	40 मिनट

लर्निंग आउटकम– छात्र भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया के संदर्भ से वाइमर गणराज्य के उदय के बारे में बता पा रहे हैं।

शिक्षण उद्देश्य – वाइमर गणराज्य के उदय तथा उससे संबंधित समझ विकसित करना।

सीखने–सिखाने की सामग्री– पाठ्यपुस्तक, विश्व का मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पी0पी0टी0।

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ–

शिक्षण के शुरुआत में – (5 से 10 मिनट)

• छात्रों को तीन समूहों में बाँटकर अब तक विश्व में प्रचलित शासन व्यवस्था (राजतंत्र, लोकतंत्र व गणतंत्रात्मक) के नाम पता करेंगे और उनके अनुसार कौन सी व्यवस्था अच्छी है, इस पर चर्चा/परिचर्चा करेंगे।

छात्रों से एक प्रश्न पूछकर विश्व के मानचित्र पर जर्मनी के सम्बन्ध में बात करेंगे –

जर्मनी कहाँ स्थित है? या हिटलर कहाँ का शासक था? ,

शिक्षण के दौरान– (20 से 25 मिनट)

शिक्षक नीचे लिखे मुद्दों पर व्याख्यान देंगे!

- वाइमर गणराज्य क्या था?
- जर्मनी गणराज्य का स्थान(स्थिति)
- 20वीं सदी में जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के पहले ताकतवर साम्राज्य था।
- प्रथम विश्व युद्ध चार वर्ष(1914–18) चला और इसमें शामिल सभी देशों को आर्थिक नुकसान हुआ।
- छात्रों को समूहों में बाँटकर (2 या 3 मिनट) प्रथम विश्व युद्ध में सभी देश क्या सोचकर सम्मिलित हुए थे इस बिन्दु पर चर्चा/परिचर्चा।

- बड़े समूह में चर्चा बिन्दु के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में छात्रों से परिचर्चा करेंगें।

चर्चा बिन्दु

1. संविधान को कैसे बनाया गया?
2. संविधान सभा के स्थायी सदस्य?
3. प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?

शिक्षक OHP या चार्ट द्वारा नीचे लिखे बिन्दुओं की व्याख्या करेंगे।

- जर्मनी की नवम्बर 1918 ई0 में पराजय – राजशाही
- साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय, राजा(काइजर विलियम 2)
- राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, पद त्याग
- लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण, राजशाही शासन का अंत
- जर्मन संसद (राइख़स्टाग)
- निर्वाचन (चुनाव)
- सार्वभौमिक मताधिकार
- वयस्क पुरुष स्त्री
- नया वाइमर गणराज्य जर्मनी के लोगों को क्यों पसंद नहीं आया? (क्योंकि जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई वर्साय की शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए कठोर और अपमान जनक थी।)

शिक्षण के अन्त में– (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

अवलोकन

सम्पूर्ण कक्षा को दो समूहों में बाँटकर बच्चों से प्रश्न करेंगें कि जब एक पक्ष जीतता है और दूसरा पक्ष हारता है तब संधि की शर्तें किस पक्ष पर लागू होगी?

प्रदत्त कार्य/गृहकार्य/प्रोजेक्ट– सभी बच्चे पुस्तक की सहायता से मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर वर्साय शांति संधि की प्रमुख शर्तों से संबंधित जानकारियां पुस्तकालय/आई सी टी सामग्री के माध्यम से संकलित करेंगे तथा उसका कक्षा में प्रस्तुतिकरण करेंगे।

शिक्षण की आगामी योजना– कक्षा शिक्षण के आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण योजना का निर्माण करना।

शिक्षण योजना 04

अध्याय 4	प्रकरण	दिवस	समय
वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद	वैज्ञानिक वानिकी का लोगों के जीवन पर प्रभाव व झूम खेती	05	40 मिनट

लर्निंग आउटकम– बच्चे वैज्ञानिक वानिकी से परिचित हैं।

- बच्चे वन अधिनियम के अंतर्गत जंगलों की वर्गीकृत तीन श्रेणियों के बारे में बता पा रहें हैं।
- बच्चे झूम कृषि या घुमंतू खेती से अवगत होकर मौखिक रूप से अपने विचार रख पा रहें हैं।

शिक्षण उद्देश्य – बच्चों को वैज्ञानिक वानिकी का लोगों के जीवन पर प्रभाव व झूम खेती के विषय में जानकारी प्रदान करना।

सीखने–सिखाने की सामग्री– पाठ्यपुस्तक, कविता, पर्यटन व पी0पी0टी0 के माध्यम से।

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ– कविता व पर्यटन द्वारा

शिक्षण के शुरुआत में – (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट) कविता और उस पर चर्चा।

बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी धरती पाऊँ
उस धरती में बाग बगीचा, जो हो सके लगाऊँ
खिलें फूल–फल चिड़िया बोलें
प्यारी खुशबू डोले
ताजी हवा जलाशय में
अपना हर अंग भिगो ले
लेकिन एक इंच धरती भी
कहीं नहीं मिल पाई
एक पेड़ भी नहीं, कहे जो
मुझको अपना भाई
– सर्वेश्वर दयाल सक्सेना

- प्रस्तुत की गई कविता पर बड़े समूह में बातचीत
- वनों से प्राप्त उत्पाद तथा उनके उपयोग पर सामूहिक चर्चा।

(बच्चों द्वारा सामूहिक चर्चा/परिचर्चा द्वारा)

- वन से महुआ तेंदू के पत्ते इकट्ठे करने का चित्र–प्रदर्शन

  (शिक्षक द्वारा चार्ट व PPT प्रयोग द्वारा)

- वन उत्पादों के अपनी जरूरतों के रूप में उपयोग पर बड़े समूह में चर्चा।

  (शिक्षक व छात्रों द्वारा आपसी चर्चा परिचर्चा)

शिक्षण के दौरान– (अनुमानित समय 20 से 25 मिनट)

- पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र और संदर्भ से परिचित कराना।
- रेलवे के स्लीपर व जहाज बनाने में उपयोग की जाने वाली वनस्पतियों की प्रजातियों पर चर्चा व कारण पर समझ बनाना।

चार्ट व पुस्तक में प्रस्तुत चित्र द्वारा

- स्थानीय परिवेश में साल व सागौन जैसे वृक्षों की प्रजातियों को ढूंढना तथा जहाजों और रेलवे के लिए उनकी लकड़ियों की उपयोगिता का मौखिक रूप से चित्रण (छात्रों द्वारा)
- पाठ्यपुस्तक के माध्यम से वन उत्पादों का अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न नवीन रूपों में उपयोग (शिक्षक के छोटे व्याख्यान द्वारा)

ICT माध्यम से

- वन अधिनियम के दुष्प्रभाव के बारे में परिचित कराना (शिक्षक/बच्चों द्वारा पूर्व में पढ़े गए पाठ्यबिंदु के आधार पर वनों की तीन श्रेणियों के विभाजन को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कराया जाना।

Add वीडियो क्लिप

वन रक्षक की भूमिका पर आधारित नाट्य प्रस्तुति द्वारा सूदखोर के रुप का प्रदर्शन (छात्र द्वारा)

प्रश्न व पूरक प्रश्नों द्वारा

शिक्षण के अन्त में– (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

- बच्चों से उनके आस–पास पाई जाने वाली खेती के प्रकारों के बारे में मौखिक व लिखित रूप से अभिव्यक्ति देने को कहेंगे।
- बच्चों से उनके परिवेश में पाए जाने वाले वन्य उत्पाद तथा उन उत्पादों के नवीन उपयोग को मौखिक रूप से बताने को कहेंगे।
- ग्रामीण परिवेश में ईंधन के लिए लकड़ियों के उपयोग से इतर भोजन पकाने में किन–किन साधनों का उपयोग किया जा सकता है इस बिंदु पर छात्रों से स्वविचार रखने को कहेंगे।

गृहकार्य/प्रोजेक्ट– दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए हम वनों पर आश्रित हैं लेकिन भविष्य में भी हमें उनकी उपलब्धता हो इसके लिए क्या प्रयास किए जाना आवश्यक है इस विषय पर छात्रों से अपने बडों से विचार विमर्श कर 100 शब्दों में लेख लिखकर लाने और कक्षा में प्रस्तुत करने को कहा जाय।

छात्रों को उनके जन्म–दिवस पर 5 पौधे रोपित करने तथा उन्हें अपने संरक्षण में रखकर उनकी देखभाल करने को प्रेरित करने संबंधी प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा।

शिक्षण की आगामी योजना– कक्षा शिक्षण के आकलन व पश्चपोषण (फीडबैक) के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर अग्रिम शिक्षण योजना का निर्माण किया जायेगा।

शिक्षण योजना 05

अध्याय 5	प्रकरण	दिवस	समय
आधुनिक विश्व में चरवाहे	चरवाहों का परिचय	01	40 मिनट

लर्निंग आउटकम– छात्र भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाये जाने वाले चरवाहों और घुमंतू समुदाय की जीविका, उनके द्वारा की जाने वाली कृषि, पशुपालन और उनके व्यवसाय के विषय में जानते है और बताते है।

शिक्षण उद्देश्य – चरवाहों का परिचय– भारत और अफ्रीका के सम्बंध में (पहाड़ी पर घुमंतू चरवाहे– जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश के गद्दी– जीविका, पशुपालन व्यवसाय, भ्रमण के कारण) के विषय में जानकारी देना तथा समझ विकसित करना।

सीखने–सिखाने की सामग्री– पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, ब्लैकबोर्ड, भौगोलिक चित्र /मानचित्र।

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ–

शिक्षण के शुरुआत में – (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

1– घुमंतू चरवाहों के जीवन पर आधारित चित्र को दिखाकर विद्यार्थियों से सामूहिक बातचीत करेंगे

2– छात्र पोस्टर, चार्ट, चित्र में क्या–क्या देखते हैं इस बारे में शिक्षक द्वारा छात्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे।

छात्रों द्वारा पूर्व ज्ञान पर आधारित पूरक प्रश्न पूछकर

3– चरवाहों के जीविका, पशुपालन, व्यवसाय, किन–किन कारणों से चरवाहों को घुमंतू जीवन व्यतीत करना पड़ता है छात्रों से इन बिन्धुओं पर चर्चा/परिचर्चा करेंगे।

स्थानीय परिवेश से परिचित कराने हेतु चित्र, मानचित्र दिखाकर व्याख्यान द्वारा ।

शिक्षण के दौरान– (अनुमानित समय 20 से 25 मिनट)

1–वीडियो क्लिप/चित्र के माध्यम से घुमंतू चरवाहे/ चरवाहा, भाबर, बुगाल, आदि तथा भारत तथा विश्व में पाए जाने वाली प्रमुख घुमंतू जातियों कों प्रदर्शित करना।
(शिक्षक द्वारा छात्रों को इनके संबंध में बताया जायेगा)

भारत का मानचित्र दिखाकर रेखाकित चार्ट के माध्यम से

2– घुमंतू चरवाहों के भ्रमण के कारणों के बारे में स्पष्ट करना।

3– घुमंतू चरवाहे भारत देश में कहाँ–कहाँ पाए जाते हैं? शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछते हुए स्पष्ट किया जायेगा।

भारत

घुमंतू चरवाहों के नाम	स्थान
गुज्जर बकरवाल	जम्मू कश्मीर
गद्दी	हिमांचल प्रदेश
भोटिया	उत्तराखण्ड
राइका	राजस्थान
बंजारा	उ. प्र., राजस्थान, म.प्र.
धंगर	महाराष्ट्र

4. स्थानीय सन्दर्भ से परिचित कराते हुए चरवाहों के जीविका, पशुपालन, व्यवसाय के विषय में जानकारी देना।
(वीडियो क्लिप का प्रयोग करते हुए)

फ्लैश कार्ड द्वारा आकलन

गुज्जर बकरवाल, गद्दी चरवाहों के जीवन शैली के बारे में शिक्षक एवं छात्रों के मध्य सामूहिक वार्ता

शिक्षण के अन्त में– (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

निम्नांकित प्रश्नों द्वारा आकलन एवं पाठ की पुनरावृत्ति की जायेगी–

1. घुमंतू चरवाहे भारत देश में कहाँ–कहाँ पाये जाते हैं?
2. चरवाहें जंगलों के आस–पास ही क्यों रहते हैं?
3. घास को कौन–कौन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं?
4. जम्मू कश्मीर के चरवाहों को किस नाम से जाना जाता है?
5. गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग किस तरह के जानवरों को ज्यादा पालते थे?

गृहकार्य/प्रोजेक्ट– 1– भारत में घुमंतू चरवाहे कहां–कहां पाए जाते है ? (छात्र अपने घर के बड़ों से पूछकर आयेंगे)

2– छात्र चरवाहों के जीविका, पशुपालन और व्यवसाय पर प्रोजेक्ट बना कर लायेंगे।

शिक्षण की आगामी योजना– आगामी पाठ्यबिन्दु पर शिक्षण योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करना।

नागरिक शास्त्र

केन्द्रिक लर्निंग आउटकम

1- तथ्यों, आँकड़ों को पहचानता है और पुनः प्राप्त करता है और प्रक्रियाओं को अभिव्यक्ति दे पाता है,जैसे–

- भारत के मानचित्र पर स्थान, राज्य, संघराज्य क्षेत्र और अन्य भौतिक विशेषताएँ बता सकता है।
- नाम, स्थान, वर्ष, कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं को याद करता है जिन्होंने भारत और दुनिया को बदल दिया। जैसे कि– अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
- मानचित्र पर ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का पता लगाता है।
- कुछ एक सामाजिक समूहों की अर्थव्यवस्थाओं और आजीविकाओं का वर्णन करता है।
- लोकतंत्र और तानाशाही से जुड़े राजनीतिक शब्दों और संकल्पनाओं का वर्णन करता है, जैसे कि स्वतंत्रता, जवाबदेही, विधि का शासन इत्यादि।
- दुनिया में महत्वपूर्ण क्रांतियों जैसे फ्रेंच और रूसी क्रांतियों की अग्रणी/महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ तुलना करता है।
- दुनिया भर में संचालित विभिन्न प्रकार की सरकारों के बीच अंतर करता है।
- भारतीय राज्यों में गरीबी और बेरोजगारी के स्तर की तुलना करता है।
- समकालीन समय में– ब्रिटेन, सऊदी अरब और भूटान के विभिन्न राजतंत्रों की तुलना करता है।

2- घटना, कार्यक्रमों और उनकी घटना के बीच कारण और प्रभाव संबंध बताता है, जैसे–

- विभिन्न क्रांतियों के कारणों और प्रभावों की व्याख्या करता है।
- यह बताता है कि समकालीन दुनिया में विभिन्न सामाजिक समूहों ने कैसे बदलाव का सामना किया। वह इन परिवर्तनों का वर्णन करता है।
- क्रांति और सामाजिक परिवर्तन के बीच अंतर को समझता है।
- दुनिया के विभिन्न देशों में, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक शासन के गठन की रूपरेखा बनाता है।
- लोकतांत्रिक देशों में परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, जैसे– लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता।
- भारतीय नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की पहचान करता है।

3- विश्लेषण और जानकारी का मूल्यांकन करता है, जैसे –

- भारतीय संसद और न्यायपालिका के कार्यों की रूपरेखा बनाता और आकलन करता है।
- साक्षरता और गरीबी जैसे महत्वपूर्ण विकास संकेतकों में ऐतिहासिक रुझानों का विश्लेषण करता है।

- महत्वपूर्ण सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करता है, जिनका उद्देश्य है–
- गरीबी उन्मूलन
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना
- स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना
- स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएँ उपलब्ध कराना

4- **व्याख्या करता है,जैसे–**

- ग्रंथ
- प्रतीक जो स्वतंत्रता, समानता, बराबरी के लिए बने हैं।
- कार्टून
- तस्वीरें
- पोस्टर
- सामाजिक–राजनीतिक मुद्दों से संबंधित अखबार की कतरनें
- साक्षरता, गरीबी और जनसंख्या से संबंधित डेटा के पाइ और बार आरेखों को तैयार करता है।

5- **सामाजिक विज्ञान के साथ अंर्तसम्बंध जोड़ता है, जैसे–**

- ऐतिहासिक काल से व्यापार और संचार के लिए भारत में विभिन्न रास्तों और समुद्री बंदरगाहों के बीच अंर्तसम्बंध बताता है।

6- **मान्यताओं/पूर्वाग्रहों/रूढ़ियों की पहचान करता है, जैसे–**

- ग्रंथ
- दृश्य
- राजनीतिक विश्लेषण
- समाचार
- भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लोग
- महत्वपूर्ण सरकारी जनकल्याण कार्यक्रम/योजनाएं

7- **जिज्ञासा/पूछताछ के कौशल को प्रदर्शित करता है, अर्थात इनसे संबंधित प्रश्नों को प्रस्तुत करता है, जैसे–**

- भारत/विद्यार्थियों के अपने क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रभाव
- भारत और दुनिया में फ्राँसीसी क्रांति की विरासत

8- **एकत्रित/दी गई जानकारी के आधार पर तर्कों/विचारों का निर्माण करता है, जैसे–**

- जीवित/ऐतिहासिक किंवदंती निर्माताओं के मौखिक और लिखित ब्यौरे
- संसाधन के रूप में लोग

9- **कार्यक्रमों और घटनाओं का पहले से अनुमान लगाता है, जैसे–**

- अकाल और गरीबी

10- **निर्णय लेने/समस्या सुलझाने के कौशल दर्शाता है, जैसे–**

- भोजन की कमी की समस्या
- भारत में भूख और अकाल से सुरक्षा
- ऐतिहासिक घटनाओं के विकास में संसाधनों की उपयुक्तता पर निर्णय लेना

11. **संवेदनशीलता और प्रशंसा–कौशल दर्शाता है, जैसे–**

- समाज के विभिन्न दिव्यांग और अन्य सीमांत वर्गों, जैसे अनुसूचित जनजाति के साथ सहानुभूति रखता है।
- राजनीतिक विविधता की सराहना करता है।
- सांस्कृतिक विविधता की सराहना करता है।
- धार्मिक विविधता की सराहना करता है।
- भाषाई विविधता को पहचानता है।
- सामाजिक विविधता को पहचानता है।
- प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं, युद्ध, राजनीतिक संघर्ष व अन्य कारणों से प्रभावित लोगों के साथ सहानुभूति रखता है।
- शारीरिक और मानसिक हिंसा एवं अन्य यातनाओं की मर्मांतकता से मानव को कैसे अत्यधिक पीड़ा होती है, इसके प्रति संवेदनशील रहता है।
- स्वच्छता, समय की पाबंदी, और नियमों का अनुपालन करता है तथा एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाता है।

अवधारणा पत्र

राज्य और नागरिक जीवन

राज्य और नागरिक जीवन एक दूसरे से संबद्ध हैं। मानव जाति ने अपने विकास की यात्रा में जो श्रेष्ठ आविष्कार किए ''राज्य'' उनमें से एक है। राज्य के ही साथ घुली–मिली है उसके सदस्यों की सदस्यता या नागरिकता। वैसे नागरिक ही अपनी चेतना से राज्य बनाते हैं। लेकिन कई बार राजसत्ता अपना चरित्र बदल देती है और नागरिकता का अस्तित्व जैसे नेपथ्य में चला जाता है। लेकिन राज्य को फिर आकार देने के लिए नागरिकों की ही जरूरत होती है। बिना नागरिकों के राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए नागरिकता की स्थितियों को समझने के लिए इतिहास में राज्य के बदलते स्वरूप को समझना जरूरी है। दोनों की ही विकास यात्राएँ लंबी हैं। अलग–अलग जगहों पर समाज विकास के खास दौर में राज्य की उत्पत्ति हुई है। उससे पहले यह संभव नहीं थी। आदिम समाज और कबीलाई जीवन – जहाँ से मानव समाज की शुरुआत मानी जाती है– की परिस्थितियाँ बेहद जटिल और अभावों से भरी थी। इस कारण उच्चस्तरीय राजनीतिक–सामाजिक चिंतन का विकास असंभव था। भौतिक परिस्थितियाँ इसके अनुरूप नहीं थीं। कदम–कदम पर जीवन की असुरक्षा और आहार की चिंता मुँह बाए खड़ी रहती थी। लड़ाइयाँ, बर्बरता और घुमंतू जीवन कबीलाई समाज का अंग थे । यद्यपि आदिम कबीलो में बराबरी की भावना थी, रक्तसंबंधों पर आधारित संवेदनशीलता थी तथा अपने कबीले के प्रति समर्पणभाव था। बस यही कबीले की अलिखित नागरिकता का अलिखित आदर्श था। पर इसे राज्य का रूप मान लेना सही नहीं होगा।

राज्य का पहला रूप : गण समाज

अनुभवों और समझ के विकास के साथ कबीलों ने गण समाजों का रूप ले लिया। गण कबीलों का परिष्कृत रूप थे। बहुधा गण व्यवस्था घुमंतू पशुचारक अवस्था से कृषि अवस्था में प्रवेश के कारण संभव हुई। अब मानव समाज के पास दो हुनर थे– पशुपालन का ज्ञान और खेती बारी की समझ। इसने मानव समाजों को स्थिर दशा में ला दिया। आहार की चिंता को कम किया और आत्मनिर्भर बनाया। गांवों की बसावट शुरु हुई। खेती व शिल्प के विकास ने तथा अतिरिक्त पैदावार ने व्यापार को संभव बनाया। नगर बसे। संगठन के रूप में कुछ सामाजिक शिक्षाओं और नीति नियमों की जरूरत पड़ी। स्वशासन की भी। तब गणों का उदय हुआ। यह एक आरंभिक लोकतांत्रिक और नियमबद्ध व्यवस्था थी। इसके वयस्क सदस्यों को अपने प्रतिनिधि और नायक चुनने की जरूरत पड़ी। इस प्रकार गणपरिषदों का गठन शुरु हुआ। गण परिषदें अपने गण के आम सदस्यों के मतों का आदर करती थीं और उनके प्रति जवाबदेह थीं।

ईसापूर्व की सदियों में भारत में आर्य कबीले/गण समुदाय अपना नायक चुनते थे, प्राचीन साहित्य में इसे महापितर तथा कहीं कहीं इन्द्र भी कहा गया है। आर्यों की एकाधिक गणपरिषदें थीं। इनका क्षेत्र उत्तर भारत का मध्य और पश्चिमी भाग था। गण खास भूभाग को नियंत्रित करता था। विभिन्न गणों के बीच आपस में मेल और युद्ध की स्थितियाँ रहती थीं। ऐसे संकेत मिलते हैं कि पराजित गणों को विजयी गणों में दास के रूप में अपनाया जाता था। अपनी विशेष योग्यताओं के कारण कोई दास सामान्य सदस्य की हैसियत भी पा लेता था।

सामान्यतया गण बराबरी की भावना पर आधारित थे। इनमें स्त्रियों को विशेष सम्मान प्राप्त था। पुराने भारतीय साहित्य में गणों को 'जनपद' भी कहा गया है। बुद्ध के समय (ईसापूर्व पांचवीं सदी के आस–पास) भारत में 16 महाजनपदों (अनेक गणों को मिलाकर बना राज्य का रूप) के होने का जिक्र प्राचीन साहित्य में मिलता है।

यूरोप में, स्पार्टा, एथेंस, ट्राय, यूनान आदि स्थानों पर गणों की मौजूदगी थी।

नीचे के बॉक्स में कुछ बुद्धकालीन गणों/गणराज्यों का विवरण दिया गया है

गणराज्य : **क्षेत्र और केन्द्र**

कुरू : हरियाणा के कुछ जिले मेरठ और थानेश्वर का इलाका। केन्द्र– हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ (आधुनिक दिल्ली)

पांचाल : पश्चिमी हिमालय के भाबरी इलाके– देहरादून का जौनसार बाबर, बरेली, बदायूँ और फर्रुखाबाद का क्षेत्र। इसकी पूर्वी सीमा नैमिषारण्य तक थी। पश्चिम में मेरठ तक। उत्तरी पांचाल जनपद का केन्द्र अहिच्छत्र (बरेली जिले का रामनगर गाँव) तथा दक्षिणी पांचाल का केन्द्र फर्रुखाबाद था।

शाक्य : इसमें नेपाल की तराई का इलाका था। बुद्ध इसी गण मे जन्में थे। इसका केन्द्र आधुनिक तलाराकोट था।

वत्सगण : इस गण के अधीन इलाहाबाद और उसके आस–पास का भूभाग था इसका केन्द्र कौशांबी था।

कौशल : इस गण के अंतर्गत आज के अयोध्या, गोंडा व बहराइच के इलाके थे। इसके केन्द्र थे साकेत और श्रावस्ती।

मल्ल : यह गोरखपुर के आस पास के क्षेत्र में था। केन्द्र थे कुशीनगर और पावा।

शूरसेन : इसके अंतर्गत मथुरा आगरा, हाथरस का क्षेत्र था। इसका केन्द्र मथुरा था।

काशी : वाराणसी, जौनपुर और उसके आसपास के क्षेत्र इसमें थे। वाराणसी इसका केंद्र था।

गणराज्य : क्षेत्र और केन्द्र

मगध : दक्षिणी बिहार के इलाकों में इसका विस्तार था और केन्द्र राजगीर तथा पटना थे।

वज्जि और लिच्छवि : बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र इसके अंतर्गत थे।संभवतः यह एक संयुक्त गण था। इसके दो केन्द्र थे जनकपुरी और वैशाली।

चेदि : इसके अधिकार में बुंदेलखंड का भूभाग था। इसका केन्द्र वर्तमान बांदा के निकट शक्तिमती था।

मत्स्य : इस गण के अधीन जयपुर और अलवर तथा आस–पास का क्षेत्र था। इसका केन्द्र विराटनगर था।

अश्मक : इसके अंतर्गत गोदावरी घाटी के कुछ जिले थे तथा केन्द्र तब का पांड्य नामक स्थान था।

अवंति : मालवा क्षेत्र में इसका विस्तार था और केन्द्र था उज्जयिनी ।

गांधार : इसका फैलाव पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ जिलों में था। केन्द्र तक्षशिला में था।

कंबोज : इसका क्षेत्र अफगानिस्तान के कुछ जिलों में था। केन्द्र राजापुर था।

गणों का राजतंत्र में रूपांतर –

समय बीतने के साथ गणों का राजतंत्र में बदलना शुरु हुआ। इसके ये कारण थे–

- कृषि और शिल्पों के विकास के साथ समाज में उपयोग की चीजों का अतिरिक्त उत्पादन (अधिशेष) होने लगा। यह समाज की आवश्यकता से अधिक था।
- इसका एक भाग व्यापार में लगे यह जरूरी था। गणों की सीमाएँ होती थीं। व्यापार के लिए एक बड़ा और निर्बाध क्षेत्र चाहिए था। ताकि समाज का व्यापारी और श्रेष्ठि वर्ग दूरस्थ क्षेत्रों तक व्यापार कर सके।
- समाज में कामकाज के अनेक नए रूप पैदा हो गए थे। किसान, खेत मजदूर, दास, शिल्पी और अन्य कामगार वर्ग पैदा हो गए थे। इनमें श्रमिक और शिल्पी अपने गणों की सीमाओं से बाहर भी हुनर दिखाना चाहते थे।
- अतिरिक्त उत्पादन से प्राप्त अनाज, उत्पादक वस्तुएं और अन्य सामग्री समाज के अधिकार प्राप्त लोगों के हिस्से में गई। ये थे गण परिषदों के सदस्य, गणपति, बड़ी

भूमियों के स्वामी, पुरोहित। इनकी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ गईं। धीरे–धीरे गणपति राजा बनने लगे, राजा वंशानुगत होने लगा। गण के सामान्य सदस्यों द्वारा चुनी गई गणपरिषदों की जगह राजा द्वारा नामित मंत्रिपरिषद ने ले ली। राजा इनकी सलाह से राज्य का शासन चलाने लगा। पुरोहित वर्ग राज्य का बौद्धिक प्रतिनिधि बना। साधारण नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मत का मूल्य लगभग शून्य हो गया। सभी शक्तियाँ राजा और उसके मंत्रिमंडल में समाहित हो गईं।

- ईसापूर्व 600 वर्ष से 200 वर्ष के बीच भारत में सामाजिक, धार्मिक नीतियों, आचार–व्यवहार और राजनीति से संबंधित प्रचुर साहित्य का सृजन किया गया। इसने वर्गो में बँटे राजतंत्रीय समाज के लिए वैचारिक–सांस्कृतिक जमीन तैयार की। इसमें साधारण और विशिष्ट नागरिकों का उनके कर्त्तव्य/श्रम के आधार पर श्रेणीकरण/वर्ण विभाजन किया गया। यह व्यवस्था आगे जाकर जाति–व्यवस्था में बदल गई। गांवों में जातीय–पंचायतें और नगरों में शिल्पियों की श्रेणियॉं जाति व्यवस्था के आधार पर रुढ़िबद्ध हो गईं। इनके सदस्यों को दोहरा कर्तव्यपालन करना होता था। अपने प्रभु राजा के प्रति और अपनी जातीय पंचायत या श्रेणी प्रधान के प्रति। जाहिर है कि तब कर व्यवस्था भी दोहरी थी। राजा या प्रभु की देनदारी तथा अपनी श्रेणियों द्वारा निर्धारित आंशिक दाय भाग (सहयोग राशि)।

गणों–राजतंत्रों में संघर्ष और साधारण जनता

गणों के राजतंत्र में बदलने का काम आसान नहीं रहा। अनेक गणों ने समानता और लोकतंत्र के आदर्श नहीं छोड़ने चाहे। राजतंत्रों ने उनपर आक्रमण किए। राजाओं को डर था कि उनके राज्यों के निकट गण समाज बने रहे तो उनकी समतामूलक भावनाएँ राजतंत्र के एकाधिकारी शासन में विद्रोह खड़ा कर सकती हैं। इसलिए एकाधिक राजाओं ने मिलकर अनेक गणों को नष्ट किया। उनके भूभाग आपस में बाँट लिए। 328 ईसापूर्व में स्थापित विशाल मौर्य साम्राज्य उत्तर भारत के अधिकांश गणों को पराजित और खुद में समाहित कर बनाया गया था। 55000 वर्ग किमी में फैला यह राज्य ज्ञात इतिहास में भारत का पहला शास्त्रीय (क्लासिक) साम्राज्य (मोनार्क) था।

यद्यपि मौर्य साम्राज्य बड़ा था। इसने व्यापार और मजबूत राज्य के मानदंड स्थापित किए। लेकिन यह एक विषम वर्गीय समाज था जिसमें श्रमिकों, शिल्पियों और दासों की स्थिति कमतर और अभावग्रस्त रही। अपनी जीवनदशाओं से हताश लोगों ने छिटपुट विद्रोह किए जिनका खास प्रभाव नहीं रहा। सैकड़ों हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म की शरण ली। बौद्ध धर्म उनकी समस्याओं का हल तो नहीं देता था पर यहाँ आकर वे जीवन की कठिनाइयों और अभावों से कुछ सीमा तक मुक्ति अनुभव करते थे। उस काल के ऐसे साधारण स्त्री–पुरुषों की भावनाएँ बौद्ध ग्रंथ 'थेरगाथा' और 'थेरी गाथा' में संकलित हैं। तो भी कहना होगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना ने इतिहास को गति दी और एक सुदृढ़ राज्य व्यवस्था के मानदंड स्थापित किए।

बड़े साम्राज्यों की यह जरूरत थी कि बड़े राज्य संचालन के लिए कुछ केंद्रीय नियम निर्धारित करें, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दें और इसके लिए राज्य के सभी भागों में आवागमन संभव बनाएँ। व्यापारी, श्रेष्ठि समुदाय और श्रमिक, शिल्पी भी इसमें अपना लाभ देखते थे। व्यापारी अधिकाधिक स्थानों पर व्यापार और लाभ के रूप में तथा श्रमिक और शिल्पी अच्छी मजदूरी की आशा में नई जगह हुनर दिखाने की उम्मीद में । बड़े राज्य के नियमों, कार्यों में उनकी सुविधा के लिए कुछ गुँजाइश निकल आती थी। हम कल्पना ही कर सकते हैं कि अशोक महान ने जब ग्रांड ट्रंक रोड (कलकत्ता से पेशावर) बनाई होगी तो कितने श्रमिक और शिल्पी काम में लगे होंगे और कितने ही दासों को मुक्त श्रमिक बनने के अवसर भी मिल गए होंगे।

सामंतवाद का विकास और साधारण नागरिकों की स्थिति

मौर्य साम्राज्य के बाद – उत्तर भारत में क्रमशः शुंग, कण्व, सातवाहन और गुप्त वंश के शासन रहे। गुप्त काल में कला कौशल की उन्नति हुई। लेकिन उसके बाद हम भारतीय 'राज्य' का स्वरूप बदला पाते हैं। ईसा की पहली दूसरी सदियों से राजाओं द्वारा अपने सेनाधिकारियों, सामंतों, उपसामंतों, दरबारी विद्वानों, धार्मिक संस्थाओं तथा पुरोहितों को भूमि दान करने (जागीरें देने) की प्रवृत्ति जोर पकड़ने लगी। गुप्तकाल के बाद भारत में राष्ट्रकूट, वाकाटक, प्रतिहार, पाल, गौड़, गहड़वाल, सेन, कलचुरि, चालुक्य आदि वंशों के राजाओं ने इस प्रथा को बहुत बढ़ाया। दूसरी से करीब तेरहवीं सदी तक भारी पैमाने पर यह काम हुआ। समूचे भारत में इस अवधि के 'दानपत्र' भारी संख्या में मिले हैं। सामंतों को इतने व्यापक पैमाने पर भूमिदान से राज्य के साधारण जनों की स्थिति विचित्र हो गई। इस विचित्रता को समझने के लिए भूमिदान के प्रकार और शर्तों को जान लेना होगा –

- राजा कुछ गाँवों से हजार गाँवों तक की भूमि सामंत को दान में देता था। उसके बाद उन गाँवों की जनता सामंत की प्रजा हो जाती थी, भूमि का स्वामी सामंत ही उन गाँवों से कर वसूलने, न्याय करने या दंड देने का अधिकारी हो जाता था। सामंत अपनी सेना रख भी सकता था और नहीं भी। भूमि के बदले वह अपने प्रभु राजा को एकमुश्त कर/लगान देता था और उसके लिये युद्ध में सैनिकों का बंदोबस्त करता था। राजा और उसके अनुचर उसकी दानभूमि में कोई दखल नहीं देते थे। सम्बंधित भूमि में सामंत के अपने नियम कायदे चलते थे।
- दान की गई भूमि कभी–कभार वापस ले ली जाती थी। तब प्रजा में फिर से नए स्वामी के नियम कायदे चलने लगते थे। कभी दान में दी गई भूमि पर राजा और सामंत का संयुक्त स्वामित्व चलता था। गाँव वासियों को कुछ कर राजा को तथा कुछ देय सामंत को देने होते थे।
- सामंत कभी अपनी इच्छा से तो कभी राजा की आज्ञा से अपनी भूमि का एक भाग किसी सैनिक सरदार या उप–सामंत या अन्य को दान कर देता था, तो इस भूभाग की

प्रजा अन्य स्वामी के मातहत हो जाती। तब यह नया स्वामी अपनी जागीर में, कर, न्याय और अपराध संबंधी अपने नियम चलाने लगता था।

- धार्मिक संस्थाओं जैसे मंदिर, मठ या अन्य शैक्षिक संस्था को दिए दान से राजा कोई कर नहीं वसूलता था। लेकिन इन संस्थाओं के संचालकों को अपना खर्च चलाने के लिए संबंधित गॉव से अनाज, मुद्रा, पशु तथा अन्य रूपों में कर लेने का अधिकार था। बौद्ध विहार नालंदा को एक समय आस–पास के 200 गाँवो से कर वसूलने का अधिकार था। इससे उसका खर्च चलता था।
- राजा की ओर से दान देते समय ही दानपत्र पर प्रजा के कर देने, सामंत को स्वामी और दंडाधिकारी मानने संबंधी आदेश लिख दिए जाते।
- राजा, सामंत या किसी संस्था को कर देने का एक तरीका यह था कि कर देने वाला किसान, श्रमिक, शिल्पी या दास उसे 'विष्टि' (बेगार) दे।
- बहुधा सामंत या भू स्वामी किसानों को भूमि के छोटे–छोटे टुकड़े निर्वाह के लिए देते थे। तब उन्हें दोहरा श्रम करना होता था। अपने निर्वाह हेतु अपनी भूमि पर और स्वामी की सेवा के लिए उसकी भूमि पर।
- लगभग हर सामंत, राजा, या भूस्वामी की कोशिश रहती थी कि उसकी जागीर के किसान, श्रमिक और शिल्पी उसकी जागीर छोड़ दूसरे में काम करने न जाएँ। अक्सर दानपत्र में यह उल्लेख होता भी था। शहरों में शिल्पी या कारीगर अपने श्रेणी प्रधान की आज्ञा के बिना अपना पेशा नहीं बदल सकते थे।
- इस प्रकार के संबंधों में भूमि या संपत्ति के स्वामी बदल सकते थे लेकिन प्रजा (नागरिकों) को अपना स्वामी, श्रेणी या व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता नहीं थी। यद्यपि इसके अपवाद भी होंगे और समय के साथ अनेक किसान स्वतंत्र हो गए।

इस करीब 1200 वर्ष की अवधि में साधारण जनता के जीवन का प्रवाह जैसे ठहर–सा गया था। इस काल के सिक्के बहुत कम मिले हैं इससे व्यापार के ह्रास का अनुमान लगता है। लेकिन इन परिस्थितियों ने भारतीय गाँवों में एक स्वायत्त–आत्मनिर्भर व्यवस्था को जन्म दिया। गाँव अपनी बुनियादी जरूरत की चीजें स्वयं पैदा कर लेते थे। यद्यपि ये जरूरतें बहुत सीमित थीं।

तो यह था सामंती व्यवस्था में साधारण नागरिकों का जीवन। उनके कर्तव्य और अधिकार और सुविधाएँ अब तक सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे। बड़े राजतंत्रों के समय बने कुछ विधान भी कहीं खो गए थे।

यूरोप में भी कमोबेश इसी अवधि में बड़े राजतंत्रों के बाद छोटे राजाओं और सामंतों का समय आया। राजाओं की सामंतों पर निर्भरता अत्यधिक बढ़ गई। राजाओं (किंग्स) द्वारा नाइट्स, ड्यूक, युद्ध सरदारों तथा चर्च को प्रचुर मात्रा में भूमि दान दिए गए। फलतः ये भूस्वामी बन गए और अपने भूभाग के किसानों पर अपने स्वेच्छाचारी नियम लागू किए। विभिन्न राजाओं द्वारा सर्वाधिक दान योरोपियन चर्च को दिया गया और ग्यारहवीं से तेरहवीं सदी के बीच चर्च यूरोप का सबसे बडा भूस्वामी था। जहाँ तक नागरिकों का प्रश्न है– यहाँ के किसानों और साधारण लोगों को राज्य और चर्च दोनों को कर देने होते थे, न चुका पाने की स्थिति में सजा देने या 'दास' बनाने का चलन भी था।

भारत में बारहवीं से सोलहवीं सदी : राज्य और जनता –

दसवीं सदी के बाद में क्रमशः तुर्क, गुलाम और खिलजी वंशों के राज्य रहे। इनके बाद बड़े राज्य के रूप में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। लेकिन भारतीय सामंती व्यवस्था टूटी नहीं। मुगल राज्य में कृषि संबंधी कुछ सुधार हुए। विभिन्न कारणों से स्वतंत्र किसानों की संख्या बढ़ी। शिल्पों और व्यापार का विकास हुआ। कृषि व निर्माण आधारित दस्तकारी के विकास के कारण गाँवों की जनता का एक भाग मुक्त श्रमिकों के रूप में नगरों में आया। आंशिक रूप में दास रहे सत्रहवीं सदी तक भारत में कपास आधारित कपड़ा निर्माण चरम सीमा पर था। भारतीय करघों पर बने कपड़ों की संसार भर में धूम भी। मुगल साम्राज्य को नष्ट होना ही था क्योंकि भारतीय दस्तकारी, व्यापार और कृषि उस मुकाम पर थे जहाँ राजतंत्र और सामंतवाद उपयोगी राजनीतिक व्यवस्था नहीं रह गए थे। बहुत संभव था कि ब्रिटेन और फ्रांस की तरह भारत में भी कोई औद्योगिक या लोकतांत्रिक क्रांति होती, भारतीय किसान, श्रमिक, शिल्पी, कलाकार, बुद्धिजीवी इसके अग्रदूत बनते। लेकिन तभी यूरोपीय व्यापारियों का एक दुर्घटना की तरह भारत आगमन हुआ और देश उनकी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। अब भारत एक उपनिवेश था। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारतीय कृषि और दस्तकारी की रीढ़ तोड़ी।

उपनिवेशी राज्य और नागरिकों की स्थिति

भारत ही नहीं यूरोप के विकसित देशों ने थोड़ा आगे, पीछे अपने व्यापारियों और सेना के बल पर एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों को भी उपनिवेश बनाया और जैसे इनकी आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता पर ग्रहण सा लगा दिया। जनता की राजनीतिक, सामाजिक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाया। जहाँ यूरोप में नागरिकों की स्वतंत्रता, वोट और उनसे चुनी जाने वाली सरकारों के नारे हवा में गूँज रहे थे वहीं उपनिवेशों में नागरिक स्वतंत्रता वोट और दलीय राजनीति की स्वतंत्रता की बातें अँधेरे में डाल दी गयीं। अपनी नागरिकता स्वतंत्रता के लिए एशियाई–अफ्रीकी देशों की जनता को करीब 200 साल लड़ना पड़ा। लेकिन बीसवीं सदी एशिया और अफ्रीका के लिए जैसे आजादी की सुबह लेकर आई। इनके देश एक–एक कर उपनिवेशवादियों और राजाओं–सामंतो की गुलामी से मुक्त हुए। इन देशों ने अपने स्वतंत्र संविधान बनाए, नागरिकों को मतदान के अधिकार दिए और उनके वोट से चुनी सरकारें बनाईं।

स्वयं भारत 200 वर्ष के अनवरत संघर्ष के बाद 1947 में स्वतंत्र देश बना। यद्यपि जनदबाव के कारण भारत में प्रान्तों का निर्माण 1947 से पहले ही शुरू हो गया था। विभिन्न राज्यों में विधानसभाओं का औपचारिक गठन भी होने लगा था। 1921 से 30 के बीच विभिन्न राज्यों में नागरिकों को मतदान के अधिकार भी मिले थे। पर ब्रिटिश अधिकारियों ने इसके लिए संपत्ति के मालिक होने, नगरपालिका का कर देने तथा एक निर्धारित वार्षिक आय होने जैसी शर्तें लगा दी थीं। पर 1947 से 50 के बीच भारत ने अपना विशाल संविधान तैयार किया और 21 वर्ष से ऊपर के वयस्कों को बिना शर्त मतदान का अधिकार दे दिया। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व परिभाषित हुए। इसमें प्रांतों और केन्द्र के (संघ) अधिकारों और दायित्वों का भी निर्धारण किया गया है।

<u>आधुनिक स्वतंत्र राज्यों के प्रकार</u> –

आधुनिक विश्व में लगभग सभी देश स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। अनेक भिन्नताओं के बीच मुख्य रूप से तीन प्रकार की राज्य प्रणालियाँ चलन में है 1) बहुदलीय लोकतांत्रिक पूंजीवादी राज्य 2) एकदलीय समाजवादी राज्य 3) धार्मिक – निर्दलीय राजशाही राज्य।

- बहुदलीय लोकतांत्रिक पूंजीवादी राज्य– बहुदलीय लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं और वर्गों का स्थान बना रहता है। ऐसे देशों में तय अवधि में आम–चुनाव होते हैं। बहुमत प्राप्त दल शासन करता है। राज्य सभी वर्गों और समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ बनाता है। ऐसे सभी देशों का भी अपना लिखित संविधान है पर अनेक बार उच्च वर्ग के सदस्य जो राजनीतिक सामाजिक रूप से ताकतवर हो जाते हैं अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने लगते हैं।
- एकदलीय समाजवादी राज्य– एकदलीय समाजवादी प्रणाली किसानों, श्रमिकों के विकास पर अधिक जोर देती है। समाजवादी राज्य में निजी संपत्ति बढ़ाने को हतोत्साहित किया जाता है। बीसवीं सदी के आरंभ में समाजवादी देशों में अपने संविधान में रोजगार के अधिकार को सभी नागरिकों का मूल अधिकार बनाया था। लेकिन इसमें एक ही राजनीतिक दल के लगातार सत्ता में बने रहने के कारण शीर्ष राजनीतिज्ञों द्वारा पद और अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना रहती है।
- धार्मिक निर्दलीय राजशाही– राज्य का एक अन्य आधुनिक प्रकार है। इसमें धर्म, बादशाहत/राजतंत्र और आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के कुछ नियमों का मिश्रण किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के अनेक देश इसका उदाहरण हैं।

सोचने के लिए प्रश्न

आपकी समझ से किसी राज्य/देश के ये कार्य कितने प्रासंगिक हैं?

- आधुनिक औद्योगिक और वैज्ञानिक सभ्यता के काल में हजार वर्ष पुराने धार्मिक नियमों के अनुसार राज्य संचालन का आग्रह करना।
- किसी राजनीतिक दल के मुखिया द्वारा संसद में ऐसा विधान पारित करना कि वह आजीवन देश का मुखिया बना रह सके।
- राज्य द्वारा देश की सांस्कृतिक विविधताओं, बहुभाषिता, स्थानीय व पारंपरिक ज्ञान संपदा की उपेक्षा करना।
- लोकतांत्रिक पद्धति से मतों के आधार पर चुनाव न कराना।
- जनसाधारण की आर्थिक–सामाजिक दुर्दशा की उपेक्षा करना। उसके विचारों/मतों को अनदेखा करना।

पाठ्यपुस्तक की विशयवस्तु

नौवीं कक्षा की नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति की व्याख्या करती है। इसमें पांच अध्याय हैं। सब परस्पर संबंधित हैं।

- **पहले अध्याय** में लोकतंत्र की अवधारणा को कई प्रकार की व्याख्याओं से स्पष्ट किया गया है। पाकिस्तान, चीन, जिंबाब्वे और मेंक्सिको के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है कि कुल मिलाकर सैनिक शासन, एकदलीय शासन, राजशाही और राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित राज्यों की तुलना में बहुदलीय लोकतंत्र ही बेहतर है। यद्यपि इसमें भी कुछ समस्याएँ हैं, सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है, धनी वर्ग राजनीति पर हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन अनेक प्रकार की संस्थाओं की मौजूदगी, बहुदलीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र चुनाव आयोग और अभिव्यक्ति की आजादी के कारण अधिक निरंकुशता संभव नहीं है। वह देर सवेर पकड़ी जाती है। इसलिए कमियों के बावजूद यह बेहतर राजनैतिक व्यवस्था है।
- **दूसरे अध्याय** में लोकतंत्र के संचालन के लिए जरूरी संविधान निर्माण पर बात की गई है। अध्याय संविधान निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्वों का जिक्र करते हुए हमारे सामने दक्षिण अफ्रीका के संविधान का उदाहरण रखता है। इस संविधान के बनने से पहले गोरों द्वारा दक्षिण अफ्रीकी अश्वेतों पर अत्याचार किया गया था। लेकिन जब देश को स्वतंत्रता मिलनी तय हुई तो देश को 75 प्रतिशत अश्वेतों और 25 प्रतिशत गोरों के प्रतिनिधि साथ बैठे और संविधान बनाना तय किया। यह देश की आजादी का नाजुक क्षण था और उन्होंने पिछली सारी कटुताएँ भुलाने और एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने का एक दूसरे से वादा किया। उन्होंने यही किया। यह अध्याय भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया को भी समझाता है कि किस तरह

विभिन्न विचारों वाले सचेतन लोगों ने राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सहमतियाँ बनाईं और देश के संचालन के लिए एक बहुदलीय पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया।

- **तीसरे अध्याय** में 'चुनावी राजनीति' शीर्षक से भारतीय राजनीति में बहुदलीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें खुले चुनावी मुकाबले होते हैं और मतदाता यह सोचकर वोट देते है कि उनकी पसंदीदा पार्टी उनकी मंशाओं को चुनाव जीतने के बाद पूरा करेगी। अध्याय चुनाव प्रणाली में आरक्षण के औचित्य को समझाता है। अध्याय में चुनाव की पूरी प्रक्रिया – वोटर लिस्ट बनाना, निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों के नामांकन, उनकी योग्यता का निर्धारण तथा चुनाव में बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाने की प्रक्रिया तक का वर्णन हैं। अध्याय में भारत के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का डाटा भी दिया गया है। यह अध्याय चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता के महत्व को भी स्पष्ट करता है। अध्याय बताता है कि उम्मीदवारों द्वारा जीतने की तिकड़में लगाने के बावजूद सत्ता मिलने पर जनता के लिए कुछ कल्याणकारी काम करने पड़ते हैं। उन्हें जनमत के आगे सिर झुकाना पड़ता है, क्योंकि अगले चुनाव में फिर चुने जाने की फिक्र बनी रहती है।
- **चौथे अध्याय** में भारतीय लोकतंत्र के तीन घटकों – विधायिका (संसद) कार्यपालिका (राष्ट्रपति, मंत्रियों की कैबिनेट और प्रशासन के अधिकारी) और न्याय पालिका की भूमिकाओं के बारे में बताया गया है। अध्याय संसद की कैबिनेट, कार्यपालिका प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका, संसद के दोनों सदनों – लोकसभा व राज्यसभा की भूमिका का विस्तृत वर्णन करता है। यह लोकतंत्र के इन तीन प्रमुख अंगों की स्वायत्तता तथा न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के कामकाज पर निगरानी को लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए जरूरी मानता है।
- **पाँचवां अध्याय** आधुनिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों के महत्व पर केन्द्रित है। अमेरिका की गुआंतोनामो जेल में बिना अपराध सिद्ध हुए कैद किए एक कैदी के उदाहरण से यह स्पष्ट किया गया है कि बिना दोषसिद्धि के किसी भी नागरिक को कोई दंड देना नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन कई बार लोकतांत्रिक देशों की सरकारें भी ऐसी ज्यादती करती हैं। तब उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की जरूरत होती है। अध्याय नागरिक अधिकारों को ऐसे तार्किक दावे की संज्ञा देता है जिन्हें मानने की किसी देश के नागरिक अपनी सरकारों से अपेक्षा रखते हैं। अध्याय भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए छः मूल अधिकारों की व्याख्या भी करता है। इस व्याख्या में भारतीय समाज में मौजूद जातिगत और धार्मिक भेदभाव का उल्ल्लेख है और बताया गया है कि सामाजिकता व राजनीति का स्तर उन्नत होते जाने के साथ ये समस्याएँ हल होंगी और नागरिक के रूप में मनुष्य के अधिकार बढ़ेंगे। अंत में देश में नागरिक अधिकारों की निगरानी करने वाली संस्था 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' का परिचय दिया गया है। पुस्तक बताती है, यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था से बेहतर कोई व्यवस्था है तो वह आज से बेहतर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था ही होगी।

पुस्तक में दिए गए विविध अभ्यासों का विवरण निम्नलिखित है –

अभ्यासों के प्रकार	संख्या
कुछ पात्रों के बीच संवाद (पाठ में रोचकता पैदा करने के लिए)	02
'कहाँ पहुँचे, क्या समझे' (अपनी समझ की जांच के लिए प्रश्न और तुलनात्मक तथ्य)	18
मुन्नी उन्नी द्वारा पूछे गए सोचू सवाल (जरूरी नहीं कि इनका जवाब तत्काल मिल जाए)	28
'कार्टून बूझें' (कार्टूनों द्वारा व्यंग्य और राजनीति की समझ बनाना)	18
'खुद करें, खुद सीखें' (खुद कर के, खोज के, लिख के समझ बनाने के अभ्यास)	16
जानकारी बॉक्स या स्टीकर	25
चित्र फोटोग्राफ्स और स्वतंत्र कार्टून	32
अखबार पढ़ने, समाचार संकलन, उनका वर्गीकरण, विश्लेषण करने तथा अखबारों के लिए लिखने का अभ्यास।	5
मानचित्र	3
विषयगत विशिष्ट शब्दावली	3
आरेख (ग्राफ –1, पाइ–1, थंब–2)	4
विश्लेषण और समझ के लिए तालिका व प्रारूप	2
कार्टून निर्माण का अभ्यास	1
विविध प्रकार के अभ्यास प्रश्न (अध्याय के अंत में)	51

- पुस्तक एक खंड को तीन वादन में पढ़ाने की अपेक्षा करती है।

दिवसवार अध्याय की विषयवस्तु का विभाजन

अध्याय संख्या, नाम, निर्धारित दिवस	दिवस	पाठ्यवस्तु/पाठ्यबिन्दु
अध्याय–1, लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र क्यों?, दिवस 06	1	लोकतंत्र का परिचय, अर्थ एवं परिभाषा • सरकार के विभिन्न रूप • लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकार • वास्तविक एवं दिखावटी लोकतंत्र में अन्तर। • लोकतंत्र में वास्तविक शासक
	2	लोकतंत्र के प्रकार एवं विशेषताएँ • लोकतंत्र के प्रकार • लोकतंत्र की विशेषताएँ • लोकतंत्र में सरकार के कार्य
	3	पिछले दो दिनों में पढ़ाए गए पाठ्य बिन्दुओं की पुनरावृत्ति
	4	लोकतंत्र ही क्यों ? • लोकतांत्रिक देश • लोकतांत्रिक शासन प्रणाली– गुण एवं दोष • बहुदलीय चुनावी व्यवस्था • अधिक जवाबदेही एवं स्वतंत्र मीडिया • बेहतर निर्णय की सम्भावना • स्थिर एवं उत्तरदायी सरकार • विपक्षी दल और सरकार की आलोचना • समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान • लोकतंत्र के विरुद्ध तर्क • निर्णयों में देरी • नेतृत्व का शीघ्रता से परिवर्तन • अस्थिरता, विकास का अवरुद्ध हो जाना, नैतिकता विहीन लड़ाई एवं सत्ता का खेल
	5	लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ • नागरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं की प्रासंगिकता • निर्णय लेने की आजादी • प्रतिनिधित्व

		• सूचनाओं की उपलब्धता • बुनियादी शिक्षा एक जीवन दर्शन है। • पक्की निष्ठा एवं नागरिकों का सम्मान
	6	प्रोजेक्ट / मूल्यांकन कार्य कराना
अध्याय–2, संविधान निर्माण दिवस 07	1	संविधान का अर्थ, परिभाषा, • संविधान की विषेशताएं
	2	दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान • रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, • अर्थव्यवस्था अश्वेतों के श्रम पर आधारित • मताधिकार प्राप्त नहीं • श्वेतों के लिए आरक्षित स्थान • भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध • एक नए संविधान की ओर (नेल्सन मंडेला के जीवन एवं संघर्षों पर चर्चा)
	3	पुनरावृत्ति–पिछले दो दिनों में पढ़ाए गए बिन्दुओं को दोहराना।
	4	संविधान की आवश्यकता क्यों? • किसी भी देश की सरकार के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए। • देश के अलग–अलग वर्गों के बीच तालमेल को बढ़ाने के लिए • सरकार को तानाशाह बनने से रोकने के लिए। • देश का सर्वोच्च कानून • समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए।
	5	भारतीय संविधान का निर्माण • संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि • संविधान सभा
	6	भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य • संविधान का दर्शन • संस्थाओं का स्वरूप
	7	प्रोजेक्ट मूल्यांकन– • विद्यार्थियों से चार्ट पर संविधान निर्माण का चित्र बनवाकर कक्षा

		में प्रस्तुत करवाना • टेस्ट लेकर विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना।
अध्याय–3, चुनावी राजनीति, दिवस 08	1	चुनाव क्या है? चुनाव क्यों आवश्यक? • चुनाव की प्रणाली • लोकतंत्र में चुनाव का महत्व
	2	लोकतांत्रिक चुनाव के आधार • एक व्यक्ति एक मत, सार्वभौम मताधिकार, • स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव
	3	चुनावी राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता क्या और क्यों?
	4	चुनाव प्रणाली • चुनाव क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र एवं आरक्षित क्षेत्र, • मतदाता सूची • उम्मीदवार का नामांकन, शैक्षिक योग्यता • चुनाव अभियान
	5	अब तक के पाठ्वस्तुओं की पुनरावृत्ति
	6	मतदान और मतगणना • मतदाता कौन (गुलबर्गा के चुनाव परिणाम) • मतदान की प्रक्रिया (ई0वी0एम0/बैलेट पेपर) • मतगणना की प्रक्रिया।
	7	भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं? स्वतंत्र चुनाव आयोग तथा उसकी चुनौतियाँ– • चुनाव आयोग क्या है? • चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ • चुनाव आयोग की चुनौतियाँ
	8	मूल्यांकन प्रश्न / प्रोजेक्ट कार्य
अध्याय–4, संस्थाओं का कामकाज, दिवस 10	1	नीतिगत फैसले • संस्थाओं के कामकाज • विवादों के निपटारे
	2	राजनैतिक संस्थाओं की आवश्यकता • संसद (व्यवस्थापिका) • कार्यपालिका • न्यायपालिका

	3	संसद क्या और क्यों? • लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केन्द्र • वित्तीय कोष पर नियन्त्रण • नीतिगत फैसलों और बहसों की सर्वोच्च संस्था • सरकार पर नियन्त्रण
	4	संसद के दो सदन (द्विसदनात्मक व्यवस्था) • राज्यसभा • उच्च सदन (अपर हाउस) • चुनाव (परोक्ष प्रक्रिया) • राज्य, क्षेत्र एवं संघीय, इकाइयों के हित • निर्णयों पर पुनर्विचार • 14 दिनों का विशेषाधिकारों का दिखावा • दोनों सदनों की तुलना • लोकसभा • निम्न सदन (लोअर हाउस) • चुनाव (प्रत्यक्ष प्रक्रिया) • वास्तविक अधिकारों का प्रयोग • प्रभावशाली सदन • विचारों को प्राथमिकता • मंत्रि परिषद् पर नियंत्रण
	5	पिछले दिनों में पढाए गए बिन्दुओं की पुनरावृत्ति (T-L-M-)
	6	राजनैतिक कार्यपालिका • कार्यपालिका के प्रमुख कार्य
	7	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और कैबिनेट • राजनैतिक संस्था के रूप में • मंत्रिपरिषद के अधिकार
	8	राष्ट्रपति– चुनाव प्रक्रिया एवं अधिकार
	9	न्यायपालिका • कानून की व्यवस्था एवं दण्ड विधान • न्यायिक प्रशासन पर नियन्त्रण • फौजदारी / दीवानी मुकदमें • निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई

		• नियुक्ति एवं अविश्वास प्रस्ताव • न्यायाधीशों की नियुक्ति/कार्यपुस्तिका • कानून/कार्यवाही को अमान्य घोषित करना • मौलिक अधिकारों का रक्षक • जनहित याचिका एवं न्यायिक समीक्षा • निर्णय की शक्ति के दुरूपयोग में हस्तक्षेप
	10	प्रोजेक्ट कार्य, समूह चर्चा एवं मूल्यांकन का कार्य
अध्याय–5, लोकतांत्रिक अधिकार, दिवस 11	1	अधिकारों के बिना जीवन • अधिकारों से क्या तात्पर्य है? • अधिकारों की जरूरत क्यों? • अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा (घटनाओं की चर्चा गुआंतानायों बे का जेल, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार, कोसोवो में जातीय नरसंहार)?
	2	लोकतन्त्र में अधिकार • न्यूनतम सुरक्षा की गारंटी • अधिकार– व्यक्ति के तार्किक दावे • भयरहित जीवन तथा सम्मानपूर्ण जीवन की प्राप्ति • लोकतन्त्र में नागरिकों एवं अल्पसंख्यकों के हित एवं अधिकारों की रक्षा • लोकतन्त्र में वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार • अधिकारों के अभाव में व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध
	3	भारतीय संविधान में अधिकार– • भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त छः मौलिक अधिकार • समानता का अधिकार • स्वतंत्रता का अधिकार • शोषण के विरुद्ध अधिकार • धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार • सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार • संवैधानिक उपचारों का अधिकार
	4	पुनरावृत्ति
	5	समानता का अधिकार • विधि के समक्ष समानता

		• धर्म, जाति, समुदाय, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति • अवसर की समानता • छुआछूत का अन्त • उपाधियों का अन्त
	6	स्वतंत्रता का अधिकार • विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता • अपराधों के लिये दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण • जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार • मनमानी गिरफ्तारी पर रोक
	7	शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार – • मनुष्य जाति के अवैध व्यापार पर रोक • बाल मजदूरी का निषेध • प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार • नागरिकों को अपनी भाषा एवं संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार • अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा
	8	संवैधानिक उपचारों का अधिकार – • बन्दी प्रत्यक्षीकरण • परमादेश • उत्प्रेषण • प्रतिषेध • अधिकार पृच्छा रिट
	9	पुनरावृत्ति एवं टी. एल. एम. का प्रयोग
	10	हमें यह अधिकार कैसे मिल सकते हैं, अधिकारों का बढ़ता दायरा • संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु–32) अधिकारों की गारन्टी है। • न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये निर्देश देना, आदेश, रिट जारी करना। • जनहित याचिका, मानव अधिकार आयोग

		• सूचना का अधिकार, प्रेस की स्वतन्त्रता का अधिकार • प्रतिज्ञा पत्र (अन्तरराष्ट्रीय सन्धियों के दस्तावेज)
	11	गृहकार्य– प्रोजेक्ट कार्य एवं मूल्यांकन

शिक्षण योजना 01

अध्याय 1	प्रकरण एवं दिवस	दिवस	समय
लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र क्यों?	लोकतंत्र क्या? लोकतंत्र क्यों?	04	40 मिनट

लर्निंग आउटकम–

- लोकतंत्र और तानाशाही से जुड़े राजनीतिक शब्दों और संकल्पनाओं का वर्णन कर पाते हैं।
- लोकतांत्रिक चुनाव एवं उसके महत्व को स्पष्ट कर पा रहे हैं।
- लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की सम्भावनाओं के बारे में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।

शिक्षण उद्देश्य – लोकतंत्र ही क्यों, इसके बारे में समझ विकसित करना।
सीखने–सिखाने की सामग्री– पाठ्य पुस्तक, ग्लोब, टी.एल.एम., कोलॉज, दीक्षा एप का वीडियो।
सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ–
शिक्षण के शुरुआत में – (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

1. विभिन्न चुनावों के संदर्भ में बच्चों से चर्चा करते हुए तथा उनके अनुभव सुनते हुए शिक्षण की शुरुआत करेंगे।
   –इसके बाद निम्नांकित प्रकार से शिक्षण प्रारम्भ करेंगे।
2. चुनाव की विभिन्न सामग्री– (चुनावी मुहर/बैलेट पेपर/बैलेट बॉक्स/ई.वी.एम. मशीन) के चित्रों की पहचान का कार्य और उन पर बातचीत।
3. इन सामग्रियों का प्रयोग कहाँ और कब किया जाता है? इस प्रश्न पर चर्चा।

चुनाव संबंधी सामग्रियों के चित्र

4. चुनाव क्यों कराया जाता है? प्रश्न पर चर्चा।

शिक्षण के दौरान– (अनुमानित समय 20 से 25 मिनट)

- कोलाज के माध्यम से लोकतंत्र के अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार के बारे में कक्षा–कक्ष एवं स्थानीय संस्थाओं के वातावरण पर चर्चा करेंगे।

- शासन की विभिन्न प्रणालियों से जोड़ते हुए चुनाव की प्रक्रिया के बारे में समझाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्पष्ट करेंगे।

विश्व मानचित्र

मानचित्र को दिखाते हुए लोकतांत्रिक देशों के बारे में चर्चा करेंगे। उनके शासकीय क्रियाकलापों को स्पष्ट करते हुए लोकतंत्र की विशेषताओं से विद्यार्थियों को अवगत करायेंगे।

जैसे– कल्पना करें कि:– यदि भारत एक लोकतांत्रिक देश न होता तो हमारा जीवन कैसा होता?/शासन की प्रक्रिया कैसी होती?/जब भारत में ब्रिटिश सत्ता (अग्रेंजों की सरकार) थी तो भारत के लोगों का जीवन कैसा था?/उस समय भारत में कैसी शासन प्रणाली कार्य कर रही थी?/जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतवासी कौन सी शासन प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करते थे?/इन सभी प्रश्नों का उत्तर P.P.T./T.L.M. के माध्यम से स्पष्ट किया जायेगा।

पी०पी० टी०/टी० एल०एम० के माध्यम से चर्चा–

- विश्व की विभिन्न शासन प्रणालियों के प्रकारों पर समझ बनाना तथा विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के गुण–दोषों के बारे में तार्किक परिचर्चा।
  –कौन सी शासन प्रणाली, अन्य शासन प्रणालियों में सबसे अच्छी है? (विद्यार्थियों को समूह में बांटकर प्रश्न पर चर्चा एवं चर्चा आधारित संक्षिप्त नोट्स की कक्षा में प्रस्तुति करायेंगे)।
  –लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के गुण–दोषों के बारे में विद्यार्थियों की चर्चा द्वारा समझ बनायेंगे (समूह कार्य एवं प्रस्तुति)।
- रोल प्ले के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गयी अवधारणा पुष्ट करने का भी प्रयास किया जायेगा।

- पी०पी० टी०/टी० एल०एम० के माध्यम से निम्नांकित फ्लो चार्ट पर चर्चा–

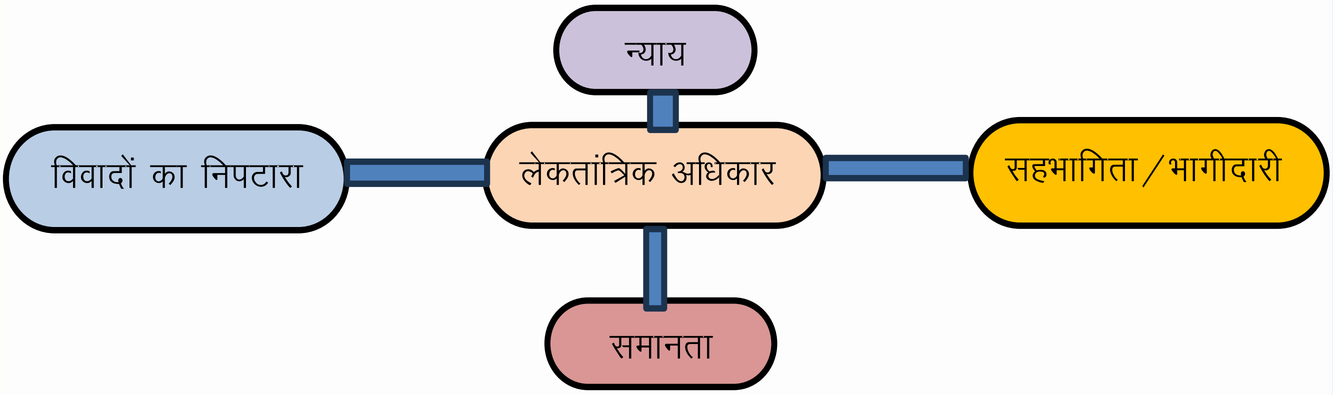

निम्नांकित बिंदुओं पर छोटे समूह में चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण–

1. लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों आवश्यक है?
2. लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था क्या है?
3. लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं?
4. प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं?
5. लोकतांत्रिक प्रणाली के गुणों को बताइये!

शिक्षण के अन्त में– (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

- पढ़ाये गये विषय बिन्दुओं की पुनरावृत्ति व पुनर्बलन करें।
- लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक देशों की सूची तैयार कर ग्लोब एवं मानचित्र पर हरे एवं लाल रंग के निशान द्वारा चिन्हांकन करायें।
- छोटे–छोटे प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान एवं समझ का आकलन करें।

गृहकार्य/प्रोजेक्ट कार्य – विश्व मानचित्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों को खोजना तथा कक्षा में उनके बारे में प्रस्तुति देना।

- छात्र फ्रांसीसी वर्ग–विभाजन का चार्ट पेपर पर प्रोजेक्ट के रूप में फ्लो चार्ट बनायेंगे और कक्षा में अगले दिन प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षण योजना 02

अध्याय–2	प्रकरण	दिवस	समय
संविधान निर्माण	संविधान का अर्थ	01	40 मिनट

लर्निंग आउटकम–

- छात्र संवैधानिक शासन के गठन की रूपरेखा बना लेते हैं।
- विद्यार्थी पूर्वज्ञान के माध्यम से संविधान निर्माण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं।

शिक्षण उद्देश्य– संविधान निर्माण से जुड़े विभिन्न तथ्यों की समझ विकसित करना

सीखने–सिखाने की सामग्री– पाठ्य पुस्तक, कविता, चार्ट।

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ–

शिक्षण के शुरुआत में – (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

- विद्यार्थियों के पूर्वाज्ञान के आधार पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा, परिचर्चा करेंगे।
- चर्चा परिचर्चा करते हुए विद्यार्थियों को उनके स्थानीय परिवेश से जोड़ते हुए किसी स्कूल या संस्था के विषय में बात करेंगे। संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं– यह स्पष्ट करेंगे।
- विद्यार्थियों से चर्चा करें कि यह नियम कानून कौन बनाता है? आपके घर अथवा विद्यालय में कौन–कौन से नियम लागू हैं?
- विद्यार्थियों को स्पष्ट करें कि जिस प्रकार स्कूल या घर को चलाने के लिए नियम कानून होते हैं उसी प्रकार से किसी भी देश को चलाने के लिए नियम, कानून होते हैं। यह नियम कानून जिस दस्तावेज में लिखे होते हैं, उसे **संविधान** कहते हैं।

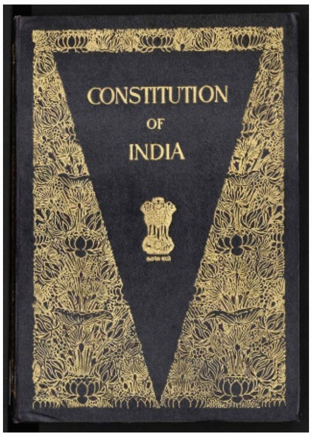

शिक्षण के दौरान– (अनुमानित समय 20 से 25 मिनट)

- पाठ्यपुस्तक में संविधान से संबंधित अंश का वाचन तथा संबंधित विषयवस्तु पर चर्चा के माध्यम से समझ बनाना।
- विद्यार्थियों को संविधान का अर्थ और उसकी परिभाषा स्पष्ट करना।
- विद्यार्थियों को संविधान की विशेषताओं के विषय में बताना।

- संविधान निर्माण की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण घटनाक्रम को निम्नांकित रूप में प्रस्तुत कर चर्चा करें–

- अपने देश के संविधान की विभिन्न देशों के संविधानों से तुलना करके संविधान के महत्व को बताएं! दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस की क्रान्ति का उदाहरण देते हुए संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट करें।

शिक्षण के अन्त में– (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

- विद्यार्थियों को दो समूह में बाँटकर संविधान निर्माण से संबंधित प्रश्न बनवाना तथा एक दूसरे समूह से उत्तर पता करवाना ।
- संविधान निर्माण से संबंधित क्विज का आयोजन।
- संविधान का अर्थ और उसकी विशेषताओं के विषय में विद्यार्थियों से पोस्टर बनवाना ।

गृहकार्य/प्रोजेक्ट– संविधान निर्माण के विभिन्न तथ्यों / घटनाओं का चित्र बनाकर उससे सम्बन्धित तथ्यों को कक्षा में प्रस्तुत करायें।

शिक्षण की आगामी योजना– विद्यार्थियों को योजना के जरुरी अंशों की पुनरावृत्ति करायें! अगले शिक्षण दिवस के कार्य को इससे जोड़कर आगे बढ़ाने की योजना बनायें!

शिक्षण योजना 03

अध्याय–3	प्रकरण	दिवस	समय
चुनावी राजनीति	चुनाव क्या और क्यों आवश्यक	01	40 मिनट

लर्निंग आउटकम– विद्यार्थी, चुनाव की प्रक्रिया एवं इसकी आवश्यकता से संबंधित जानकारी दे पाते हैं।

शिक्षण उद्देश्य– चुनाव एवं चुनाव प्रक्रिया की समझ विकसित करना।

सीखने–सिखाने की सामग्री– पोस्टर, चार्ट, पाठ्य–पुस्तक, समाचारपत्र, पी.पी.टी., चुनाव एवं चुनाव प्रक्रिया आधारित वीडियो।

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ–

शिक्षण के शुरुआत में – (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

- बच्चों से उनके देखे गए चुनाव के बारे में बातचीत करते हुए शिक्षण की शुरुआत करें।

कक्षा मानीटर के चुनाव हेतु एक चुनाव प्रक्रिया करायें। छात्रों से इस हेतु नामित 2–3 छात्रों में से किसी के पक्ष में समर्थन करते हुए एक पर्ची पर उसका नाम लिखकर निर्धारित बाक्स में पर्ची डालने हेतु निर्देशित करें। अन्त में जिस नाम की अधिक पर्चियाँ बाक्स से प्राप्त हों उसे मॉनिटर घोषित करें। अब छात्रों से निम्नांकित प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करें–

1. यहाँ क्या हो रहा था?
2. ऐसी प्रक्रिया और कहाँ–कहाँ होती है?

शिक्षण के दौरान– (अनुमानित समय 20 से 25 मिनट)

मतदान प्रक्रिया से सम्बन्धित एक छोटा वीडियो दिखाकर उस पर चर्चा करें! इसके उपरान्त निम्नांकित प्रकार के प्रश्नों पर छात्रों से चर्चा करें!

1. मतदान क्यों किया जाता है?
2. मतदाता कौन होता है?
3. चुनाव कैसे होता है?
4. चुने हुए जनप्रतिनिधि क्या करते हैं?

छात्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर प्रकरण के समस्त पाठ्य–बिन्दुओं को और अधिक स्पष्ट करें। इसके लिए समाचार–पत्र का भी प्रयोग करें। स्थानीय स्तर पर हाल ही में सम्पन्न किसी चुनाव व उससे सम्बंधित प्रक्रियाओं व घटनाओं पर चर्चा कर जनप्रतिनिधियों व उसके कार्य के विषय में अधिक स्पष्टता से बतायें और समझ विकसित करें।

शिक्षण के अन्त में– (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

चुनाव की आवश्यकता एवं प्रक्रिया से सम्बन्धित आकलन के लिए विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें। अस्पष्टता की स्थिति में पुनरावृत्ति व पुनर्बलन के लिए अभ्यास का मौका दें।

गृहकार्य / प्रोजेक्ट– छात्र, स्थानीय प्रतिनिधियों से मिलकर उनके कार्य व दायित्व से सम्बन्धित साक्षात्कार लेंगे तथा कक्षा में प्रस्तुतीकरण करेंगे।

शिक्षक प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करके सभी विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

शिक्षण योजना 04

अध्याय–4	प्रकरण	दिवस	समय
संस्थाओं के कामकाज	संसद क्या	03	40 मिनट

लर्निंग आउटकम– विद्यार्थी संसद के बारे में सामान्य जानकारी रखते तथा बता पाते हैं।

शिक्षण उद्देश्य – संसद के बारे में सामान्य जानकारी उपलब्ध कराते हुए समझ विकसित करना।

सीखने–सिखाने की सामग्री– ग्लोब, मानचित्र, थ्री डी फोटो (पिक्चर, प्रोजेक्टर एवं वीडियो, स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, पी.पी.टी., संसद का माडल/चित्र।

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ–

शिक्षण के शुरुआत में – (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

- संसद की थ्रीडी पिक्चर प्रोजेक्टर द्वारा दिखाकर छात्र/छात्राओं से उनकी सामान्य समझ के बारे में चर्चा–परिचर्चा करेंगे।
- संसद के क्रियाकलाप के बारे में बताते हुए छात्र/छात्राओं की समझ को विकसित करेंगे।

शिक्षण के दौरान– (अनुमानित समय 20 से 25 मिनट)

- मानचित्र का प्रयोग करते हुए संसद भवन के स्थान एवं स्थिति से अवगत कराते हुए छात्र/छात्राओं से उस पर बातचीत करेंगे।
- संसद की कार्यप्रणाली और उसकी गतिविधि जनता को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके बारे में स्पष्ट करेंगे। संसद की संरचना, उसके दोनों सदनों– लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में वीडियो की सहायता से परिचित करायेंगे।
- संसद में किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों जैसे– विधेयकों का प्रस्ताव, बहस और मतदान के बारे में जानकारी कक्षा–कक्ष में रोल प्ले द्वारा कराई जायेगी।
- संसद सदस्यों की भूमिका और उनकी जिम्मेंदारियों जैसे–प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं अन्य के बारे में जानकारी देना।

संसद का महत्व एवं उसके क्रियाकलापों के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करने हेतु निम्नांकित प्रकार के बिन्दुओं पर विद्यार्थियों से चर्चा करें–

1. मतदान प्रक्रिया द्वारा चुने गये सांसद अपना कार्य कहाँ करते हैं?
2. संसद के कितने सदन होते हैं?

3. संसद में बहस और चर्चा से क्या तात्पर्य है?
4. नये संसद भवन से पुराने संसद भवन की तुलना करायें।

शिक्षण के अन्त में– (**अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)**

- संसद के घटक कौन–कौन है? इनका एक दूसरे से क्या सम्बंध है?
- संसद की संचालन की प्रक्रिया क्या है?
- संसद के उच्च सदन को किस नाम से जानते हैं?

गृहकार्य/प्रोजेक्ट– संसद में लोकसभा की बैठक व्यवस्था का रेखाचित्र बनाकर एक प्रोजेक्ट का निर्माण करें।

शिक्षण की आगामी योजना– किसी विधेयक पर चर्चा करने के लिए संसद के किस सदन में बहस की जाती है– इस पर शिक्षण योजना बनाकर क्रियान्वयन करना।

शिक्षण योजना 05

अध्याय–5	प्रकरण	दिवस	समय
लोकतांत्रिक अधिकार	लोकतंत्र में अधिकार	02	40 मिनट

लर्निंग आउटकम–

- विद्यार्थी अधिकारों के विषय में अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं।
- विधार्थी संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों के बारे में बता पा रहे हैं।

शिक्षण उद्देश्य – भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देना।

सीखने–सिखाने की सामग्री– चार्ट पेपर, टी. एल. एम., फ्लैशकार्ड, पी.पी.टी.।

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ–

शिक्षण के शुरुआत में – (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

निम्नांकित प्रकार के बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए मौलिक अधिकारों को जानने का प्रयास करेंगे–

गतिविधि– आओ बच्चो हम सब मिलकर, ऐसा देश बनाएँ।
जिसमें हो समानता, स्वतन्त्रता, और शोषण किसी का न होने पाये।
जहाँ धर्म और संस्कृति का हो सम्मान।
न हो किसी के साथ अन्याय, और न हो किसी का अपमान।

शिक्षक कविता का वाचन कराकर कविता में दिये गये मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करायेंगे। जैसे– समानता, स्वतंत्रता, शोषण, संस्कृति।

- आपको अपने जीवन के लिए क्या–क्या आवश्यक लगता है?
- इनमें से कौन–कौन सी चीजें सबसे जरूरी हैं?
- देश के नागरिक के रूप में आपको क्या क्या अधिकार अनिवार्य रूप से मिलने चाहिए? [विद्यार्थी यदि सटीक रूप में नहीं बता पा रहे हैं तो उन्हें सांकेतिक रूप में शिक्षक बतायेंगे]

शिक्षण के दौरान– (अनुमानित समय 20 से 25 मिनट)

गतिविधि–1 शिक्षक विधार्थियों को मौलिक अधिकारों का एक चित्र चार्ट दिखाते हुए

संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों को समझाने का प्रयास करेंगे –

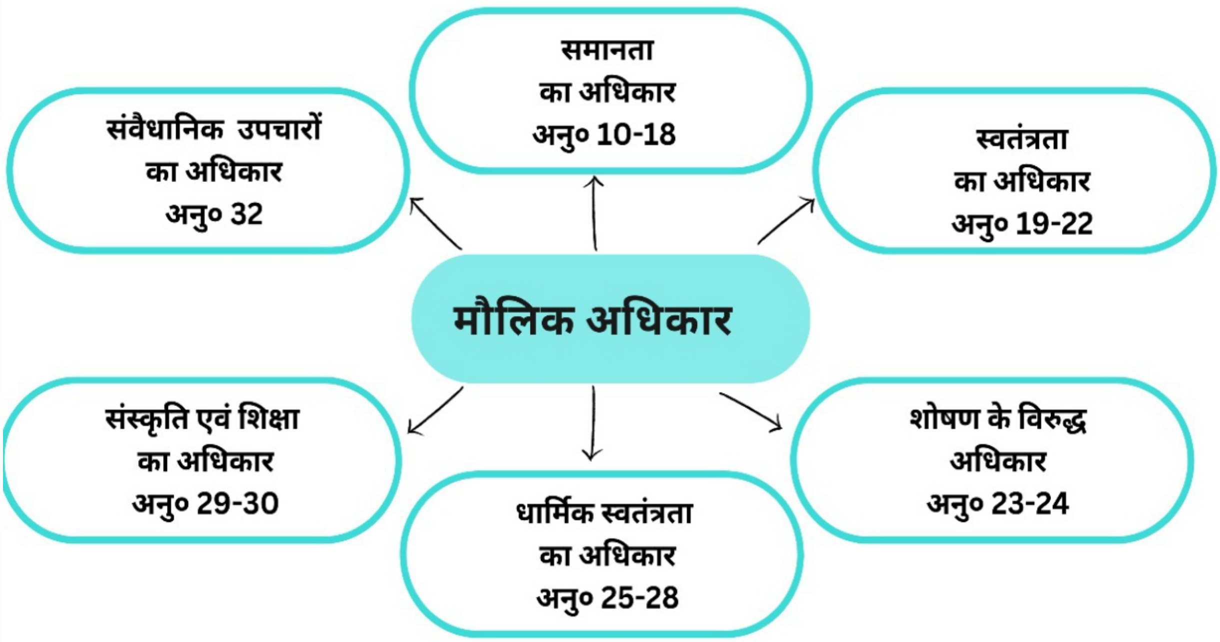

गतिविधि–2– शिक्षक अलग–अलग मौलिक अधिकारों पर बच्चों से चर्चा कराकर विषय की समझ विकसित करेंगे।

गतिविधि–3– मौलिक अधिकारों के फ्लैश कार्ड बनाकर कार्डों को उलट कर रख देंगे अब बच्चों से उन कार्डों में से एक कार्ड उठाने को कहेंगे। जिस कार्ड को बच्चा उठाये उस पर उस के विचार लेंगे। यदि उनके विचार उपयुक्त न हो तो स्वयं स्पष्ट करेंगे।

शिक्षक बच्चों में यह समझ बनाने की कोशिश करेंगे कि 'अधिकार' लोगों के वे तार्किक दावे हैं जिन्हें सरकार, समाज और अदालतों की मान्यता मिली होती है। दूसरे शब्दों में 'अधिकार' नागरिकों को मिली वे सुविधाएं हैं जिन्हें सरकार छीन नहीं सकती, जिनके बारे में नागरिक यह दावा कर सकते हैं कि उन्हें देना सरकारी जिम्मेदारी हैं।

शिक्षण के अन्त में– (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

- विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के बारे में अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे।
- छात्रों को अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करना ।
- छात्रों को मौलिक अधिकार को फ्लो चार्ट के रूप में प्रस्तुत करने को कहना।

गृहकार्य/प्रोजेक्ट– सभी विद्यार्थी मौलिक अधिकारों का चार्ट कलात्मक ढंग से तैयार करेंगे। उससे सम्बन्धित मुख्य बिन्दुओं को लिखकर लायेंगे।

अर्थशास्त्र

केन्द्रिक लर्निंग आउटकम

1– तथ्यों, आँकड़ो को पहचानता है और पुनः प्राप्त करता है और प्रक्रियाओं को अभिव्यक्ति दे पाता है, जैसे–

- भारत के मानचित्र पर स्थान, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और अन्य भौतिक विशेषताएँ बता सकता है।
- विभिन्न भौतिक विशेषताओं, वनों के प्रकार, मौसम आदि को पहचानता है और उनका वर्णन करता है।
- वार्षिक विकास दर का अनुमान लगाता है।
- गरीबी, साक्षरता, बेरोजगारी, लोगों की गिनती–अनुपात, खाद्य सुरक्षा, निर्यात और आयात जैसे पारिभाषिक शब्दों को परिभाषित करता है।
- उत्पादन के विभिन्न कारकों को सूचीबद्ध करता है।
- कुछ एक सामाजिक समूहों की अर्थ व्यवस्थाओं और आजीविकाओं का वर्णन करता है।
- परिवेश में भौतिक सुविधाओं को वर्गीकृत करता है और उनकी तुलना अन्य राज्यों के स्थानों की भौतिक विशेषताओं से करता है। जनसंख्या, वर्षा जैसे विभिन्न आँकड़ों की तुलना करता है।
- भारतीय राज्यों में गरीबी और बेरोजगारी के स्तर की जानकारी करता है। तुलना करता है।

2– घटना, कार्यक्रमों और उनकी घटना के बीच कारण और प्रभाव संबंध बताता है, जैसे –

- प्रदूषण और लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने वाले उसके कारकों की जाँच करता है।
- एक क्षेत्र की नदी, जलवायु, जनसंख्या वितरण, वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करता है।
- विभिन्न क्रांतियों के कारणों और प्रभावों की व्याख्या करता है।
- यह बताता है कि समकालीन दुनियाँ/विश्व में विभिन्न सामाजिक समूहों ने कैसे बदलाव का सामना किया और इन परिवर्तनों का वर्णन करता है।
- गरीबी, भूमिहीनता, खाद्य सुरक्षा, जैसे आर्थिक मुद्दों के कारणों और प्रभावों की व्याख्या करता है।
- सामाजिक भेद्यता और बहिष्कार के प्रभाव का विश्लेषण करता है।

3– विश्लेषण और जानकारी का मूल्यांकन करता है, जैसे–

- वनों की कटाई के लिए अग्रणी कारकों की जाँच करता है।
- साक्षरता और गरीबी जैसे महत्वपूर्ण विकास संकेतकों में ऐतिहासिक रुझानों का विश्लेषण करता है।
- महत्वपूर्ण सरकारी जनकल्याण कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभाव का आकलन करता है जिनका उद्देश्य (क) गरीबी उन्मूलन है (ख) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना (ग) स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना (घ) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ प्रदान करना है।

4– व्याख्या करता है, जैसे–

- दुनिया के सभी हिस्सों के लिए माल और लोगों के आवागमन के मानचित्र
- ग्रंथ
- कार्टून
- तस्वीरें
- पोस्टर

5– सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर्संबंध जोड़ता है, जैसे–

- ऐतिहासिक काल से व्यापार और संचार के लिए भारत में विभिन्न रास्तों और समुद्री मार्गों के बीच अंतर्संबंध बताता है।
- जनसंख्या वितरण और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है।
- वनवासियों, उनके आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के आजीविका पैटर्न के बीच अंतर्संबंधों की व्याख्या करता है।

6– मान्यताओं/ पूर्वाग्रहों/ रूढ़ियों की पहचान करता है, जैसे–

- ग्रंथ
- दृश्य
- समाचार
- भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में लोग
- महत्वपूर्ण सरकारी कल्याण कार्यक्रम

7– जिज्ञासा/पूछताछ के कौशल को प्रदर्शित करता है, अर्थात इनसे संबंधित प्रश्नों को प्रस्तुत करता है, जैसे–

- भौतिक घटनाएँ, जैसे–मानसून का तंत्र और प्राकृतिक आपदाओं के कारण
- भारत/उनके अपने क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रभाव

8– एकत्रित/दी गई जानकारी के आधार पर तर्कों/विचारों का निर्माण करता है, जैसे–

- विभिन्न जल परिस्थितियों के साथ लोगों का अनुकूलन
- जीवित/ऐतिहासिक किंवदंती निर्माताओं के मौखिक और लिखित ब्यौरे
- संसाधन के रूप में लोग

9– कार्यक्रमों और घटनाओं का पहले से अनुमान लगाता है, जैसे–

- मौसम
- प्रदूषण और बीमारियाँ
- अकाल और गरीबी

10– निर्णय लेने/समस्या सुलझाने के कौशल दर्शाता है, जैसे–

- जल प्रदूषण के प्रभाव को कम करना
- संसाधनों का संरक्षण

- भोजन की कमी की समस्या
- भारत में भूख और अकाल से बचाव
- ऐतिहासिक घटनाओं के विकास में संसाधनों की उपयुक्तता पर निर्णय लेना

11— संवेदनशीलता और प्रशंसा—कौशल दर्शाता है, जैसे—

- प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं, युद्ध, राजनीतिक संघर्ष व अन्य कारणों से प्रभावित लोगों के साथ सहानुभूति रखता है।

अवधारणा पत्र

अर्थशास्त्र मनुष्य की बुनियादी जरूरतों का शास्त्र है। इनमें सबसे प्रमुख है, रोटी, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा। प्राचीन भारतीय विचारकों ने जीवन के चार पक्ष बताये हैं– धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ इसमें दूसरे क्रम में है। संक्षेप में इसका भाव है जीवन यापन तथा उसके विकास के लिए की जाने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियों के बिना जीवन ही असंभव है। मनुष्य ही नहीं, सारा जीव जगत इस दायरे में आ जाता है। आर्थिक गतिविधियों और उत्पादन का मूल आधार है हमारा श्रम और हमारे कौशल– वे विधियाँ जिनके अनुसार कोई भी उत्पादन आकार लेता है। आर्थिक चेतना सबसे सरल रूप में हमारी बुनियादी जरूरतों की चेतना है। पैदा होने के तत्काल बाद से ही शिशु आहार माँगता है। अर्थशास्त्री इसे आर्थिक चेतना में शामिल करते हैं। शारीरिक–मानसिक जरूरतों के साथ उसकी जरूरतें बढ़ती जाती है। एक नागरिक के रूप में विकसित होने के लिए आगे उसे लगातार भोजन, वस्त्र, शिक्षा, रोजगार के रूप में श्रम का प्रतिफल चाहिए। अच्छा सामाजिक वातावरण और मानवीय–सामाजिक सुरक्षा चाहिए। सभी की बुनियाद में अर्थशास्त्र या आर्थिकी है। अर्थशास्त्र किसी भी समाज की नींव है, जिसके ऊपर बाकी विषयों के ढाँचे बन जाते या बनाए जाते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र का सभी विषयों प्राकृतिक विज्ञानों (भूगोल, भौतिकी, रसायन, आदि) तथा मानविकी के अन्य विषयों के साथ गहरा संबंध है। विषयों के इस संबंध को हम आगे दिए एक रेखाचित्र से समझ सकते हैं–

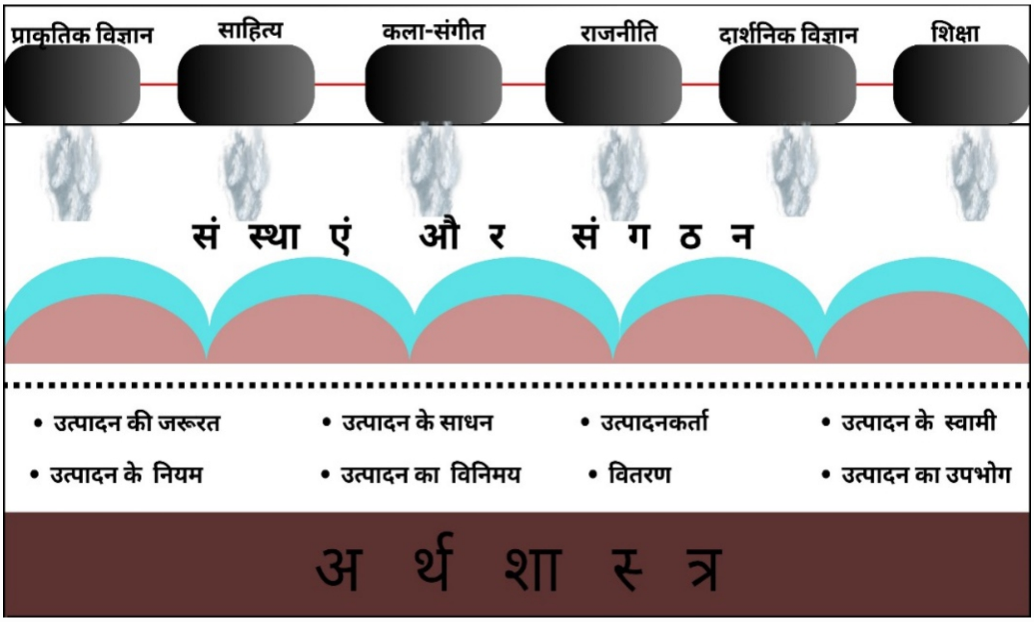

आर्थिकी किसी भी समाज को एक आधार देती है। यानि किसी समाज की आर्थिक व्यवस्था उसका बुनियादी (आधारिक) ढाँचा बनाती है। इसमें उत्पादन की जरुरत, उत्पादन के साधन व उत्पाद, उत्पादन करने वाले समुदाय या वर्ग, उत्पादन के स्वामी, उत्पादन या उत्पादन से पैदा मूल्य का बँटवारा व उत्पादन में सहायक होने वाले काम–काज शामिल हैं। इसे अर्थशास्त्री समाज की अवरचना (Basic Structure) कहते हैं। उत्पादन की खास पद्धति को वैधता देने के लिए, उसके व्याख्या–विश्लेषण करने, उसका विकास करने के लिए बाकी विषय

काम करते हैं। जैसे– भूगोल, भौतिकी, रसायन, राजनीति, दर्शन, शिक्षा, साहित्य, कला आदि। इसे समाज की अधिरचना (Super Structure) कहा जाता है। समाज का बुनियादी ढाँचा और ऊपरी ढाँचा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वे एक दूसरे की हिफाजत करते हैं तो एक दूसरे को बदलते भी हैं। इस प्रक्रिया में ही समाज विकास करता है। यह कहा जाता है कि खास अर्थ–व्यवस्था खास तरह के विचारों को पैदा करती है। पर यह रिश्ता बहुत बारीक धागों से बना होता है।

'आधुनिक अर्थशास्त्र' का श्रेय अंग्रेज अर्थशास्त्री एडमस्मिथ को दिया जाता है उन्होंने सन 1976 में 'द वैल्थ ऑफ नेशंस' (राष्ट्रों की समृद्धि) प्रकाशित किया था। अपनी इस किताब में उन्होंने औद्योगिक सभ्यता के साथ दुनियाभर में विकसित होती आर्थिक गतिविधियों– पूंजीवाद, मुक्तबाजार, तथा 'मांग और पूर्ति' के नियमों की व्याख्या अपने लेखों में की है।

कौटिल्य भारत के सबसे प्राचीन अर्थशास्त्री माने जाते है। उनकी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' राजनीतिक अर्थशास्त्र पर एक महान पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध है। इसका रचनाकाल 321 ईसापूर्व है। इसमें राजतंत्री शासन में आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए नीति–नियम बनाए और बताएं गए हैं। आश्चर्य की बात है कि इसकी अनेक बातें और नियम आज भी प्रासंगिक हैं।

अर्थशास्त्र का इतिहास– यह मानवजाति की पैदाइश से आज की विकसित आर्थिक संस्थाओं तक फैला है। इसका रूप देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है। हजारों वर्ष पहले वन्य अवस्था में मानव समूह अपने आहार के लिए वन उपजों (कंद, मूल, फल आदि) तथा वनपशुओं के आखेट पर निर्भर थे। वन उपज आसान थी। एक निश्चित समय चक्र के बाद फिर मिल जाने वाली, पर शिकार कठिन था और उसकी कोई गारंटी न थी। कई बार शिकारी, खुद शिकार बन जाता था। मानव–समूहों के बीच रक्तसंबंध (खून के रिश्ते) थे। ये उन्हें एक सामाजिक अनुशासन में बाँधते थे। माँ, पिता, बहिन, भाई, नाना–नानी, दादी–दादा, दामाद–ससुर, सास–बहू, नाती–पोते और अन्य। पूरा परिवार वनोपज और आखेट के लिए साझी मेहनत करता था। जो मिल जाता उस पर सब का हक था। यह समता आधारित बहुत प्राचीन समाज था जिसे अभी मकान बनाना नहीं आया था। पर इसके पास अनेक सरल हथियार और बर्तन थे। फिर इसने धातु खोज ली। इस समाज का सरल सा अर्थशास्त्र था– वनोपज, आखेट और अनियमित विरल कृषि।

धनुष बाण अपने समय का भौतिकी का महत्वपूर्ण अविष्कार था। इसका अर्थ था कि पुरखों ने खिंचाव(तन्यता), नुकीलेपन, बल, दबाव, बल के संकेन्द्रण तथा लचीले काठ और डोरी के संयोजन का प्रभाव समझ लिया था। इसमें घर्षण और दूरी के मापन की समझ निहित थी। धनुष–बाण ने मानव समूहों को सुरक्षित किया। वनपशुओं के आखेट और अपनी सुरक्षा को आसान बनाया। लंबे समय तक यह मानव रक्षा और आक्रमण का प्रभावशाली औजार रहा।

अनेक आदिवासी समुदायों में यह आज भी प्रचलित है। धनुष बाण शिकार की आदिम प्राचीन आर्थिक क्रिया में भौतिक विज्ञान का मेल था।

भूगोल और अर्थशास्त्र– भूगोल न सिर्फ इतिहास का जनक है बल्कि वह अर्थशास्त्र के विकास का भी आधार है। वह इसे काफी दूर तक प्रभावित करता है। इसलिए पृथ्वी के अलग–अलग भागों में काफी समय तक अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ विकसित हुई। विकास की गति धीमी या तेज रही। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जब मानवजाति पूरी पृथ्वी पर फैली तो पूर्वी गोलार्ध (पुरानी दुनियाँ– एशिया, यूरोप, अफ्रीका) में पालने योग्य लगभग सभी पशु और सभी प्रकार के अनाज मौजूद थे। पश्चिमी गोलार्ध– अमेरिका के दक्षिणी भाग में पालने योग्य एक पशु लामा मिला। यहाँ अन्न भी एक था– मक्का, यह श्रेष्ठ अन्न था। कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका के नदी तटों पर कद्दू और खरबूज की खेती होती देखी थी। यूरोपीय व्यापारियों के अमेरिका में प्रवेश के समय वहाँ कच्ची ईंटों और पत्थरों के उपयोग से बने घर प्राप्त हुए थे।

पुरानी दुनियाँ के आर्थिक विकास को अंतरमहाद्वीपीय व्यापार ने तेज गति दी थी। करीब साढ़े चार हजार वर्ष पहले ही पश्चिमी एशिया तीन महाद्वीपों का व्यापारिक केन्द्र बन चुका था। अफ्रीका, यूरोप और एशिया के विभिन्न भागों के व्यापारी यहाँ आकर मिलते और व्यापार करते थे। चीनी, भारतीय, ईरानी, मंगोल, अरब, यूनानी, इजिप्शियन, फिनिशियाई (लेबनानी), असूरी, आर्मेनियन और अन्य। हमारी आज की बैंक व्यवस्था, चैक और हुंडी, व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग फिनिशिया (आज का लेबनान) के व्यापारियों की देन है।

भारत में सिंधु घाटी सभ्यता (ईसापूर्व 3000 वर्ष) के अन्नगोदाम मिले हैं। ये खेती की अच्छी पैदावार, उपभोग के बाद भी अन्न के बचे रहने और उसके व्यापार का प्रमाण है। ईसापूर्व पाँचवी सदी से ईसापूर्व दूसरी सदी तक विभिन्न व्यवसायों को वर्णों के नाम से पहचान दी गई। यह भारतीय समाज का अपना विशिष्ट श्रम विभाजन था जिसके अपने अनेक पक्ष थे। इसने सामाजिक विभाजन का रूप लिया। आगे इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में पेशे और जातियाँ घुल मिल गई। इस समाज व्यवस्था में आपसी अंतर्विरोध थे तो आपसी आर्थिक संबंध भी।

मौर्यकालीन भारत (322 से 185 ईसा पूर्व) में कृषि और दस्तकारी सुव्यवस्थित हुईं। यह बड़ा साम्राज्य था जिसने किसानों, शिल्पियों, मजदूरों और दासों के लिए राजस्व और मजदूरी के नियम बनाए।

- यदि कोई स्वामी पर्याप्त कारण के बिना श्रमिक/शिल्पी से काम लेने से इंकार करे तो माना जाएगा कि उससे काम कराया गया है। (कौटिल्य– 'अर्थशास्त्र' अधिकरण 3/15)

- जो कोई शिल्पियों का दर्जा घटाकर या साधनों की खरीद बिक्री में बाधा डालकर उन्हें अपनी उचित कमाई से वंचित करने का प्रयास करेगा उस पर 1000 पण जुर्माना लगाया जाएगा। (कौटिल्य– 'अर्थशास्त्र' अधिकरण 5/15)

बड़े राजकीय कृषि फार्मों ने उन्नीसवीं–बीसवीं सदी में राष्ट्रों के विकास में योगदान दिया। आश्चर्यजनक बात है कि उनका आरंभिक रूप मौर्य साम्राज्य में मौजूद था। इन्हें **'कृषि प्रक्षेत्र'** कहा जाता था। कामगारों को पारिश्रमिक देने के बाद इसकी आय सीधे राजकोष में जाती थी। मौर्यों के बाद कुषाणों का समय रहा। गुप्तकाल (240–550 ईस्वी) आर्थिकी, शिल्प, कला और साहित्य–संगीत की उन्नति के लिए जाना जाता है। इसे भारतीय राजतंत्र का **'स्वर्णकाल'** कहा जाता है।

गुप्तकाल के बाद ''चौदहवी–पंद्रहवीं सदी तक भारत में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं'' बना। इस समय तक भारतीय गाँवों में श्रम और जातियाँ काफी हद तक एक हो गए थे। जाति व्यवस्था गाँवों और शहरों में भी जातीय पंचायतों के रूप में अश्मीभूत (फासिलाइज्ड) हो चुकी थी। शहरों में इसके बंधन कुछ शिथिल थे। ईसापूर्व 3000 वर्ष से इस समय तक कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बनी हुई थी। इसी के साथ दस्तकारी विकसित होती रही। भारतीय गाँवों की एक स्वायत्त, आत्मनिर्भर व्यवस्था थी।

अर्थशास्त्र और संस्कृति

हजारों साल की कृषि और दस्तकारी ने भारतीय समाज में अनेक पर्वों को जन्म दिया। दीपावली उनमें से एक हैं। तब सरसों उगाना, तेल पेरना, कपास से सूत बनाना सीख लिया गया था। शिल्पियों ने कटोरे को थोड़ा छोटा रूप देकर, दिए को आकार दिया। कपास की बाती सरसों के तेल में भिगाकर जलाई गई। इस तरह रात के अंधेरे में घरों के भीतर के लिए प्रकाश के एक स्थिर और अपेक्षाकृत स्थाई स्रोत का आविष्कार किया गया। इसे सिर्फ तेज हवा से बचाना और इसमें तेल डालते रहना होता था (पुराने साहित्य में अखंड दीपक जलाने का उल्लेख हुआ है)। दीपावली इसी आविष्कार की खुशी मनाने का पर्व है। इसे बाद में अनेक तरह से मनाया जाता रहा और इससे अनेक कहानियाँ जुड़ गयीं।

तमाम राजनीतिक हलचलों के बीच मुगल साम्राज्य के समय भी भारतीय कृषि और दस्तकारी की विकास यात्रा जारी रही। समाजशास्त्रियों के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने के समय ढाका (बंगाल) से सूरत (गुजरात) तक करीब 40,000 हथकरघों की एक श्रृंखला मौजूद थी। इनमें लाखों बुनकर काम करते थे। भारत के कपास किसानों से उन्हें कपास प्राप्त होती थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दस्तकारी को नष्ट किया। कंपनी के कारिन्दों ने 'लूम्स' को तोड़ डाला। भारतीय कपास इंग्लैंड भेजी जाने लगी, करघे बेकार हो गए। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय कृषि की आवश्यकता आधारित 'चेन' को तोड़ा। अपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुनाफे के लिए उन्होंने भारतीय खाद्य फसलों की जगह किसानों को वे फसलें उगाने के लिए विवश किया जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे दाम मिलते थे। इन्हें औने पौने दामों पर तो कभी मुफ्त में भारतीय किसानों से वसूल लिया जाता था। इस कारण देश के अनेक भागों में अनेक बार अकाल और भुखमरी के हालात पैदा हुए।

कुल मिलाकर अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ कच्चा माल ले जाने का स्रोत और ब्रिटिश कारखानों में तैयार माल का बाजार बनाए रखा। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहद कमजोर कर दिया। कृषि से दस्तकारी और दस्तकारी से उद्योग तक की भारतीय विकासयात्रा बाधित हुई। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय उद्यमियों की राह में अनेक बाधाएँ खड़ी की। देश छोड़ने तक उन्होंने यह रवैया बनाए रखा।

आजादी से दो वर्ष पूर्व सन 1945 में भारतीय उद्यमियों की पहल पर बनी **'मार्शल योजना'** के साथ आधुनिक भारत के उद्योगों की नींव पड़ी। इस योजना के तहत देश के भारी और आधारभूत–उद्यम लोहा–इस्पात, कोयला, विद्युत उत्पादन, खनिज तेल, दूर संचार, रेल, वायु तथा सड़क यातायात, बीमा, बैंकिंग आदि सीधे भारत सरकार या राज्य सरकारों के नियंत्रण में स्थापित किए गए। इन्होंने देश के उद्योगपतियों और सामान्य जनता को उद्योगों के विकास के लिए सस्ती दरों पर आधारभूत सुविधाएँ मुहैया कराईं। इससे देश धीरे–धीरे औद्योगिक विकास की राह पर चल पड़ा।

अर्थशास्त्र की क्रियाएँ

उत्पादन ⟶ तीन क्षेत्रक – कृषि, उद्योग विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र

उपभोग ⟶ नागरिकों की कृषि और औद्योगिक उत्पादों तक पहुँच, उनकी क्रय शक्ति – आय

विनिमय ⟶ व्यापार, बाजार, आयात–निर्यात, मुद्रा, संचार–परिवहन

वितरण ⟶ संसाधनों का सामाजिक वितरण, सम्पत्ति का स्वामित्व, सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली

लोकवित्त ⟶ उत्पादन के क्षेत्रकों – कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र के लिए वित्तीय विधान, बैंकिंग, सब्सिडी, अनुदान व ऋण सुविधाएँ आदि।

उत्पादन के क्षेत्रों का बढ़ना मानव जाति के आर्थिक विकास के इतिहास में अनिवार्य था। ऐसा ज्ञान–विज्ञान का निरंतर विकास होने, नए–नए उपकरणों के आविष्कार, उत्पादन की मात्रा बढ़ाने की चुनौती तथा उत्पादन में शीघ्रता की जरूरत के कारण हुआ। उत्पादन के क्षेत्रों के बढ़ने के साथ मानवश्रम का विभाजन अनिवार्य था। उत्पादन के लिए मानवश्रम के विभाजन का ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है–

1. कृषि ↔ पशुपालन
2. कृषि ↔ दस्तकारी
3. कृषि ↔ पशुपालन ↔ दस्तकारी
4. कृषि ↔ पशुपालन ↔ दस्तकारी ↔ उद्योग

अर्थशास्त्र- कुछ गतिविधियाँ

विद्यार्थियों में अर्थशास्त्र की समझ बने, इसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है उनके आस–पास चल रहे आर्थिक क्रियाकलापों का सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का काम करते हुए विद्यार्थी भ्रमण, अवलोकन, तथ्य संकलन, साक्षात्कार, रेखाचित्रण, रिपोर्ट राइटिंग जैसे काम छोटी–छोटी टोलियों में' करेंगे। इनमें से हर क्रियाकलाप उनकी समझ का विकास करेगा। शिक्षक उनके बीच लगातार रहेंगे। उन्हें निर्देशित करेंगे कि यह काम करते हुए यदि संभव हुआ तो मोबाइल से फोटोग्राफी भी की जा सकती है। इन फोटोज को डिसप्ले कराने और उन पर बातचीत का आयोजन किया जा सकता है।

यह बात आश्चर्यजनक लेकिन सच है कि जो विद्यार्थी अच्छा पढ़–लिख नहीं पाते, वे भी अर्थशास्त्र की अच्छी व्यावहारिक समझ बना लेते हैं चाहे उन्हें अर्थशास्त्र के तकनीकी शब्द भले ही न याद रहें। यहाँ नीचे कुछ गतिविधियाँ सुझाई गई है –

गाँव की खेती का सर्वेक्षण–

(क) जोतों का सर्वेक्षण – विभिन्न परिवारों से बातकर उनके खेतों का अनुमानित रकबे पता किए जाएँ। किसान परिवारों से पूछा जाए कि वे कितनी जमीन का उपयोग कौन सी फसल उगाने में करते हैं?

• इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को भू–संपत्ति के वितरण की स्थिति पता लगेगी। यदि गाँव में भूमिहीन लोग है तो उनकी भी जानकारी मिलेगी। उन्हें भी सर्वे में शामिल रखें।

• गाँव बड़ा है तो सारे ही गाँव का सर्वेक्षण करने की जरूरत नहीं। कुछ परिवार चुने जा सकते हैं, जैसे– शिक्षक बच्चों को परिवार की संख्या निर्धारित करने को निर्देशित करें।

(ख) फसल की कहानी, जैसे गन्ना – किसी गन्ना किसान से विद्यार्थी लंबी बातचीत करके गन्ना उगाने से लेकर उसके गुड़, चीनी बनाने तक की कहानी मालूम करें। बच्चों से इस पर अपनी – अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट बनवाएँ और उसे कक्षा में साझा कराएँ।

(ग) विद्यार्थियों को किसी कोल्हू का भ्रमण कराएँ– कोल्हू की मशीन, गुड़ बनाने के चरण, गुड़ बनाने वाले बरतन, गर्म रस को जमाकर गुड़ बनाने की हौदी आदि की विशेषताएँ मालूम करवाएं। वे देखें कि वहाँ काम कर रहे लोग कौन–कौन हैं और उन्हें इस कोल्हू से क्या लाभ है?

- शिक्षक विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र से रसायन विज्ञान की दिशा में ले जा सकते हैं। बच्चों को कोल्हू पर काम कर रहे लोगों से ये बातें मालूम करने को कहें।

1. गुड़ लाल क्यों हो जाता है?
2. बूरा सफेद क्यों हो जाता है?
3. चीनी के क्रिस्टल कैसे बनते हैं?

छोटे उद्यमों की छानबीन

शिक्षक बच्चों को किसी डेयरी फार्म या मुर्गी फार्म पर ले जाएँ। इन जगहों पर बातचीत के लिए एक प्रश्नावली विद्यालय में ही तैयार कर लें। बच्चों को टोलियों में बाँट कर इनके स्वामी और कामगारों से बातचीत करने को कहें। बच्चे स्कूल में वापस आकर इसकी रिपोर्ट बनाएँ।

उद्योग का ढाँचा समझना

उत्तर प्रदेश के अनेक भागों में चीनी मिलों की बहुतायत है। चीनी मिल न सही कोई दूसरा उद्योग पास में हो तो विद्यार्थियों को उसका विजिट–कारखाने के प्रशासन की मदद से कराया जा सकता है। विद्यार्थियों से कहें कि वे इन बातों के बारे में जानकारी हासिल करें–

- कारखाने के प्लांट्स/यूनिट्स और उनकी भूमिका
- कारखाने का कार्मिक ढाँचा – विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मी
- कारखाने में उपयोग होने वाला कच्चा माल
- कारखाने का उत्पाद
- कारखाने द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास

सेवा क्षेत्र (तृतीयक क्षेत्र) का सर्वे

शिक्षक किसी नजदीकी पोस्ट आफिस का विजिट आयोजित करें।

पहले पोस्ट आफिस प्रशासन को विश्वास में लें। विद्यार्थियों के साथ मिलकर विजिट की योजना बनाएँ, प्रश्नावली तैयार कर लें। विभिन्न समूहों में पोस्ट आफिस की कार्यप्रणाली का अध्ययन कराएँ।

निर्धनता और जीवन स्तर का अध्ययन

किन्ही दो परिवारों का चुनाव करें। इनमें आपकी और विद्यार्थियों की नजर में एक निर्धन हो और एक समृद्ध। इन बिन्दुओं पर दोनों परिवारों के बारे में जानकारी एकत्र करें।

- परिवार के सदस्यों की आयु
- परिवार की आमदनी, पुरुषों–स्त्रियों के बीच काम का बँटवारा
- परिवार के पास मौजूद संसाधन,
- परिवार के खर्च
- परिवार के उपयोग की वस्तुएँ, खाद्य पदार्थ, वस्त्र या अन्य
- परिवार की आर्थिक समस्या

- पिछले एक वर्ष की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ

साक्षरता

टोलियाँ बनाकर पास–पड़ोस के करीब 10 परिवारों की साक्षरता स्थिति का अध्ययन करें। इसमें पुरुषों–महिलाओं की साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

रेड़ी–खोखे का अर्थशास्त्र–

सड़क पर चाय/चाउमिन/मोमो या अन्य कोई खाद्य पदार्थ बेचने वाले से घंटे भर का समय लें। विद्यार्थियों से उसकी बातचीत कराएँ। वे उसकी सामग्री, लागत, काम में लगने वाला समय और उसे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी हासिल करें, उस की कठिनाइयों का पता करें। फिर इन मुद्दों पर स्वतंत्र नोट्स बनाएँ।

पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु

अर्थशास्त्र की नौवी कक्षा की पुस्तक अर्थशास्त्र के चार पक्षों को स्पष्ट करती है–

1. कृषि
2. संसाधन
3. निर्धनता
4. खाद्य सुरक्षा

इनके मुख्य संदर्भ भारतीय समाज और अर्थव्यस्था से लिए गए हैं।

पहले अध्याय– 'पालमपुर की कहानी' में इस गाँव के उदाहरण से खेती किसानी और उससे जुड़े काम धन्धों का अर्थशास्त्र समझाया गया है। अध्याय बताता है कि कृषि या किसी भी उत्पादन में भौतिक उपकरणों के रूप में संसाधन तथा श्रम करने वाले के रूप में मानव संसाधन दोनों जरूरी हैं। उदाहरण के लिए खेती के काम में भूमि, पानी, बीज, हल, कीटनाशक, उर्वरक वगैरह चाहिए। पर इन्हें जोड़ गाँठ कर अन्न उगाने वाला मानवीय दिमाग और श्रम भी चाहिए। तभी खेती में उत्पादन संभव है। इनमें से जो चीजें फसल उगाने की प्रक्रिया में खर्च हो जाती है, वे 'कार्यशील पूंजी' कही जाती है, जैसे– बीज, खाद, पानी, मजदूर को दी गई रकम व अन्य। जो वस्तुएँ बार–बार पैदावार करने के बाद भी बची रहती है, उपयोगी रहती है वे स्थायी पूंजी होती है। मानव श्रम कृषि के साथ अन्य उत्पादनों का महत्वपूर्ण घटक है। यानि कोई भी माल पैदा करने (उत्पादन) के दो घटक है–
(क) वस्तु संसाधन/कार्यशील व स्थायी पूँजी
(ख) मानव संसाधन/मानव श्रम

अध्याय बताता है कि खेती में उत्पादन की बढ़वार की एक सीमा है। हम 20 बोरा गेंहूँ उगाने वाले खेत में अच्छी खाद, कीटनाशक, ठीक–ठाक सिंचाई से 22 बोरा गेंहू पैदा कर सकते हैं, पर 40 बोरा उगाना असंभव है। इतना हो सकता है कि एक ही खेत से रबी और खरीफ के

बाद जायद की फसल ले ले, पर इससे अधिक पैदावार लेना कठिन है। कई बार खेत से बहुत ज्यादा फसल लेने के लालच में उसका उपजाऊपन घट जाता है।

अध्याय बताता है कि हमारे देश में कृषि भूमि के वितरण में असमानता है। छोटे किसानों और भूमिहीनों को परिवार चलाने के लिए खेती के अलावा भी काम करने पड़ते हैं यद्यपि सरकार ने किसानों की मदद के लिए सस्ते खाद, बीज और ऋण की योजनाएँ चला रखी है, पर सभी किसानों की बैंक तक पहुँच नही है। ऐसे में वे साहूकार के चंगुल में फंस जातें हैं। गाँव में भूमिहीन मजदूरों की भी अच्छी संख्या है जो गाँव–शहर दोनों जगह मजदूरी करते हैं। छोटे किसान और भूमिहीन आंशिक बेरोजगारी का सामना करते हैं। गाँव में खेती बारी से जुड़े उद्यम जैसे– गुड़ बनाना, डेरी आदि भी हैं।

पुस्तक का दूसरा अध्याय 'संसाधन के रूप में लोग' है। इसमें बताया गया है कि मानव की दिमागी चेतना सबसे श्रेष्ठ संसाधन है, यह उत्पादन को नियोजित करता है। मानव संसाधन के विकास और उसकी गुणवक्ता बढ़ाने के लिए समाज में मौजूद स्वास्थ्य और शिक्षा की दशाएँ खास भूमिका निभाती हैं। इस काम के लिए अनेक सरकारी गैर सरकारी योजनाएँ सक्रिय है। मानव संसाधन के रूप में श्रमिकों के लिए रोजगार की अनिश्चितता एक समस्या है वे गांवो से शहरों की ओर कभी शहरों से गांवो को आते है। शहरों में ऐसे परिवार भी है जिनमें हर छोटा–बडा सदस्य कोई न कोई काम कर परिवार की आमदनी में हाथ बँटाता है, तब घर खर्च चलाता है। गांवों–शहरों में पढ़े–लिखे लोगों को बेहतर रोजगार मिल जाते है, उनकी तनख्वाहें बेहतर है, काम के घंटे और छुट्टिया नियत हैं। सरकारी शिक्षक और कर्मचारी इस वर्ग में शामिल हैं।

यह अध्याय हमें 'अधिशेष' के बारे में भी समझाता है। इसका अर्थ है अपने व घर–परिवार के उपयोग से बचा हुआ अन्न, दूध, कपड़ा आदि बाजार में बेच देना। किसी पैदावार के बाद अधिशेष बचना समृद्धि की पहचान है अध्याय में अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के उपाय करने वाले लोगों की कुछ कहानियाँ हैं।

पुस्तक का तीसरा अध्याय– निर्धनता और उसके कारण है। इसमें निर्धनता को एक वैश्विक समस्या के रूप पहचाना गया है। भारत में निर्धन लोगो का प्रतिशत बताते हुए अध्याय– शहरी व ग्रामीण निर्धन वर्गों को भूमिहीन, श्रमिक, निर्माण मजदूर, ढाबों के श्रमिक आदि रूपों में चिन्हित करता है। शहरों के वे परिवार भी निर्धनों की श्रेणी में है जिनके छोटे–बड़े सभी सदस्यों को मामूली आमदनी के काम करने पड़ते है। अध्याय में निर्धनता के कारणों के रूप में रोजगार के अवसरों में कमी, प्राकृतिक आपदा और अन्य कारणों का उल्लेख है, यह बताता है कि पिछले दशकों में भारत में निर्धनता की मात्रा कम हुई है। अध्याय में देश के विभिन्न राज्यों की निर्धनता के तुलनात्मक आंकडें दिए गए हैं। भारत में निर्धनता निवारण की सरकारी योजनाओं 'मनरेगा' और 'प्रधानमंत्री रोजगार योजना' का परिचय दिया गया है। अध्याय में निर्धनता से जुड़े रहे मिल मजदूर रामसरन, भूमिहीन मजदूर लक्खा सिंह और अर्धबेरोजगार

शिवराम की कहानियाँ हैं। अध्याय निर्धनों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, उनके बीच लैंगिक समता व उनके सम्मान की राष्ट्रीय व सामाजिक उद्देश्य के रूप में पहचान करता है। बताता है कि निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है।

पुस्तक का चौथा अध्याय भारत में 'खाद्य सुरक्षा' है। इसमें 'खाद्य सुरक्षा' को व्यक्ति या परिवार के रूप में तथा देश के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है। व्यक्तिगत स्तर पर इसका अर्थ है–सभी लोगो के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। राष्ट्रीय स्तर पर इसके मानक हैं–

1. देश का अन्नभंडार
2. प्रत्येक व्यक्ति तक अन्न की पहुँच
3. लोगो के पास अन्न खरीदने को धन

अध्याय बताता है कि आपदा की हालत में संपन्न लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। पुस्तक में 1943 के बंगाल का अकाल का जिक्र किया गया है। जिसमें 30 लाख लोग ब्रिटिश सरकार की उपेक्षा के कारण मारे गए थे, अध्याय में खाद्य असुरक्षित वर्गों की पहचान भूमिहीन, छोटे किसानों, अल्पवेतन भोगी, मजदूरों व बी०पी०एल० कार्ड धारकों के रूप में की गई है। खाद्य सुरक्षा के सरकारी प्रयासों– बफर स्टाक रखने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मिल योजना, अंत्योदय अन्न योजना, सब्सिडीकृत गैस व यात्रा खर्च में रियायत की बात बतायी गयी है। स्पष्ट किया गया है इन प्रयासों के कारण देश में भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। गाँवों को इसमें अधिक लाभ हुआ है। अध्याय के अंत में खाद्य सुरक्षा के लिए तमिलनाडु में सहकारी समितियों द्वारा खाद्यान्न बिक्री के लिए संचालित अन्न भंडारो का उदाहरण रूप में जिक्र किया गया है।

पाठ्यपुस्तक में दी गयी विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

चित्र और फोटोग्राफ	27	पाइ आरेख	1
आँकड़ा तालिकाएँ	12	थंब आरेख	8
जानकारी बॉक्स	15	क्रियाकलाप/बॉक्स	4
केस स्टडीज (कहानियाँ)	12	सुझाई गई क्रियाएँ/ क्रियाकलाप/कार्य	10
चर्चा बिन्दु	79	चर्चा व नोट्स के लिए अभ्यास प्रश्न	50

दिवसवार अध्याय की विषयवस्तु का विभाजन

अध्याय संख्या /नाम/ निर्धारित दिवस	दिवस	पाठ्यवस्तु/पाठ्यबिन्दु
अध्याय–01 पालमपुर गाँव की कहानी दिवस 10	1	• ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अवधारणा • भारतीय कृषि की विशेषताओं पर चर्चा • कृषि का महत्त्व • कृषि और गैर कृषि कार्य में अंतर
	2	• उत्पादन के कारक– भूमि, श्रम, पूँजी • मानव पूँजी का अर्थ • पूँजी के प्रकार–स्थिर व कार्यशील पूँजी
	3	• बहुविधि फसल प्रणाली का अर्थ • जनसंख्या और भूमि में सम्बन्ध • मौसम आधारित फसल • पालमपुर गाँव में कृषि भूमि का वितरण • सीमान्त एवं छोटे किसान तथा मझोले एवं बड़े किसान का अर्थ
	4	• आधुनिक खेती परंपरागत खेती तथा मिश्रित खेती में अंतर • पर्यावरण और खेती के भावी विकास में सम्बन्ध • सिंचाई के मुख्य स्रोत
	5	• हरित क्रान्ति की अवधारणा • हरित क्रांति का प्रभाव • हरित क्रान्ति की विशेषताएँ
	6	• आधुनिक कृषि के तरीके • सतत (संपोषणीय) खेती • जैविक खेती • सतत विकास का अर्थ
	7	• भूमि की अवधारणा • भूमि की इकाई (मापन) हेक्टेअर, एकड़, बीघा व बिस्वा • भूमि के अन्य स्थानीय मापक • कृषि में अधिशेष का अर्थ

		• कृषक की समस्यायें
	8	• कृषक द्वारा पूँजी प्रबंधन • कृषि का विपणन • उपज की लागत या मूल्य
	9	• पालमपुर गाँव में कृषि एवं गैर कृषि क्रियाएँ
	10	• तालिकाओं, आरेखों व चित्रों की सहायता से कृषि अर्थव्यवस्था को दर्शाना • आकलन व पुनरावृत्ति
अध्याय– 02 संसाधन के रूप में लोग दिवस 12	1	• संसाधन का अर्थ, मानव संसाधन की अवधारणा, बच्चों का पूर्वज्ञान, अवलोकन एवं अनुभव
	2	• उत्पाद, सकल व निवल उत्पाद, घरेलू व राष्ट्रीय उत्पाद, देश के विकास में मानव संसाधन का महत्व
	3	• मानव संसाधन के घटक–शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, मानव व भौतिक संसाधन की तुलना
	4	• मानव संसाधन के क्रियाकलाप– आर्थिक व गैर आर्थिक • आर्थिक क्रियाकलाप के क्षेत्र– प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र
	5	• मूल्यवर्धन की अवधारणा
	6	• मानव संसाधन के रूप में स्त्रियों की चुनौतियाँ व समस्याएं • महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा (मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, चिकित्सीय अवकाश)
	7	• मानव संसाधन की गुणात्मक विशेषताएंः– शिक्षा एवं स्वास्थ्य • शिक्षाः– प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा
	8	• साक्षरता की अवधारणा, महिला व पुरूष साक्षरता, ग्रामीण व शहरी साक्षरता, क्षेत्रवार साक्षरता का वितरण, ड्रापआउट के कारण, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ानें में सरकार व समुदाय की भूमिका, सर्वशिक्षा अभियान, दोपहर का भोजन, सेतु पाठ्यक्रम तथा स्कूल लौटो शिविर • **शिक्षा के प्रकार–** – औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा
	9	• स्वास्थ्यः– मानव संसाधन के रूप में स्वास्थ्य का महत्व,

		भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना ● स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली–जीवन प्रत्याशा, जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर
	10	● बेरोजगारी की अवधारणा ● बेरोजगारी के प्रकार :– मौसमी बेरोजगारी, प्रछन्न या छिपी हुयी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी तथा संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में सबसे ज्यादा पायी जाने वाली बेरोजगारी।
	11	● बेरोजगारी के कारण व उपाय
	12	● आकलन व पुनरावृत्ति ● पाठ के आरेख, चित्र व सांख्यिकीय आकड़ों के आधार पर क्रियाकलाप
अध्याय–03 निर्धनताः एक चुनौती दिवस 10	1	● निर्धनता का आशय, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूचक के आधार पर निर्धनता और उससे जुड़े मुद्दे
	2	● निर्धन कौन? – भूमिहीन, श्रमिक, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग, बाल श्रमिक, भिखारी व स्थायी वेतन भोगी ● शहरी व ग्रामीण निर्धनता पर कहानी व चित्र के द्वारा चर्चा
	3	● निर्धनता के संकेतकः– सामाजिक अपवर्जन (न्यूनतम सुविधाओं का अभाव), सामाजिक रूप से असुरक्षित समूह (विधवा, अनाथ बच्चे, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति)
	4	● निर्धनता का मापदण्ड :– निर्धनता रेखा के आधार पर, आय या उपभोग के आधार पर
	5	● आय के स्तर के आधार पर (आधार वर्ष 2011–12) ग्रामीण एवं शहरी निर्धनता के संबंध में राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय संस्थायें (एन0एस0एस0ओ0 और विश्व बैंक)
	6	● भारत में निर्धनता की असमानतायें– राज्य स्तर पर ● वैश्विक निर्धनता परिदृश्य:- वैश्विक स्तर पर निर्धनता की अवधारणा व वैश्विक स्तर पर निर्धनता की स्थिति
	7	● निर्धनता के कारण :– ऐतिहासिक व औपनिवेशिक कारण (पारम्परिक उद्योगो का नष्ट होना, संसाधनों की असमानता, जनसंख्या वृद्धि) ● कुछ विशेष समूहों में निर्धनता की समस्यायें, जैसे कृषक, भूमिहीन असंगठित क्षेत्र

	8	• निर्धनता निवारण के उपाय– आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनसंख्या को कुशल बनाना,शिक्षा में निवेश, कृषि क्षेत्र का विकास
	9	• निर्धनता दूर करने के लिए सरकारी योजनाएँ व कार्यक्रम
	10	• आकलन व पुनरावृत्ति (पाठ के आरेख, चित्र व सांख्यिकीय आँकड़ों के आधार पर क्रियाकलाप व चर्चा)
अध्याय–04 भारत में खाद्य सुरक्षा दिवस 11	1	• खाद्य सुरक्षा की अवधारणा, इसकी आवश्यकता क्यों? • खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक– भूकम्प, सूखा, बाढ़, सुनामी, खाद्य फसलों का नष्ट होना, अकाल • अकाल के कारण– महामारी, दूषित जल, सड़े भोजन का प्रयोग • बंगाल में अकाल के कारण • वर्तमान में कोई महामारी जैसे कोविड– 19 व उसके प्रभाव
	2	• खाद्य असुरक्षा के कारण प्रभावित होने वाले वर्ग– 1. ग्रामीण वर्ग– भूमिहीन, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवायें प्रदान करने वाले लोग, छोटा–मोटा काम करने वाले कामगार, निराश्रित तथा भिखारी 2. शहरी वर्ग– कम वेतन वाले व्यवसाय में लगे लोग, अनियमित श्रम बाजार में काम करने वाले लोग
	3	• खाद्य असुरक्षा के कारण प्रभावित होने वाले अन्य वर्ग– • सामाजिक संरचना (अनु० जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति) कम भूमि तथा निम्न उत्पादकता के कारण प्रभावित लोग • प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग • कुपोषण से प्रभावित लोग • गर्भवती महिलायें तथा दूध पिला रही महिलायें • पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चे
	4	• आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य (बिहार, झारखण्ड,उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र) • खाद्य असुरक्षा के कारण उत्पन्न भुखमरी– 1. दीर्घकालिक भुखमरी 2. मौसमी भुखमरी
	5	• भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए रणनीति एवं प्रयास–

		(क) बफर स्टॉक (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली ● बफर स्टॉक क्या है? –भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) –न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम. एस. पी.) – निर्गमन कीमत ● सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?
	6	● कुछ अन्य महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा के सरकारी कार्यक्रम: – ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम –रोजगार गारंटी योजना –सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना –दोपहर का भोजन – एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई० सी० डी० एस०)
	7	● सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति: – सार्वजनिक वितरण प्रणाली (वर्ष 1992 तक) –संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (1992) –लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (1997) –अंत्योदय अन्न योजना (2000) –अन्नपूर्णा योजना (2000) –राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013)
	8	● सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन की दुकानों की कार्य प्रणाली ● राशन कार्ड के प्रकार– –अंत्योदय –पात्र गृहस्थी – बी० पी० एल० –ए० पी० एल० ● राशन की दुकानों से प्राप्त हाने वाली वस्तुएं और इसकी आवश्यकता
	9	● वर्तमान समय में सरकार के खाद्यान्न स्टॉक की स्थिति ● एफ० सी० आई० का न्यूनतम बफर स्टॉक प्रतिमान की अवधारणा
	10	● सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका
	11	● आकलन एवं पुनरावृत्ति (पाठ के आरेख, चित्र व सांख्यिकीय आकड़ो के आधार पर क्रियाकलाप व चर्चा)

शिक्षण योजना 01

अध्याय 1	प्रकरण	दिवस	समय
पालमपुर गाँव की कहानी	गाँव के विकास में गैर–कृषि कार्यों का योगदान	09	40 मिनट

लर्निंग आउटकम– गैर कृषि कार्य का आशय समझते हैं, स्थायी व कार्यशील पूँजी से परिचित हैं तथा संबंधित जानकारियाँ दे पाते हैं।

शिक्षण उद्देश्य – गाँव के विकास में गैर–कृषि कार्यो के योगदान की समझ विकसित करना ।

सीखने–सिखाने की सामग्री– पाठ्यपुस्तक, वीडियो क्लिप, इंटरनेट, दीक्षा ऐप

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ

अवलोकन विद्यार्थियों का पूर्व अनुभव

शिक्षण के शुरुआत में–(अनुमानित समय 5–7 मिनट)

शिक्षक द्वारा वीडियो क्लिप अथवा पीपीटी के द्वारा कृषि, गैर कृषि कार्य और स्थायी पूंजी व कार्यशील पूंजी का परिचय देते हुए उनके आर्थिक विकास में योगदान को स्पष्ट किया जायेगा।

शिक्षण के दौरान– (अनुमानित समय 20–25 मिनट)

शिक्षक द्वारा गैर कृषि कार्यो से संबंधित फ्लैश कार्ड या चित्र चार्ट छात्रों द्वारा तैयार कराकर उन पर चर्चा करना।

जैसे–डेयरी, बैंक, किराना दुकान, सी0एच0सी0, मेंडिकल स्टोर, परिवहन

1. डेयरी उद्योग का विकास व कार्य
2. कामन सर्विस सेण्टर के कार्य
3. मेंडिकल स्टोर
4. परिवहन के साधन व मार्ग का महत्व
5. आटा चक्की उद्योग का विकास
6. बैंक का कार्य

1. कहानी सुनाकर उस पर चर्चा करना–

मिश्रीलाल की कहानी– मिश्रीलाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी। मशीन बिजली से चलती है। पहले गन्ना पेरने का कार्य बैल करता था, लेकिन अब मशीन से करता है। वह गन्ने से गुड़ बनाकर शहर के व्यापारियों को बेच कर लाभ कमाता है। वह जूस से भी लाभ कमा लेता है।

उपर्युक्त कहानी के आधार पर कुछ प्रश्नों द्वारा स्थायी व कार्यशील पूंजी की पहचान कराएंगे। मिश्रीलाल अपने गुड़ को गाँव में न बेचकर शहर में क्यों बेचता है?, इस पर चर्चा करेंगे।

विद्यार्थी प्रश्नोत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे।

शिक्षण के अंत में– (अनुमानित समय 5–10 मिनट)

विद्यार्थियों का आकलन सारिणी चार्ट से किया जाएगा। जैसे –

हार्वेस्टर	नकद मुद्रा	डेयरी उद्योग	बैंक	फसल उत्पादन
आटा चक्की	गेहूँ, गन्ना	किराने की दुकान	सी0एस0सी0(कॉमन सर्विस सेन्टर)	कपास

उपर्युक्त तालिका से कृषि व गैर कृषि कार्य, स्थायी व कार्यशील पूंजी को खोजना व उन पर बातचीत या छोटी–छोटी कथा(स्टोरी) बनाकर प्रस्तुतीकरण करना।

- पूरे प्रकरण की पुनरावृत्ति कराना।

गृह कार्य/परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट)–
–आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे है उनकी संक्षिप्त सूची बनाइए!
–अपने क्षेत्र के डेयरी उद्योग की संरचना व कार्य पर प्रोजेक्ट बनाएं!

शिक्षण की आगामी कार्ययोजना – इस पाठ की पुनरावृत्ति कराते हुए आगामी कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

शिक्षण योजना 02

अध्याय 2	प्रकरण	दिवस	समय
संसाधन के रूप में लोग	बेरोजगारी व इसके प्रकार	10	40 मिनट

लर्निंग आउटकम– छात्र बेरोजगारी की अवधारणा को समझते हैं, बेरोजगारी के प्रकार से परिचित हैं तथा इनके विषय में बता पाते हैं।

शिक्षण उद्देश्य – बेरोजगारी व इसके प्रकारों की समझ विकसित करना।

सीखने–सिखाने की सामग्री– पाठ्य पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, पी0पी0टी आदि।

सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ –

शिक्षण के शुरूआत में – (अनुमानित समय 5 से 8 मिनट)

कहानी सुनाकर उस पर चर्चा।

कल्यानपुर गाँव में रमेश अपनी पत्नी सुजाता तथा तीन बच्चों मोहन, सोहन तथा गीता के साथ रहते हैं। सुजाता घर के काम–काज तथा बच्चों की देखभाल के साथ–साथ खेती के काम में भी अपने पति रमेश की मदद करती है। मोहन पढ़–लिखकर काम–काज की तलाश में इधर–उधर भटकता है। सोहन तथा गीता अभी छोटे हैं तथा अपना अधिकांश समय खेलने कूदने में गुजारते हैं।

उपर्युक्त कहानी के आधार पर चर्चा करते हैं कि इस परिवार में कौन बेरोजगार है?

1. रमेश 2. सुजाता 3. मोहन 4. सोहन तथा गीता

शिक्षण के दौरान –(अनुमानित समय 20 से 25 मिनट)

1. पाठ्य पुस्तक में बेरोजगारी के अंश को बच्चों द्वारा पढ़वाकर तथा पी0पी0टी0 के माध्यम से बेरोजगारी के अंश को दिखाकर निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा–परिचर्चा की जायेगी:–

- बेरोजगारी की अवधारणा
- बेरोजगारी का वर्गीकरण:–
  1. ऐच्छिक बेरोजगारी
  2. अनैच्छिक बेरोजगारी
- बेरोजगारी के प्रकार :–
  1. मौसमी बेरोजगारी
  2. प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी
  3. शिक्षित बेरोजगारी
  4. संरचनात्मक बेरोजगारी

2. किसी मौसम में एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों को रोजगार मिल जाता है लेकिन उसी मौसम के बाकी दिनों में लोग बेरोजगार रहते हैं तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जायेगा?

1. ऐच्छिक बेरोजगारी
2. मौसमी बेरोजगारी
3. अनैच्छिक बेरोजगारी
4. संरचनात्मक बेरोजगारी

छात्रों की सहभागिता एवं प्रतिक्रिया के आधार पर अवलोकन

3. यदि अर्थव्यवस्था में हुए उत्पादन तकनीक के परिवर्तन के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जायेगा?

1. ऐच्छिक बेरोजगारी 2. शिक्षित बेरोजगारी 3. अनैच्छिक बेरोजगारी 4.संरचनात्मक बेरोजगारी

ग्रुप भागीदारी

कक्षा में बच्चों को चार ग्रुप में बाँटा जायेगा तथा विषयवस्तु पर आधारित चार पर्चियाँ बनाई जायेंगी। प्रत्येक ग्रुप के एक बच्चे को बुलाकर एक–एक पर्ची उठाने के लिए कहेंगे। इसके उपरान्त प्रत्येक ग्रुप को मिली हुई विषयवस्तु पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जायेगा। लिखी गयी टिप्पणी को ग्रुप का कोई एक छात्र पढ़ कर बतायेगा तथा अध्यापक द्वारा उस पर चर्चा करायी जायेगी।

ग्रुप की चार पर्चियाँ निम्नलिखित विषयों पर आधारित होगी–

1. मौसमी बेरोजगारी
2. प्रच्छन्न बेरोजगारी
3. शिक्षित बेरोजगारी
4. संरचनात्मक बेरोजगारी

सामूहिक सहभागिता के आधार पर अवलोकन

शिक्षण के अंत में –(अनुमानित समय 5–10 मिनट)

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर अवलोकन किया जायेगा तथा अंत में अध्यापक द्वारा फीडबैक दिया जायेगा।

1. जो व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार है लेकिन उसे काम नही मिलता है तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जायेगा?

क. ऐच्छिक बेरोजगारी   ख. अनैच्छिक बेरोजगारी
ग. मौसमी बेरोजगारी   घ. संरचनात्मक बेरोजगारी

2. किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रम के योगदान का कोई महत्व नहीं होता है?

क. मौसमी बेरोजगारी   ख. अनैच्छिक बेरोजगारी
ग. प्रच्छन्न बेरोजगारी   घ. संरचनात्मक बेरोजगारी

गृह कार्य/प्रदत्त कार्य/परियोजना कार्य (प्रोजेक्ट)–
प्रोजेक्ट कार्य– छात्रों द्वारा उनके घर तथा आस पास के परिवेश में लोग किस–किस प्रकार की बेरोजगारी के श्रेणी में आतें है उनकी सूची बनाकर लाना तथा कक्षा में प्रस्तुत करना।

शिक्षण की आगामी कार्ययोजना– बेरोजगारी के कारण तथा उसके निवारण पर विचार विमर्श आधारित शिक्षण योजना बनाना तथा उसका क्रियान्वयन करना।

शिक्षण योजना 03

अध्याय 3	प्रकरण	दिवस	समय
निर्धनता एक चुनौती	निर्धनता के कारण और निवारण	08	40 मिनट

लर्निंग आउटकम :–

- छात्र निर्धनता दूर करने के लिए लागू की गई विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं से परिचित हैं तथा उसके बारे में बता पाते हैं।
- वे निर्धनता के विभिन्न कारणों से परिचित हैं तथा निर्धनता को दूर करने के उपायों पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं।

शिक्षण उद्देश्य :– निर्धनता के कारणों के विषय में जानकारी देना एवं निर्धनता दूर करने के उपायों के बारे में समझ विकसित करना ।

सीखने–सिखाने की सामग्री :– चार्ट, पी०पी०टी० प्रोजेक्टर, वीडियो इत्यादि

शिक्षण की शुरुआत में :– (अनुमानित समय 5–7 मिनट)

शिक्षक चार्ट के माध्यम से छात्रों से निर्धनता के कारणों को उल्लिखित करते हुए उन पर चर्चा–परिचर्चा करेंगे–

शिक्षण के दौरान :– (अनुमानित समय 20–25 मिनट)

1. शिक्षक छात्रों को पीपीटी के माध्यम से प्रोजेक्टर द्वारा निर्धनता के उपर्युक्त उल्लिखित कारणों की जानकारी देंगे। इसके बाद शिक्षक निर्धनता को दूर करने के उपायों के विषय में बतायेंगे। छात्रों को स्पष्ट करेंगें कि निर्धनता दो प्रकार से दूर की जा सकती है–

1. व्यक्तिगत प्रयास द्वारा
2. सरकारी प्रयास द्वारा

1. **व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा :–**

शिक्षक छात्रों का व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा निर्धनता को दूर कैसे किया जाये, इसके विषय में समझायेंगे। नीचे लिखे बिन्दुओं पर बातचीत की जाएगी।

क) विकास खण्डों से विभिन प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी ली जाये।

ख) स्वरोजगार के लिए तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करके।

ग) स्वरोजगार से संबंधित विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों की जानकारी रखकर।

घ) लघु कुटीर उद्योगों एवं निजी उद्योगों को संचालित करके।

च) सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों हेतु तैयारी या व्यवसायिक शिक्षा लेकर और उन्हें प्राप्त करके।

2. **सरकारी प्रयास के द्वारा :–**

अध्यापक छात्रों को वीडियो के माध्यम से सरकारी प्रयासों द्वारा विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान करेंगें जैसे–

1. मनरेगा
2. प्रधानमंत्री रोजगार योजना
3. अंत्योदय रोजगार छात्र योजना
4. राज्य रोजगार गारण्टी योजना
5. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
6. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
7. राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम

शिक्षण के अंत में :– (अनुमानित समय 5 से 10 मिनट)

शिक्षण के अन्त में अध्यापक छात्रों के आकलन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति सम्बन्धी प्रश्न तैयार करके हल करने को देंगे।

गृहकार्य / प्रोजेक्ट कार्य :–शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं की सूची बना कर लाने को कहेंगे।

आगामी शिक्षण योजना :–

अगली एक योजना में शिक्षक छात्रों से पिछली शिक्षण योजनाओं में पढ़ायी गयी विषयवस्तु की पुनरावृत्ति करायेंगे।

शिक्षण योजना 04

अध्याय 4	प्रकरण	दिवस	समय
भारत में खाद्य सुरक्षा	खाद्य सुरक्षा की अवधारणा	01	40 मिनट

लर्निंग आउटकम– विद्यार्थी खाद्य सुरक्षा की अवधारणा एवं इसकी आवश्यकता को स्पष्ट कर पा रहे हैं।
शिक्षण उद्देश्य – खाद्य सुरक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता की समझ विकसित करना।
सीखने–सिखाने की सामग्री– पाठ्यपुस्तक, सारणी, मल्टीमीडिया।
सीखने–सिखाने की प्रक्रिया/गतिविधियाँ एवं प्रक्रिया–

शिक्षण की शुरुआत में :– (अनुमानित समय 5–10 मिनट)

1. शिक्षक द्वारा निम्नलिखित कहानी प्रस्तुत करके खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को स्पष्ट किया जायेगा –

मगन और गगन मित्र है। मगन मजदूरी करता है। उसकी आय अनिश्चित है। वह निर्धन परिवार से है, जबकि गगन सम्पन्न परिवार से है और पेशे से डाक्टर है। पिछले वर्ष मानसून अनुकूल होने के कारण खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अच्छा हुआ है। देश का अनाज भण्डार समृद्ध होने के साथ–साथ अनाज पहुँचाने की वितरण व्यवस्था भी मजबूत रही। लेकिन इस वर्ष मानसून प्रतिकूल होने से सूखा व बाढ़ की स्थिति से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कम हुआ है जिससे इनकी कीमत बढ़ गयी है। वितरण व्यवस्था भी प्रभावित हुई। ऐसी स्थिति में गगन अपने परिवार के लिए अनाज खरीदने में समर्थ है। जबकि मगन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। वह राशन कार्ड न होने के कारण अपने परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा भी प्रदान नही कर पाता है।

कहानी सुनाने के उपरान्त कहानी पर संक्षिप्त बातचीत करते हुए दिये गए चित्रचार्ट के द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबधित प्रारम्भिक समझ स्थापित करेंगे–

विद्यार्थियों में यह समझ स्पष्ट करेंगे की किन्हीं भी कारणों से किसी व्यक्ति या परिवार के लिए राशन मिल पाने की अनिश्चित खाद्य असुरक्षा है। इसे दूर करने के लिए किए गए सरकारी–गैर सरकारी प्रयास खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं।

–बातचीत में सरकारी राशन की दुकानों, आपूर्ति विभाग, राजकीय अन्न भंडारण संस्थाओं–FCI, SFC, वेयरहाउस कॉरपोरेशन आदि का संदर्भ ले सकते हैं।

3. खाद्यान्न सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? इस विषय पर बंगाल के अकाल के सन्दर्भ में पाठ्य पुस्तक की सारिणी को प्रदर्शित करते हुए बंगाल प्रांत में चावल की उपज व खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता पर छात्रों से चर्चा की जायेगी (सारिणी 4.1)

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)	आयात (लाख टन)	निर्यात (लाख टन)	कुल उपलब्धता
1938	85	–	–	85
1939	79	04	–	83
1940	82	03	–	85
1941	68	02	–	70
1942	93	–	01	92
1943	76	03	–	79

- इस डाटा तालिका पर बात करते हुए शिक्षक यह स्पष्ट करें कि बंगाल में इन पांच वर्षों में अन्न का उत्पादन– धान के एक रोग के कारण कम हुआ था। पर वह शून्य नहीं था।
- ब्रिटिश भारत की सरकार ने उत्पादित अनाज विश्व युद्ध के अपने मोर्चों पर सप्लाई कर दिया था। फसल के रोग निवारण के लिए कोई उपाय नहीं किए गए और न ही बाहरी देशों से अन्न मंगाया गया। इस कारण भुखमरी फैली और लाखों लोग मारे गए। यही पांच वर्ष दूसरे विश्व युद्ध के भी वर्ष हैं।

शिक्षण के अंत में :– (अनुमानित समय 5–10 मिनट)

- प्रकरण की पुनरावृत्ति लिखित या मौखिक तरीके से की जायेगी।
- शिक्षक कठिन शब्दावली की सरल व्याख्या प्रस्तुत करेंगे।

गृहकार्य/प्रदत्त कार्य/प्रोजेक्टः– छात्र कोरोना महामारी के समय खाद्य सुरक्षा व स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रयासों पर सूचनाएं एकत्रित करके कक्षा में प्रस्तुत करेंगे।

आगामी शिक्षण योजना :– भारत में खाद्य सुरक्षा आधारित शिक्षण सामग्री की तैयारी करेंगे।

परिशिष्ट

सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु पेडागॉजिकल (शैक्षणिक) रणनीतियाँ

- इन्क्वायरी (पूछताछ)
- इश्यू बेस्ड लर्निंग (मुद्दे आधारित अधिगम)
- कन्वर्सेशन, डिस्कशन व डिबेट्स (बातचीत), (परिचर्चा), (वाद–विवाद)
- रोल प्ले व सिमुलेशन (अभिनय तथा अनुकरण)
- कम्युनिटी सर्विस एण्ड फील्ड एक्सकर्सन (सामुदायिक कार्य एवं अध्ययन यात्रा)
- रिफ्लेक्टिव एस्सेज (चिन्तनशील निबंध)
- प्रोजेक्ट वर्क (प्रदत्त कार्य)
- विशेष प्रोजेक्ट के रूप में कला शिल्प मॉडल व विरूपण साक्ष्य बनाने का अवसर देना

सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम हेतु सहयोगी तरीके

पठन – किसी भी विषय के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पठन एक पराम्परागत लेकिन बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसे सुव्यवस्थित क्रम में किया जाना आवश्यक है यह निम्नवत है–

- विद्यार्थियों द्वारा पाठ का अनुच्छेद अथवा इकाईवार वाचन। शिक्षक द्वारा वर्तनी/उच्चारण संबंधी त्रुटियों को सुधारना तथा कठिन शब्दों को सरलीकृत रूप में स्पष्ट करना।
- शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पढ़े गए अनुच्छेद पर प्रश्न बनवाना तथा परस्पर एक दूसरे से अथवा सामूहिक रूप से उत्तर पूछने को कहना।
- विद्यार्थियों द्वारा प्रश्नोत्तरी के उपरान्त शिक्षक द्वारा संबंधित पैराग्राफ पर प्रश्न पूछते हुए अस्पष्ट हिस्सों को पुनः स्पष्ट करना। अनुच्छेद को संक्षेप में प्रस्तुत करना।
- अगले अनुच्छेद/इकाई पर जाना तथा पुनः इसी क्रम को दोहराना।
- प्रकरण/पाठ के समाप्त हो जाने पर संबंधित प्रकरण के मुख्य बिन्दुओं को सार रूप में पुनः उभारना तथा विद्यार्थियों के समूह बनाकर प्रश्नोत्तरी करना।
- प्रकरण में आए जीवन कौशलों पर सोदाहरण चर्चा करना।

2 समूह कार्य प्रस्तुति– प्रकरण से संबंधित समूह कार्य हेतु विद्यार्थियों को समूहों में बाँटना तथा समूह कार्य देना। समूह कार्य हेतु पर्याप्त समय देना तथा समय समाप्त होने पर समूहवार प्रस्तुतीकरण कराकर आवश्यक सुझाव देना।

3 केसलेट असेसमेंट– केसलेट असेसमेंट सामान्यतः छोटे अनुच्छेद (पैराग्राफ) के रुप में प्रस्तुत किए जाते हैं। पैराग्राफ में कोई डेटा, वर्णन, विवरण या तर्क आधारित जानकारी होती है। इसे हल करने या इससे सम्बंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अनुच्छेद(पैराग्राफ) में प्रस्तुत जानकारी का उपयोग करना होता है।

विद्यार्थियों ने प्रकरण से सम्बंधित बिन्दुओं को कितनी गहराई से समझा है इसके आकलन हेतु प्रकरण से कुछ परिस्थितियाँ केसलेट के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से अथवा छोटे समूह में देकर उससे संबंधित उनके दृष्टिकोण को जाँचना।

4 तकनीकी माध्यमों का प्रयोग– सहज रूप से उपलब्ध तकनीकी माध्यमों यथा– रेडियो, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, मोबाइल फोन, लर्निंग ऐप्स, ई मैटेरियल, चैनल्स, दीक्षा पोर्टल, ई ज्ञान गंगा, स्विप्ट चैट बोर्ड, फोन आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को संबंधित प्रकरण की अद्यतन जानकारी देना तथा उनके शैक्षिक उपयोग व प्रयोग से परिचित कराना।

5 स्थानीय ज्ञान का उपयोग– स्थानीय परिवेश में किसी विषय/विषयवस्तु विशेष के अच्छे जानकार व्यक्तियों को समय–समय पर विद्यालय में आमंत्रित कर विद्यार्थियों के समक्ष उनके ज्ञान का समुचित उपयोग किया जाना।

सामाजिक विज्ञान की मुख्य शाखाएँ

भूगोल– पृथ्वी की संरचना (बनावट), लोगों, स्थानों तथा वातावरण(जलवायु) का अध्ययन

इतिहास– कालक्रमानुसार अच्छा जीवन जीने की चाह में अधिसंख्य पुरुष व महिलाओं के सहकारी एवं सहयोगपूर्ण कार्यों का वर्णन/विवरण।

नागरिक शास्त्र/राजनीति विज्ञान – राजनीति के सिद्धान्तों तथा कार्यप्रणाली का अध्ययन तथा राजनैतिक व्यवस्था और व्यवहार का विश्लेषण करना। इसमें घटनाओं तथा परिस्थिति के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है।

अर्थशास्त्र– इसमें मनुष्यों द्वारा उत्पादन, उपयोग एवं सम्पत्ति के चयन हेतु अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह इंसान की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के बीच सन्तुलन का सामाजिक विज्ञान है।

पुरातत्व विज्ञान– इसमें प्राचीन काल के समाज तथा संस्कृति का अध्ययन किया जाता है।

समाज शास्त्र– इसके अंतर्गत सामाजिक संदर्भों में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह सामाजिक संरचना एवं कार्य प्रणाली को समझने पर केन्द्रित होता है।

सामाजिक शिक्षण उपकरण (सोशल साइट्स टूल)

सामाजिक शिक्षण उपकरण शैक्षणिक एवं एंड्रोगॉजिकल उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण है जो व्यक्तियों और प्रणालियों के सोशल मीडिया संवाद का माध्यम बनते है। सामाजिक शिक्षण उपकरण शिक्षार्थियों, प्रशिक्षकों तथा इन्फॉर्मेशन(सूचना) के बीच औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से मध्यस्थ का कार्य करते हैं। इनके माध्यम से हम अपने कार्यों को कहीं ज्यादा सुगम और उपादेय बना सकते हैं।

कुछ प्रचलित सोशल साइट्स टूल्स का विवरण निम्नवत है –

ब्लॉगर– ब्लॉगर एक ऐसी साइट है जिसमें उपयोगकर्ता अपना ब्लॉग बना कर इसका उपयोग विभिन्न शैक्षिक संदर्भों में कर सकते हैं। इसमें ब्लॉग बनाकर शिक्षक बच्चों से बातचीत करते हुए उनके लेखन, पठन, योजना कौशल, विचारों का साझाकरण तथा अन्य शैक्षिक क्रियाकलापों का आदान प्रदान सुगमतापूर्वक कर सकते हैं।

फेसबुक– इस ऑनलाइन संचार उपकरण द्वारा कोई भी आभासी समुदाय परस्पर विचारों का आदान–प्रदान कर सकता है। वर्तमान समय प्रौद्योगिकी का है। अपने कार्य का प्रसार एवं दूसरों को प्रगति साझा करना, जरूरी वीडियोज शेयर करना, समूह परियोजनाओं पर चर्चा करना, लेख साझा करना जैसी तमाम संभावनाओं की वजह से फेसबुक एक प्रमुख सामाजिक शिक्षण उपकरण साबित हो सकता है। इसका उपयोग असाइनमेंट तथा पाठ्यक्रम सामग्री अपलोड करने के लिए डैशबोर्ड के रुप में भी किया जा सकता हैं।

गूगल हैण्ड ऑउट– यह एक संचार सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से चैट, वार्तालाप, वीडियो कॉल, फोन कॉल और संदेश भेजना जैसे कार्य सुगमता से किए जा सकते हैं। यह विभिन्न सामग्री, असाइनमेंट और स्रोतों को संपादित करने और साझा करने की भी अनुमति देता है।

इंस्टाग्राम– यह एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है जिसे आरंभ में फोटो और वीडियो साझा करने के लिए बनाया गया था। शैक्षिक जानकारियों के लिए इसका उपयोग कोई जानकारी, विषय सामग्री की तस्वीर अथवा छोटे वीडियो पोस्ट करने में किया जा सकता है। इसका उपयोग फोटो निबंध या कोई पाठ बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

खान अकादमी– यह संगठन दुनिया भर में मुफ्त ऑनलाइन शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है।

पिनटेरेस्ट(pinterest)–एक बेब–आधारित साफ्टवेयर प्लेटफार्म है जो अपने उपयोगकर्ता को चित्रों, विवरणों और लघुवीडियोज के उपयोग के माध्यम से नई जानकारियाँ साझा करने और खोजने की अनुमति देता है।

स्काइप – एक निःशुल्क दूर संचार उपकरण है, जो अपने उपयोगकर्ताओं को लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे विभिन्न उपकरणों के बीच वॉयस चैट या वीडियो कॉल करने का अवसर देता है। स्काइप को कक्षाओं में कई तरह से लागू किया जा सकता है, जैसे कि इसका उपयोग उन विद्यार्थियों को जो कि बीमारी या अन्य किसी कारण से विद्यालय में नहीं आ पा रहे है, कक्षा में होने वाली सहयोगात्मक चर्चाओं में सम्मिलित करने के लिए किया जा सकता है।

ट्विटर– एक स्थापित माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा है जो कि दुनिया भर में इंटरनेट एक्सेस करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। यह अपने उपयोगकर्ताओं को संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए असीमित पहुँच प्रदान करती है। कक्षा–कक्षीय परिस्थितियों में छात्र इस माध्यम पर अपने शिक्षक का अकाउंट देख सकते हैं। इस सेवा के माध्यम से शिक्षक असाइनमेंट टेस्ट, रिव्यू, फीडबैक, फ्यूचर प्लान आदि पर चर्चा कर सकते हैं।

यू–ट्यूब– 2005 में स्थापित वीडियो शेअरिंग साइट जो अपने उपयोगकर्ताओं को वीडियो साझा करने, पसंद करने, अपलोड करने तथा उनपर टिप्पणी करने का प्लेटफार्म उपलब्ध कराती है। अपनी इस विशेषता के कारण यू–ट्यूब एक बेहतर सामाजिक शिक्षण उपकरण साबित होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

नागरिकशास्त्र (वेबसाइट)

1. www.en.wikipedia.org
2. www.britannica.com
3. http://india.gov.in/direetonesa_gov_php
4. www.opendemneerog.net
5. www.brainencyclopedia.com
6. DIKSHA- www.diksha.gov.in
7. Prerna app- www.prernaup.in
8. NCERT- www.ncert.nic.in
9. MHRD- www.mhrd.gov.in
10. E-Pathshala- www.epathshala.nic.in

प्रमुख पुस्तकें

1- An ABC of Democracy: Nancy Shapiro
2.भारतीय संविधानः रचना एवं कार्य
3.शिवाजी किंकर चौबे अनुः के0 बी० सिंह, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत
4.माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
5.संविधान का परिचय, डी0डी0बसु
6.लोकतंत्रः 80 प्रश्न और उत्तर, डेविड बीथम एवं केविन बॉयले
7.अनुवादः देसराज गोयल, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया
8.आधुनिक लोकतंत्रः कार्ल एल0 बेकर, अनु ओमप्रकाश दीपक, नेशनल पब्लिशिंग हाउस
9.भारत में नागरिको के लिए अधिकार, बलराज शर्मा, एन० बी० टी०, नई दिल्ली
10. दिवास्वप्न, गिजुभाई बधेका, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली
11. पहला अध्यापक, चिन्गीज एटमाटोन, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली
12. बच्चे की भाषा और अध्यापक, प्रो० कृष्णा कुमार, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली
13. प्रभावकारी शिक्षण, एन0 के0 जंगीरा, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली
14. एक अध्यापक का सफरनामा, राम जी दुबे, एन० बी० टी०, दिल्ली
15. भारतीय इतिहास कोश, सच्चिदानंद भट्टाचार्य, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान,
16. प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता, दामोदर धर्मानंद, कोम्सवी, राजकमल
17. भारत ज्ञान कोश, चंद्रकान्त सिंह, नीलम भट्ट, भास्कर जुयाल, रविशंकर पेडा, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका (इंडिया) प्रा.लि. नई दिल्ली
18. आधुनिक भारत का इतिहास, रामलखन शुक्ल, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन, निदेशालय, दिल्ली वि.वि.
19. आधुनिक भारत, विपिन चंद्र
20. भारत का इतिहास, रोमिला थापर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन (सी.टी.ई.)
C.T.E.
प्रयागराज

समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ